



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222850
CG-DL-E-30102020-222850

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 458]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942

No. 458]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2020

सं.एन.एम.सी./एम.सी.आई.-35(1)/98-मेडि.(ii)123627.— राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग इसके अंतर्गत निम्नलिखित नियम बनाता है, नामतः :-

- (i) संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभन : इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 2020" कहा जाए।
(ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (i) अनुप्रयोज्यता : ये विनियम, शैक्षिक सत्र 2021-22 से स्थापित किए जा रहे मेडिकल कॉलेजों के लिए लागू होंगे।
(ii) 100/150/200/250 विनियमावली के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु सुसंगत न्यूनतम मानक शर्तें और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 10-क और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की धारा 61(2) के अंतर्गत वार्षिक नवीकरणों और नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आशय-पत्र और अनुमति-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक कॉलेजों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें, शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए नया मेडिकल कॉलेज

स्थापित करने/अनुमति के नवीकरण/प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अनुमति-पत्र की स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले स्थापित मेडिकल कॉलेजों के लिए शासी विनियम होंगे।

3. **प्रस्तावना**

इस बदलते विश्व में एक चिकित्सक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से करने में चिकित्सा स्नातक को समर्थ बनाने के लिए चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को नया रूप देना आवश्यक है। चिकित्सा शिक्षा की नई मांगें भी इन मानकों को पुनः परिभाषित करने को आवश्यक बनाती हैं। पूर्णरूपेण के बजाय कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर मानकों को परिभाषित करना आवश्यक है। गुणवत्ता ही, नये मानक का बेंच मार्क होना चाहिए। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में सुनम्यता और इष्टतमीकरण, उस समय भी गुणवत्ता शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सुविधा प्रदान करेगा, जब संसाधन तुलनात्मक रूप से कम हों। भारत में स्नातक-पूर्व चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए न्यूनतम मानकों पर वर्तमान विनियमों में, नये प्रतिमान की दृष्टि से नये मानकों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

4. **उद्देश्य:** इन विनियमों का उद्देश्य एमबीबीएस छात्रों के दाखिलों के लिए अनुमोदित किसी मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए कॉलेज और संबद्ध अध्यापन अस्पतालों में आवास, स्टाफ (अध्यापन एवं तकनीकी दोनों), कॉलेजों के विभागों और अस्पतालों में उपकरणों की न्यूनतम आवश्यकता निर्धारित करना है।

5. **विभाग :** प्रति वर्ष एमबीबीएस दाखिलों के लिए अनुमोदित सभी मेडिकल कॉलेज और आयुर्विज्ञान संस्थान के पास निम्नलिखित विभाग होंगे, नामतः:—

- (i) मानव शरीर-विज्ञान;
- (ii) मानव शरीर-क्रियाविज्ञान;
- (iii) जीवरसायन विज्ञान;
- (iv) रोग-विज्ञान;
- (v) सूक्ष्मजीव-विज्ञान;
- (vi) भेषज-विज्ञान;
- (vii) फोरेंसिक मेडिसिन एवं विष-विज्ञान;
- (viii) कम्युनिटी मेडिसिन;
- (ix) जनरल मेडिसिन;
- (x) बालरोग-विज्ञान;
- (xi) मनश्चिकित्सा;
- (xii) त्वचा-विज्ञान;
- (xiii) श्वसनी मेडिसिन;
- (xiv) जनरल शल्य-चिकित्सा;
- (xv) अस्थिरोग विज्ञान;
- (xvi) विकिरण निदान;
- (xvii) कान नाक गला रोग-विज्ञान;

- (xviii) नेत्ररोग विज्ञान;
- (xix) प्रसूति एवं स्त्री-विज्ञान;
- (xx) संचेतनाहर-विज्ञान;
- (xxi) दंत चिकित्सा-विज्ञान;
- (xxii) भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास
- (xxiii) आपातकालिक मेडिसिन
- (xxiv) विकिरण ऑनकोलॉजी (वैकल्पिक)

उपर्युक्त विभागों के अलावा, विभिन्न विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाले मेडिकल कॉलेजों और आयुर्विज्ञान संस्थानों में कॉलेज या आयुर्विज्ञान संस्थान की अध्यापन संबंधी आवश्यकताएं और जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु अन्य विभाग हो सकते हैं।

6. आवास, स्टाफ और उपकरण : प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा संस्थान उसके संबद्ध अध्यापन अस्पताल के पास, इन विनियमों के साथ संलग्न क्रमशः अनुसूची-I, II, III में दिए गए अनुसार प्रत्येक विभाग के लिए, क्षेत्रों हेतु आवास, स्टाफ और उपकरण होंगे।
7. प्रवेश क्षमता : मेडिकल कॉलेजों प्रति वर्ष 100/150 एमबीबीएस दाखिलों की वार्षिक क्षमता के साथ स्थापित की जाएगी और उसके बाद वार्षिक रूप से 150/200/250 एमबीबीएस प्रवेश बढ़ाया जा सकता है। नये मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए और प्रति वर्ष 100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए वार्षिक नवीकरणों के लिए आशय-पत्र और अनुमति-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक कॉलेजों द्वारा पूरी की जाने वाली चरण-वार शर्तें, इन विनियमों के अनुबंध I, II, III और IV के अनुसार होंगी।

अनुसूची I

मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध अध्यापन

अस्पतालों में आवास

क-कॉलेज

क.1 सामान्य

क.1.1 परिसर

1. प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज, संबद्ध अध्यापन अस्पताल और छात्रों तथा इंटरनों के लिए छात्रावास, कॉलेज/अस्पताल के संकाय सदस्यों और अन्य स्टाफ के लिए आवासीय क्षेत्र के साथ या के बिना छात्रावास शामिल होगा। यह वांछनीय है कि मेडिकल कॉलेज, छात्रों/इंटरनों के लिए छात्रावास और अध्यापन अस्पताल/संस्थान एक एकात्मक परिसर में हों।
2. तथापि, एक्स और वाई श्रेणी (या टियर-1 और टियर-2) शहरों (जैसा कि 7वें के.वे.आ. में सिफारिश की गई है), पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में यह परिसर भूमि के दो भूखंडों – एक अध्यापन अस्पताल के लिए और दूसरा छात्रों और इंटरनों के लिए छात्रावास वाले मेडिकल कॉलेज में भी हो सकता है।
3. यदि परिसर भूमि के एक भूखंड से अधिक में स्थित है तो इन भूखंडों में से प्रत्येक के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से कम या 30 मिनट के यात्रा समय से कम, इनमें से जो भी कम हो, होनी चाहिए।
4. बशर्ते कि जहां सरकारी जिला अस्पताल के नाम पर किसी मेडिकल कॉलेज के अध्यापन अस्पताल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है, जिला अस्पताल के सभी संघटक, चाहे वे भूमि के दो भूखंडों पर हों, के नाम पर संबद्ध अध्यापन अस्पताल के रूप में विचार किया जाएगा, बशर्ते कि मुख्य जिला अस्पताल में कम से कम 300 बिस्तर हों या पर्वतीय तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 250 बिस्तर हों।

5. मेडिकल कॉलेज, इस अनुसूची के विभिन्न भागों में यथाविनिर्दिष्ट अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ, छात्र प्रसुविधाओं आदि के लिए विभिन्न अध्यापन क्षेत्रों (कॉलेज और अध्यापन अस्पताल – दोनों में), पुस्तकालय, प्रशासनिक क्षेत्रों, कमरों को स्थान देने के लिए पर्याप्त निर्मित स्थान उपलब्ध कराएगा।
6. भवन और अन्य निर्मित अवसंरचना, भवन कोडों तथा स्थानीय भवन निर्माण उप-विधियों के अनुरूप होने चाहिए। उनमें ऐसे व्यक्तियों, जो विकलांग हों, को प्रवेश तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने की शर्तों का पालन भी किया जाना चाहिए।
7. अध्यापन अस्पताल का निर्मित क्षेत्र न्यूनतम बिस्तारों, अध्यापन सुविधाओं और इन विनियमों में एमबीबीएस के छात्रों की विभिन्न वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए विनिर्धारित अन्य शर्तों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय मापदंडों और स्थानीय भवन निर्माण उप-विधियों के अनुरूप होना चाहिए।
8. इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए उपयोग की जा रही भूखंड किसी अन्य कॉलेज / संस्थान (जैसे नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी अन्य कॉलेज या छात्रावास या आवास) के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिये।

क.1.2 प्रशासनिक क्षेत्र

प्रधानाचार्य/डीन, कॉलेज परिषद्, अकादमिक तथा परीक्षा अनुभागों, लेखाओं और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों (आवश्यकता के अनुसार), चिकित्सा शिक्षा इकाई और कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सर्वर कक्ष हेतु पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

क.1.3 कॉलेज परिषद्:

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या आयुर्विज्ञान संस्थान में एक कॉलेज परिषद् होगी, जिसमें सदस्यों के रूप में विभागाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य/डीन होंगे। परिषद् की बैठक एक वर्ष में कम से कम चार बार होगी, जिसमें पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यारों, अनुशासन लागू करने तथा अन्य अकादमिक मामलों पर चर्चा की जाएगी। यह परिषद् अंतः-विभागीय बैठकें जैसे ग्रैंड राउंड्स, सांख्यिकीय बैठकें और क्लिनिक-पैथोलॉजिकल बैठकें आयोजित करेगी। इन बैठकों में संस्थान में आवधिक अनुसंधान की आवधिक समीक्षा शामिल होगी।

क.1.4 केंद्रीय पुस्तकालय

1. पुस्तकों और जरनलों के स्टॉकिंग के लिए अच्छी प्रकाश व्यवस्था और पर्याप्त स्थान के साथ एक वातानुकूलित केंद्रीय पुस्तकालय होगा (150 एमबीबीएस छात्रों तक वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए 1000 वर्ग मीटर और 200 और 250 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए 1500 वर्ग मीटर)। निम्नलिखित के लिए व्यवस्था होगी:
 - क. पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्ययन स्टाफ के लिए कमरे।
 - ख. दो से अधिक क्षेत्रों में वितरित स्नातक-पूर्व छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता की संख्या से दुगुनी संख्या के लिए पर्याप्त सिटिंग वाले वाचनालय।
 - ग. संकाय सदस्यों के लिए वाचनालय।
 - घ. पुरानी पुस्तकों, जरनलों आदि की स्टॉकिंग के लिए कमरा।
 - ङ. छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के कम से कम 25 प्रतिशत के लिए इंटरनेट सुविधाओं के साथ कंप्यूटर नोड्स वाला एक कंप्यूटर कक्ष।
2. पुस्तकें: छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के अनुसार कम से कम 30 (तीस) पुस्तकें होंगी, जिनमें एमबीबीएस पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यपुस्तकों में से प्रत्येक की कम से कम पांच प्रतियों के साथ सभी विषय शामिल होंगे।

वांछनीय : एमबीबीएस पाठ्यचर्या के विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें।

प्रेरणात्मक : संदर्भ और मेडिसिन की सभी विशेषज्ञताओं में स्नातकोत्तर स्तर की पुस्तकें।

3. **जरनल:** एमबीबीएस छात्रों की विभिन्न प्रवेश क्षमताओं के लिए जरनलों की न्यूनतम संख्या, न्यूनतम विनिर्धारित पुस्तकों की कम से कम एक प्रतिशत होगी।

ये जरनल या तो प्रिंट रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में होंगे, बशर्ते कि एमबीबीएस प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक प्रमुख विशेषज्ञता विभागों का कम से कम 1 (एक) प्रिंट जरनल होगा – मानव शरीररचना-विज्ञान, मानव शरीरक्रिया-विज्ञान, जीव रसायन, रोग-विज्ञान, भेषज-विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, फोरेसिक मेडिसिन एवं विष-विज्ञान, कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन, बालरोग, त्वचारोग-विज्ञान, मनश्चिकित्सा, श्वसनी मेडिसिन, शल्यचिकित्सा, अस्थिरोग, कान-नाक-गलारोग-विज्ञान, नेत्ररोग-विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान, संचेतनाहर, विकिरण निदान, दंत्य चिकित्सा, आपातकालिक मेडिसिन, भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास। बशर्ते कि केवल उन्हीं जरनलों पर विचार किया जाएगा, जो निम्नलिखित डाटाबेस में अनुक्रमणीबद्ध हों अर्थात् मेडलाइन, पबमेड सेंट्रल, साइंस साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, एम्बेस, स्कोपस, डायरेक्टरी ऑफ ओपन ऐक्सेस जरनल (डीओएजे)। इन सभी जरनलों के लिए एक पूर्ण वार्षिक अंशदान हेतु साक्ष्य होगा।

वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश क्षमता	अपेक्षित जरनलों की न्यूनतम संख्या	अपेक्षित पुस्तकों की न्यूनतम संख्या
100	30	3000
150	45	4500
200	60	6000
250	75	7500

वांछनीय: ऊपर सूचीबद्ध के अलावा, अन्य विषयों से संबंधित जरनल।

क.1.5 व्याख्यान थियेटर

- संस्थान में गैलरी टाइप के न्यूनतम चार व्याख्यान थियेटर होंगे, वरीयतः वातानुकूलित, जिनमें से प्रत्येक छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता से 20 प्रतिशत से अधिक के लिए सीटिंग क्षमता वाला होगा (कम से कम 1.40 वर्ग मीटर प्रति छात्र) उपलब्ध कराएगा।
- यदि अस्पताल उसी एकात्मक परिसर में नहीं है तो उसी सीटिंग क्षमता, जो मेडिकल कॉलेज के लिए विनिर्धारित है, वाले अध्यापन अस्पताल में एक अतिरिक्त व्याख्यान थियेटर होगा।
- इन व्याख्यान थियेटरों में श्रव्य-दृश्य की व्यवस्था और इंटरनेट सुविधाएं होंगी तथा ये ई-लर्निंग के लिए समर्थकारी होंगे। ये व्याख्यान थियेटर लघु समूह अध्यापन के लिए नामोदृष्ट सभी अध्यापन क्षेत्रों के साथ डिजिटल रूप से संबद्ध होंगे।
- ये व्याख्यान थियेटर बनाए गए कार्यक्रम के तरीके से सभी विभागों के साथ साझा किए जाएंगे।

वांछनीय: स्मार्ट क्लास कक्ष

क.1.6 लघु समूह अध्यापन सुविधाएं

लघु समूह अध्यापन के प्रत्येक बैच का आकार लगभग 15 छात्र होंगे। इन विनियमों में यथाविनिर्धारित शिक्षण कमरों के सामूहिक संसाधन-पूर्व, छात्रों के लिए प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, व्याख्यान थियेटरों और कोई भी अन्य उपलब्ध क्षेत्र जो इन विनियमों में निर्धारित किया गया है, का उपयोग लघु समूह अध्यापन के लिए किया जाएगा और

शिक्षण विभागों द्वारा साझा किया जाएगा। ऊपर उल्लिखित सभी अध्यापन क्षेत्रों में श्रव्य-दृश्य तथा इंटरनेट सुविधाएं होंगी और ये डिजिटल रूप से एक-दूसरे के साथ संबद्ध होंगी।

क. **शिक्षण कक्ष** : प्रति वर्ष एमबीबीएस छात्रों की विभिन्न प्रवेश क्षमता के लिए प्री और पारा नैदानिक विभागों के लिए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कक्षों की न्यूनतम संख्या, जो सभी विभागों द्वारा साझा की जाएगी, नीचे एक सारणी में दर्शाई गई है (प्रत्येक शिक्षण कक्ष में कम से कम 1.2 वर्ग मीटर प्रति छात्र का स्थान होगा):

वार्षिक एमबीबीएस छात्र प्रवेश क्षमता	अध्यापन कक्षों की संख्या	
	25 की सीटिंग क्षमता	50 की सीटिंग क्षमता
100	2	1
150	4	4
200	7	7
250	9	9

ख. **छात्रों की प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं** : छात्रों की कम से कम 8 प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं होंगी, हिस्टोलॉजी, नैदानिक मानवशरीर रचना विज्ञान, जीवरसायन, हिस्टोपैथोलॉजी एवं साइटोपैथोलॉजी, नैदानिक रोग-विज्ञान एवं रुधिर-विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, नैदानिक भेषज-विज्ञान और भेषज-विज्ञान में कंप्यूटर सहायता-प्रदत्त शिक्षण (सीएएल) के लिए एक-एक। नैदानिक रोग-विज्ञान/रुधिर—विज्ञान प्रयोगशाला मानव शरीरक्रिया-विज्ञान तथा रोग-विज्ञान विभाग के बीच साझा की जा सकती है और फोरेंसिक मेडिसिन विभाग प्रयोगात्मक कार्य के लिए हिस्टोपैथोलॉजी एवं साइटोपैथोलॉजी प्रयोगशाला का उपयोग कर सकती हैं।

प्रत्येक प्रयोगशाला में कम से कम 60 छात्रों को स्थान देने की क्षमता होगी। हिस्टोलॉजी, जीवरसायन, हिस्टोपैथोलॉजी एवं साइटोपैथोलॉजी, नैदानिक रोग-विज्ञान एवं रुधिर-विज्ञान तथा सूक्ष्मजीव-विज्ञान की प्रयोगशालाओं में पानी की टोंटियों, सिंक तथा बिजली के पाइंट फिट किए हुए 60 कार्य स्टेशन होंगे। हिस्टोपैथोलॉजी और सूक्ष्मजीव-विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अतिरिक्त रूप से प्रत्येक छात्र कार्य स्टेशन में गैस/इलेक्ट्रिक बर्नर होंगे।

प्रत्येक प्रयोगशाला में तकनीकी स्टाफ, स्टोर्स, उपकरण भण्डारण आदि के लिए यथापेक्षित अतिरिक्त कमरे होंगे। प्रत्येक प्रयोगशाला में कम से कम 3.5 वर्ग मीटर/प्रति छात्र का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जो कार्य बेंचों, 20 छात्रों के लिए सीमांकित अध्यापन क्षेत्र, तकनीकी स्टाफ के लिए स्टोर और कमरे के लिए पर्याप्त होगा। ऊपर उल्लिखित सभी प्रयोगशालाओं में श्रव्य-दृश्य और इंटरनेट सुविधाएं होंगी तथा वे अन्य सभी अध्यापन क्षेत्रों अर्थात् व्याख्यान थियेटरों, शिक्षण कक्षों तथा म्यूजियमों के साथ डिजिटल रूप से संबद्ध होंगे।

ग. **संग्रहालय** : कॉलेज में कम से कम तीन संग्रहालय होंगे अर्थात् मानव शरीररचना के लिए 01 (एक), रोग-विज्ञान और फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के बीच साझा किए जाने वाला 01 (एक) और भेषज-विज्ञान, सूक्ष्मजीव-विज्ञान तथा कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा साझा किए जाने वाला 01 (एक)। प्रदर्शन क्षेत्र के अलावा, इन संग्रहालयों में से प्रत्येक में कम से कम 50 छात्रों (कम से कम 1.2 वर्ग मीटर प्रति छात्र) के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान भी होगा और श्रव्य-दृश्य तथा इंटरनेट सुविधाएं होंगी और ये व्याख्यान थियेटरों, शिक्षण कक्षों तथा प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं के साथ डिजिटल रूप से संबद्ध होंगे।

इन संग्रहालयों में गीले और सूखे नमूनों (जहां लागू हो) और मॉडलों के भंडारण और उचित प्रदर्शन के लिए पर्याप्त रैक और अलमारियां होंगी। रेडियोलॉजिकल और डिजिटलीकृत तस्वीरें प्रदर्शित करने तथा देखने के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी होंगी।

क.1.7 कौशल प्रयोगशालाएं

प्रत्येक आयुर्विज्ञान संस्थान में एक कौशल प्रयोगशाला होगी, जहां छात्र पाठ्यचर्या में पूर्व-विनिर्दिष्ट कौशलों की प्रैक्टिस कर सकेंगे तथा उनमें सुधार कर सकेंगे। कौशल प्रयोगशाला का उद्देश्य एक सिमुलेटेड वातावरण में सीखने, प्रैक्टिस करने और कौशल करते हुए अवलोकन किए जाने हेतु छात्रों के लिए एक सुरक्षित और भय-मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। इस प्रकार, पर्याप्त तैयारी और पर्यवेक्षण के बिना सीधे मरीज संबंधी अनुभव में शामिल जोखिम कम करना है। कौशल प्रयोगशाला में ऐसे नैदानिक वातावरण और कार्य पुनः सृजित करने का प्रयास किया गया है, जो भावी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को जटिलता और फिडेलिटी के विभिन्न स्तरों पर करने होंगे।

कौशल प्रयोगशाला में प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस छात्रों तक की प्रवेश क्षमता के लिए कम से कम 600 वर्ग मीटर का कुल क्षेत्र होगा और प्रति वर्ष 200 तथा 250 एमबीबीएस छात्रों की प्रवेश क्षमता के लिए 800 वर्ग मीटर का स्थान होगा और उसमें निम्नलिखित की व्यवस्था होगी-

- i) मरीजों या मानकीकृत/सिमुलेटेड मरीजों की जांच के लिए न्यूनतम चार कमरे (वरीयत: 08)।
- ii) लघु समूहों को कौशलों के प्रदर्शन के लिए एक कमरा।
- iii) समीक्षा के लिए क्षेत्र या डीब्रीफिंग क्षेत्र।
- iv) संकाय समन्वयकर्ता और सहायक स्टाफ के लिए कमरे।
- v) मैनेक्वीस और/या अन्य उपकरणों के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान।
- vi) वीडियो रिकार्डिंग और अध्यापन संसूचन कौशलों के लिए विचार-विमर्श की समीक्षा की सुविधा।
- vii) अलग-अलग या समूहों में कौशलों की प्रैक्टिस करने के लिए स्टेशन।
- viii) सक्षमता आधारित स्नातक-पूर्व पाठ्यचर्या दस्तावेज में दिए गए कौशल प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षक या मैनेक्वीस।
- ix) एक समर्पित तकनीकी अधिकारी और पर्याप्त सहायक स्टाफ।
- x) कौशल प्रयोगशाला के शिक्षण कक्ष में श्रव्य-दृश्य की व्यवस्था और इंटरनेट सुविधाएं होंगी तथा ये ई-लर्निंग के लिए समर्थकारी होंगे।

यह कौशल प्रयोगशाला आरंभ/अनुमति-पत्र के समय पर उपलब्ध होगी।

क.1.8 विभाग के कार्यालय और स्टाफ के लिए कमरे

प्रत्येक अध्यापन विभाग में निम्नलिखित होंगे:

- i) कार्यालय स्टाफ और रिकार्ड के भंडारण के लिए विभाग के कार्यालय हेतु स्थान के साथ विभाग प्रमुख के लिए कमरा।
- ii) अध्यापन संकाय सदस्य और ट्यूटर्स/प्रदर्शकों/रेजिडेंटों (जूनियर और वरिष्ठ दोनों) के लिए पर्याप्त स्थान वाले कमरे।
- iii) संसूचन सुविधाओं, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं के साथ उपलब्ध कराए गए संकाय सदस्यों के लिए कमरे।
- iv) गैर-अध्यापन स्टाफ के लिए कमरे।

क.1.9 परीक्षा हाल

परीक्षा के उद्देश्य के लिए व्याख्यान थियेटर, पुस्तकालय में वाचनालय आदि का उपयोग पर्याप्त दूरी के साथ किया जा सकता है।

वांछनीय : एक अलग परीक्षा हाल।

क.1.10 चिकित्सा शिक्षा इकाई

संकाय विकास और अध्यापन या ज्ञानार्जन संसाधन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए एक चिकित्सा शिक्षा इकाई होगी। इस इकाई में श्रव्य-दृश्य और इंटरनेट सुविधाओं की व्यवस्था होगी। इस इकाई की आवश्यकताएं समय-समय पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा यथाविनिर्धारित होंगी (इसमें कम से कम 150-160 वर्ग मीटर का क्षेत्र होगा)।

क.1.11 अनुसंधान सुविधा

वांछनीय : एक साधन संपन्न केंद्रीय अनुसंधान सुविधा, जिसे भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा साझा किया जा सकता है।

प्रेरणात्मक : अलग विभागीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं।

क.1.12 संसूचन सुविधाएं

बेहतर सेवाओं, समन्वय और मरीज देखभाल के लिए कॉलेज और अस्पतालों के विभिन्न अनुभागों के बीच पर्याप्त संसूचन नेटवर्क उपलब्ध कराया जाएगा।

क.1.13 छात्र प्रसुविधाएं

पर्याप्त छात्र प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें छात्र और छात्राओं के लिए कॉमन कक्ष (अलग-अलग), कैफेटेरिया, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, इनडोर खेलों के लिए सुविधाएं और छात्र परामर्श सेवाएँ शामिल होंगी। आउटडोर खेलों और ट्रेक कार्यक्रमों के लिए व्यायामशाला और खेलकूद के मैदान होंगे।

वांछनीय : स्विमिंग पूल

प्रेरणात्मक : सभागार

क.1.14 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र

प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में उससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। इस ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र का स्वामित्व या तो कॉलेज का होगा या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र के साथ संबद्ध होना चाहिए। यदि बाद की स्थिति है तो अकादमिक नियंत्रण सामुदायिक-उन्मुखी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और इससे संबद्ध ग्रामीण समुदाय के लिए ग्रामीण आधारित स्वास्थ्य शिक्षा में छात्रों तथा इंटरनों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज के डीन/प्रधानाचार्य का होगा। यह स्वास्थ्य केंद्र 30 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा, सिवाय एक्स श्रेणी (टियर-1) शहरों यथासंशोधित, जहां यह 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। भोजनालय की सुविधाओं के साथ छात्रों और छात्राओं के लिए अलग आवासीय व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा फील्ड कार्य करने और अध्यापन तथा प्रशिक्षण क्रियाकलाप चलाने के लिए पर्याप्त परिवहन (स्टाफ और छात्रों दोनों के लिए) उपलब्ध कराया जाएगा।

क.1.15 बायोमेट्रिक उपस्थिति और क्लोज सर्किट टीवी**क) बायोमेट्रिक उपस्थिति**

- (i) सभी मेडिकल कॉलेजों/संस्थान इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट मानव संसाधनों की उपस्थिति नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन संस्थापित करेंगे।
- (ii) बायोमेट्रिक उपस्थिति दैनिक उपस्थिति डैशबोर्ड के रूप में मेडिकल कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह परिषद मेडिकल कॉलेजों/ संस्थानों से, मूल्यांकन के दौरान या उसके पश्चात उपस्थितियों का ऐसा रिकार्ड मांग सकती है।
- (iii) बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का स्थापना और रखरखाव मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।

ख) क्लोज सर्किट टीवी : प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) प्रणाली होगी और वह प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा/प्रशिक्षण और समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य क्षेत्र के मानक पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए परिषद् को समर्थ बनाने हेतु अध्यापन अस्पताल में क्लासरूम अध्यापन तथा मरीज देखभाल – दोनों का सीधा स्ट्रीमिंग उपलब्ध कराएगा।

क्लासरूम अध्यापन और अध्यापन अस्पताल - दोनों की सीधी स्ट्रीमिंग परिषद के "डिजिटल मिशन मोड परियोजना" (डीएमएमपी) के एक भाग के रूप में एकीकृत होगी।

क.1.16 कॉलेज वेबसाइट

- (1) प्रत्येक कॉलेज/संस्थान में उसकी स्वयं की वेबसाइट होगी, जिसमें निम्नलिखित ब्योरे होंगे, जिन्हें हर महीने के प्रथम सप्ताह में अद्यतनीकृत किया जाएगा:
 - (क) डीन, प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक के ब्योरे, उनके नामों, शैक्षिक योग्यता, टेलीफोन और एसटीडी कोड फैक्स और ई-मेल आदि के साथ उनके पूरे पतों सहित।
 - (ख) अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ के ब्योरे।
 - (ग) विभिन्न स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के ब्योरे।
 - (घ) चालू और पिछले शैक्षिक सत्रों के लिए एमबीबीएस और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मेरिट-वार, श्रेणी-वार दाखिल किए गए छात्रों की सूची।
 - (ङ) पिछले एक वर्ष के दौरान अनुसंधान कार्य, अनुदान और अनुसंधान प्रकाशन।
 - (च) संस्थान द्वारा चलाए गए निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों, सम्मेलनों और/या किसी शैक्षिक क्रियाकलापों के ब्योरे।
 - (छ) छात्रों या संकाय सदस्यों द्वारा प्राप्त किए गए किसी पुरस्कार और उपलब्धि के ब्योरे।
 - (ज) संबद्ध विश्वविद्यालय और उसके कुलपति तथा रजिस्ट्रार के ब्योरे।
 - (झ) पिछले एक वर्ष की सभी परीक्षाओं के परिणाम।
 - (ञ) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की ब्योरे-वार स्थिति।
 - (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों और अन्य लागतों का विवरण शुल्क।
 - (ठ) समय-समय पर अधिसूचित कोई भी अन्य आवश्यकता।
- (2) अस्पताल (ओपीडी और आईपीडी) में नैदानिक सामग्री के ब्योरे साप्ताहिक आधार पर अद्यतनीकृत किए जाने चाहिए।
- (3) प्रत्येक कॉलेज/संस्थान, इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट मानव संसाधनों के दैनिक बायोमेट्रिक उपस्थिति डैशबोर्ड रखेगा।

क.1.17 बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन

मेडिकल कॉलेज को बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियमावली, 2019 और समय-समय पर यथा अधिसूचित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उनके पास बायोमेडिकल अपशिष्ट के पृथक्करण और डिसकार्डिंग के लिए एक सुपरिभाषित व्यवस्था के साथ मानव मूल के बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक सुदृढ़ संस्थागत नीति होनी चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं केंद्र/राज्य के कानूनों के अनुरूप होंगी।

क.1.18 बाल देखभाल केंद्र

मेडिकल कॉलेज और/या अध्यापन अस्पताल के स्टाफ के शिशुओं और बच्चों की देखभाल करने के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ मेडिकल कॉलेज में एक बाल देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा।

क.2 विभाग विशिष्ट आवश्यकताएं

प्रत्येक विभाग की अतिरिक्त विशिष्ट आवश्यकताएं, यदि कोई हैं, निम्नलिखित भागों में यथाविनिर्दिष्ट उपलब्ध कराई जाएंगी:

क.2.1 मानव शरीररचना विज्ञान विभाग

- i) **डाइसेक्शन हाल** – छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता के 50 प्रतिशत को स्थान देने के लिए एक डाइसेक्शन हाल होगा (कम से कम 4.20 वर्ग मीटर प्रति छात्र का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो कम से कम एक शरीर/10 छात्र वार्षिक क्षमता के लिए पर्याप्त स्थान के साथ लॉकरों, वाशबेसिन ऐम्बलमिंग रूम, भंडारण टैंकों के लिए स्थान और कोल्ड स्टोरेज रूम या कूलिंग केबिनेट के साथ छात्रों के लिए ऐंटे रूम के लिए पर्याप्त होगा। यह हॉल सुप्रकाशित, एगजॉस्ट फैन सहित सुसंवातित होगा। हाल में पर्याप्त अध्यापन उपकरण होंगे।

वांछनीय : डाऊनड्राफ्ट डाइसेक्शन टेबल, 3डी वर्चुअल अनाटॉमी डाइसेक्शन टेबल

क.2.2 रोगविज्ञान विभाग

- i) हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, रुधिर-विज्ञान और अस्पताल के अन्य विशेषज्ञता वाले कार्यों के लिए एक अलग सेवा प्रयोगशाला होगी, जो उपयुक्ततः उपकरणों से सज्जित होगी।
- ii) इन सेवा प्रयोगशालाओं में भंडारों और उपकरण के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान होगा।
- iii) निरंतर जल आपूर्ति के साथ एक वाशिंग रूम भी होगा।
- iv) ये सेवा प्रयोगशालाएं या तो मेडिकल कॉलेज, अध्यापन अस्पताल में या दोनों स्थानों पर स्थित हो सकती हैं।

क.2.3 सूक्ष्मजीव-विज्ञान विभाग

- i) निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक अलग सेवा प्रयोगशाला होगी: (क) ऐनारोबिक बैक्टीरिया सहित जीवाणु-विज्ञान; (ख) सिरोलॉजी; (ग) वायरोलॉजी; (घ) पैरासाइटोलॉजी; (ङ) माइकोलॉजी; (च) तपेदिक; और (छ) प्रतिरक्षा-विज्ञान।
- ii) इन सेवा प्रयोगशालाओं में भंडारों और उपकरणों के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान होगा।
- iii) मीडिया तैयारी और भंडारण, आटोक्लेविंग तथा नियमित और निरंतर जल आपूर्ति के साथ धुलाई के लिए अलग स्थान होगा।
- iv) ये सेवा प्रयोगशालाएं या तो मेडिकल कॉलेज, अध्यापन अस्पताल में स्थित हो सकती हैं या दोनों में।
- v) वायरोलॉजी सेवा प्रयोगशाला वीएसएल-2 स्तरीय प्रयोगशाला होगी। (ई-गजट सं.एम.सी.आई-34(41)/2020-मेडि./103234 अधिसूचित दिनांक 3.6.2020 के अनुसार)

क.2.4 फोरेंसिक मेडिसिन एवं विष-विज्ञान विभाग

- i) **पोस्टमार्टम/ऑटोप्सी ब्लॉक** : धुलाई सुविधाओं, 20-25 छात्रों की स्थान क्षमता के साथ शवों के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं, ऐंटे रूम, प्रतीक्षा हाल, कार्यालय आदि की सुविधाओं वाला एक मॉर्चुरी व पोस्टमार्टम/ऑटोप्सी ब्लॉक (लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला) होगा। मॉर्चुरी/ऑटोप्सी ब्लॉक की स्थिति अधिमानतः अस्पताल के निकट होनी चाहिए और इसे रोग-विज्ञान विभाग के साथ साझा किया जा सकता है। यदि कालेज चिकित्सीय-विधिक शव-परीक्षण करने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं है तो कालेज, छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए शव-परीक्षा करने हेतु किसी गैर-अध्यापन सरकारी/जिला अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन कर सकता है।

क.2.5 कम्युनिटी मेडिसिन विभाग

- i) **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्र** : प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में क.1.14 में यथावर्णित छात्रों के प्रशिक्षण के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा।
- ii) **शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र** : इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र का स्वामित्व कॉलेज के स्वामित्व वाला होगा या यह सरकार के स्वामित्व वाले स्वास्थ्य केंद्र से संबद्ध होना चाहिए। यदि बाद की स्थिति है तो सामुदायिक उन्मुखी

स्वास्थ्य देखभाल में छात्रों और इन्टर्नों के प्रशिक्षण के लिए अकादमिक नियंत्रण मेडिकल कॉलेज के डीन/प्रधानाचार्य के पास होगा। स्टाफ और छात्रों के आने-जाने के लिए पर्याप्त परिवहन उपलब्ध कराया जाएगा।

क.2.6 भेषज विज्ञान विभाग

- i) पशु पकड़ क्षेत्र: स्नातक पाठ्यक्रम में फार्माकोलॉजी पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की सहायता से मॉड्यूल का उपयोग करके आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, यदि अनुसंधान और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है, तो सीपीसीएसईए दिशानिर्देशों के अनुसार केवल एक पशु पकड़ क्षेत्र की आवश्यकता है।

क.3 छात्रों/इंटर्नों के लिए छात्रावास

कॉलेज/संस्थान सभी नामांकित छात्रों और इंटर्नों एवं वे सभी छात्राएं जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया हो, के कम से कम 75 प्रतिशत के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था करेगा। प्रत्येक छात्र को स्वतंत्र और अलग फर्नीचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें कम से कम कुर्सी, मेज, बेड और पूर्ण आकार का कपबर्ड शामिल होगा (कम से कम 9 वर्ग मीटर क्षेत्र/छात्र की व्यवस्था)। यह वांछनीय है कि छात्रावास के कमरे या तो सिंगल या डबल आवास सुविधाओं वाले हों। छात्रावासों में पर्याप्त मनोरंजनात्मक, डायनिंग और 24X7 सुरक्षा सुविधाएं होंगी।

यदि छात्रावास उसी भूखंड पर नहीं है, जहां मेडिकल कॉलेज है तो छात्रावास परिसर में इंटरनेट सुविधाओं के साथ अतिरिक्त रीडिंग रूम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल से छात्रों के परिवहन के लिए कॉलेज द्वारा पर्याप्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वांछनीय : सभी छात्रों के लिए आवास, जिन्होंने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है/जिन्हें इसकी आवश्यकता है।

प्रेरणात्मक : 100% छात्रों और इंटर्नों के लिए आवास।

ख. अध्यापन अस्पताल

ख.1 सामान्य अभ्यक्तियां

1. प्रति वर्ष 150 एमबीबीएस छात्रों तक की प्रवेश क्षमता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को आवेदन प्रस्तुत करने के समय न्यूनतम 60 प्रतिशत इनडोर बेड आक्युपेंसी वाले ओपीडी, इनडोर वार्ड, ओटीज, आईसीयू, कैजुअल्टी, प्रसूति कक्ष, प्रयोगशालाओं, रुधिर बैंक, सीएसएसडी जैसी सभी आवश्यक अवसंरचना के साथ कम से कम 300 बिस्तरों या पूर्वोत्तर अथवा पर्वतीय राज्यों में 250 बिस्तरों सहित कम से कम दो वर्ष के लिए एक पूर्णतः कार्यात्मक अस्पताल उपलब्ध होगा। यह चिकित्सा, बाल रोग, त्वचा विज्ञान, शल्य चिकित्सा, हड्डी रोग, प्रसूति और स्त्री रोग, नेत्र विज्ञान, ओटो-राइनोलरिंजोलोजी, एनेस्थिसियोलॉजी और रेडियोलॉजी विभागों में सेवाएं प्रदान करता रहा है।
2. अस्पताल का भवन, प्रशासन, रजिस्ट्रेशन, रिकार्ड स्टोरेज, बहिरंग मरीज और अंतरंग मरीज क्षेत्रों, ऑपरेटिंग थियेटर्स, सीएसएसडी, आईसीयू, रेडियोलॉजी और प्रयोगशाला सेवाओं, आपातकालिक क्षेत्रों आदि सहित एक सेवा प्रदाता के रूप में अस्पताल की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए, अस्पताल के लिए विभिन्न स्थानीय सांविधिक विनियमों और वर्तमान राष्ट्रीय भवन मानकों के अनुरूप होगी। यह अध्यापन अस्पताल इन विनियमों में यथाविनिर्धारित न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराएगा।
3. नैदानिक अध्यापन विभागों, अध्यापन संकाय और रेजिडेंटों के लिए स्थान:
 - (i) जब अध्यापन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज किसी एकात्मक परिसर में हो तो मेडिकल कॉलेज के भवन में नैदानिक विभागों और इसके अध्यापन संकाय के लिए कमरे उपलब्ध कराए जाएंगे।
 - (ii) अध्यापन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अलग-अलग भूखंडों पर हों तो अस्पताल के लिए सांविधिक शर्तों के अलावा अध्यापन अस्पताल में क.1.18 में यथाविनिर्धारित नैदानिक विभागों के कार्यालयों के लिए स्थान तथा अध्यापन संकाय के लिए कमरे भी होंगे।

अध्यापन कमरे : अध्यापन अस्पताल में नैदानिक मामलों पर चर्चाओं/प्रदर्शनों के लिए कम से कम 30 छात्रों को स्थान देने (मेडिकल कॉलेज के लिए यथाविनिर्धारण) की क्षमता वाले प्रत्येक नैदानिक अध्यापन विभाग के लिए कम से कम 01 (एक) अध्यापन कमरा होगा। ऐसे प्रत्येक कमरे में श्रव्य-दृश्य सुविधाएं होंगी। क्लिनिकल विभागों में छोटा समूह शिक्षण अनिवार्य रूप से आउट पेशेंट क्लिनिक और बेड साइड में किया जाता है। हालाँकि, क्लिनिकल शिक्षण विभागों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शिक्षण कक्ष उपलब्ध कराए जाएंगे।

वांछनीय: अस्पताल के सभी शिक्षण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधाएं और कनेक्टिविटी का उपलब्ध होना।।

ख.2 बहिरंगरोगी क्षेत्र

1. स्नातक-पूर्व पाठ्यक्रमा की विशेषज्ञताओं/विषयों में प्रति छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता 8 मरीजों (पुराने और नये) की न्यूनतम दैनिक ओपीडी उपस्थिति होगी। तथापि, अनुमति-पत्र के समय पर दैनिक ओपीडी उपस्थिति कम से कम 4 (पुराने और नये) मरीज प्रति छात्र वार्षिक प्रवेश क्षमता होनी चाहिए।

टिप्पणी: इस शर्त के अधीन कि पिछले तीन महीनों के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुसूची तारीखों पर ओपीडी उपस्थिति लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार है, ओपीडी उपस्थिति में 5 प्रतिशत तक की सीमा की छूट दी जा सकती है।

2. बहिरंगरोगी क्षेत्र में पर्याप्त स्वागत स्थान और मरीज प्रतीक्षा हाल, परामर्श कक्ष, जांच कक्ष तथा नैदानिक विशेषज्ञता विभाग के अनुरूप अन्य सहायक सुविधाएं होनी चाहिए।

ख.3 इनडोर बेड्स

ख.3.1 बिस्तरों की संख्या

1. एमबीबीएस छात्रों की विभिन्न वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए मान्यता के समय अध्यापन अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या कम से कम चार बिस्तरे प्रति एमबीबीएस छात्र वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। एमबीबीएस प्रशिक्षण के लिए बिस्तरों का वितरण और सभी भिन्न-भिन्न नैदानिक अध्यापन विभागों में इकाइयों की संख्या नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी:

विषय	वार्षिक एमबीबीएस छात्र प्रवेश क्षमता			
	100	150	200	250
	बिस्तरे/इकाई	बिस्तरे/इकाई	बिस्तरे/इकाई	बिस्तरे/इकाई
1. जनरल मेडिसिन	100/4	130/5	195/7	240/8
2. जनरल सर्जरी	100/4	130/5	195/7	240/8
3. बाल रोग	50/2	75/3	100/4	120/4
4. अस्थि रोग	50/2	75/3	100/4	120/4
5. प्रसूति एवं स्त्रीरोग-विज्ञान	50/2	100/4	120/4	150/5
6. नाक कान गला रोग-विज्ञान	10/1	20/2	20/2	30/2
7. नेत्ररोग-विज्ञान	10/1	20/2	20/2	30/2
8. श्वसनी मेडिसिन	10/1	20/1	20/1	30/1
9. त्वचारोग-विज्ञान	10/1	10/1	10/1	10/1
10. मनश्चिकित्सा	10/1	20/1	20/1	30/1

जोड़	400/19	600/27	800/33	1000/36
11. आपातकालिक मेडिसिन	30/1	30/1	30/1	30/1
सकल जोड़	430/20	630/28	830/34	1030/37

2. 100 से 250 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए अनुमति-पत्र से लेकर मान्यता तक भिन्न-भिन्न नैदानिक अध्यापन विभागों के लिए बिस्तरों की शर्तों के ब्योरे इस विनियमावली में संलग्न **अनुबंध-I-IV** में दिए गए हैं।
 3. उपकरणों से युक्त और अद्यतनीकृत सघन देखभाल इकाई (आईसीयू), गहन हृदयी देखभाल इकाई (आईसीसीयू), सघन श्वसनी देखभाल इकाई, बाल सघन देखभाल (पीआईसीयू) और नवजात सघन देखभाल इकाई (एनआईसीयू), क्रिटिकल केयर बर्न इकाई, पोस्ट-ओपी सर्जिकल क्रिटिकल केयर इकाई, प्रसूति और स्त्री रोग एच.डी.यू./आई.सी.यू. होंगी।
 4. ऐसे सभी बिस्तरे, जो स्नातक-पूर्व मेडिकल छात्रों के अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध हैं (निःशुल्क या अन्यथा), को ऊपर दर्शाए गए अनुसार अध्यापन बिस्तरों के प्रति गिना जाएगा।
 5. जहां कहीं संभव हो, बड़े तपेदिक और वक्ष रोग अस्पतालों, संक्रामक रोग अस्पतालों और मानसिक रोग अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग इन विशेषज्ञताओं में प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है। तथापि, यदि यह अस्पताल मेडिकल कॉलेज के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं है तो इन विशेषज्ञताओं में अपेक्षित बिस्तरे संबद्ध अध्यापन अस्पताल में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।
 6. मेडिकल कॉलेज और इसके संबद्ध शिक्षण अस्पताल को जरूरत और मरीज के भार के आधार पर किसी भी विशेषज्ञता में अतिरिक्त बेड, बुनियादी ढांचे, संकाय और अन्य मानव संसाधन प्रदान करना चाहिए।
- ख.3.2 इनडोर बेड आक्युपेंसी इनडोर बिस्तरों की आक्युपेंसी का औसत न्यूनतम 75 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा। आरंभन के समय न्यूनतम 60 प्रतिशत होगा (बशर्ते कि यह पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में आरंभन के समय न्यूनतम 50 प्रतिशत होगा)।
- टिप्पणी : इस शर्त के अधीन कि पिछले तीन महीनों के मूल्यांकन की तारीख के अनुसार तीन तदनुरूपी तारीखों पर बिस्तरों की आक्युपेंसी लागू होने वाले मापदंडों के अनुसार है, बिस्तर आक्युपेंसी (इनडोर मरीज) में 5 प्रतिशत की सीमा तक छूट प्रदान की जा सकती है।*
- ख.4 **ऑपरेटिंग थियेटर**
- ऑपरेटिंग थियेटर वर्तमान मापदंडों के अनुसार होंगे। भिन्न-भिन्न वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए अनुमति-पत्र से मान्यता तक बड़े और लघु ऑपरेटिंग थियेटरों की न्यूनतम संख्या इस विनियमावली में संलग्न **अनुबंध-I-IV** में दर्शाए गए अनुसार होगी।
- ख.5 **आपातकालिक मेडिसिन विभाग**
1. शैक्षिक वर्ष 2022-23 से सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए आपातकालिक मेडिसिन विभाग अनिवार्य होगा:
 - (i) मान्यताप्राप्त एमबीबीएस शैक्षिक योग्यता वाले सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास ऊपर उपबंधित शर्तों के अनुसार मान्यता के स्तर पर एक आपातकालिक मेडिसिन विभाग हो।
 - (ii) प्रवेश क्षमता में वृद्धि के प्रति सहित नवीकरण के किसी भी चरण में, सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास ऊपर उपबंधित शर्तों के अनुसार आपातकालिक मेडिसिन विभाग हो।
 - (iii) कोई नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के इच्छुक किसी संस्थान के पास भी आपातकालिक मेडिसिन विभाग होना चाहिए।

2. इस विभाग के पास निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:

- (i) मरीज प्राप्त करने के लिए कैजुअल्टी क्षेत्र और उन्हें ट्राइएज और स्टैबिलाइज करने की सुविधाएं। ट्राइएज के लिए न्यूनतम 03 ट्रालियां होंगी।
- (ii) कम से कम 24 बिस्तरे/ट्रालियां होंगी, जिनमें से कम से कम 05 हरित श्रेणी (प्रतीक्षा कर सकते हैं – चल कर जाने वाले ऐसे मरीज, जिन्हें किसी समय पर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होंगी) के लिए होंगी, कम से कम 15 बिस्तरे/ट्रालियां पीली श्रेणी (अवलोकन – जो तत्काल उपचार के बिना जीवित नहीं रह सकते) के लिए होंगी और कम से कम 04 बिस्तरे/ट्रालियां लाल श्रेणी (तुरंत- तत्काल उपचार के बिना जीवित नहीं रह सकते) के लिए होंगी। कैजुअल्टी क्षेत्र के निकट आपातकालिक विभाग में न्यूनतम 06 बिस्तरो वाली गहन देखभाल इकाई होगी।
- (iii) न्यूनतम 01 ऑपरेशन थियेटर और 01 प्लास्टर कक्ष होना चाहिए।
- (iv) ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के लिए कमरे।
- (v) संदूषणमुक्त और पृथक्करण क्षेत्र भी उपलब्ध कराया जाए।

ख.6 विकिरण निदान विभाग

1. परंपरागत और स्टैटिक तथा पोर्टेबल एक्स-रे, फ्लोरोस्कोपी, कंट्रास्ट अध्ययनों, अल्ट्रा सोनोग्राफी और कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी की सुविधाएं होंगी। जब वार्षिक एमबीबीएस प्रवेश क्षमता 200 या इससे अधिक हो, ऐसी स्थिति में सभी अध्यापन अस्पतालों में मैग्नेटिक रिसोनैस इमेजिंग उपलब्ध कराई जाएगी।
जब भी मेडिकल कॉलेज / संस्थान किसी भी विशेषता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमआरआई सुविधा मेडिकल कॉलेज के स्वामित्व और प्रबंधन में होगी।
वांछनीय : 150 या इससे कम की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए मैग्नेटिक रिसोनैस इमेजिंग वांछनीय होगी।
2. विभिन्न नैदानिक इमेजिंग प्रणालियों वाले कमरे अणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी), भारत सरकार के विनियामक उपबंधों के अनुसार होंगी।
3. विकिरण निदान विभाग का स्टाफ, एईआरबी द्वारा यथाविनिर्धारित व्यक्तिगत मॉनीटरिंग प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा।

ख.7 भौतिक मेडिसिन एवं पुनर्वास (पीएमआर) विभाग

एक उपकरणों से युक्त पीएमआर विभाग होगा, जो फिजियोथेरेपी, आक्युपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

ख.8 रेडिएशन ऑनकोलॉजी विभाग (वैकल्पिक)

रेडिएशन ऑनकोलॉजी विभाग की योजना, एईआरबी के अनुमोदन और विनियामक शर्तों के अनुसार बनाई जानी चाहिए। यह वांछनीय होगा कि यह विभाग मरीजों के मल्टी-डिस्सीप्लिनरी प्रबंधन के लिए विभिन्न विधाओं की सुविधाओं के स्वतंत्र विचार-विमर्श में सुविधा प्रदान करने के लिए बाकी अस्पताल के साथ निकटता से जुड़ा हुआ हो। पूरे विभाग के पूरे खाके के साथ रेडिएशन थेरेपी कक्ष/प्लान का पूर्व बीएआरसी अनुमोदन अनिवार्य है।

ख.9 दंत चिकित्सा विभाग

जहां डेंटल कॉलेज या मेडिकल कॉलेजों के डेंटल विंग मौजूद हैं, वहां के शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग दंत चिकित्सा में मेडिकल छात्रों के निर्देश में किया जा सकता है और मेडिकल कॉलेज में कोई अलग स्टाफ आवश्यक नहीं होगा।

ख.10 एआरटी केंद्र

प्रत्येक अध्यापन अस्पताल में तीसरे नवीकरण (एमबीबीएस छात्रों के चौथे बैच के दाखिले) के समय एमडीआर-टीवी के प्रबंधन के लिए एनटी रेट्रोवायरल उपचार (एआरटी) केंद्र और सुविधा होगी।

ख.11 केंद्रीय प्रयोगशालाएं

उपकरणों से युक्त और अद्यतनीकृत केंद्रीय प्रयोगशालाएं होंगी, वरीयतः हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, रुधिर-विज्ञान, प्रतिरक्षा पैथोलॉजी, सूक्ष्मजीव-विज्ञान, जीवरसायन और अन्य विशेषज्ञताप्राप्त कार्य, यदि कोई हो, में सभी जांचों के लिए सामूहिक संग्रहण क्षेत्र के साथ। ये केंद्रीय प्रयोगशालाएं मेडिकल कॉलेज के तदनुसूची/संबंधित अध्यापन विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। केंद्रीय प्रयोगशाला को मेडिकल कॉलेज के संबंधित शिक्षण विभागों में से एक के द्वारा समन्वित किया जाना चाहिए।

ख.12 रक्त बैंक

कम्पोनेंट थेरेपी उपलब्ध कराने में सक्षम एक उपकरणयुक्त वातानुकूलित रक्त बैंक होगा। यह रक्त बैंक और रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाएं समय-समय पर यथासंशोधित ड्रग एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 की अनुसूची 'च' भाग XII-ख में यथाविनिर्धारित और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशानिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए।

रक्त ट्रांसफ्यूजन सेवाएं मेडिकल कॉलेज के अध्यापन रोग-विज्ञान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होनी चाहिए, जब कोई अलग ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग न हो।

ख.13 फार्मसी सेवाएं

अध्यापन अस्पताल में आने वाले बहिरंग रोगी मरीजों और आपातकालिक और अन्य मरीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 24 घंटे फार्मसी सेवाएं होंगी।

ख.14 धुलाई और खुराक संबंधी सेवाएं

अध्यापन अस्पताल में धुलाई और खुराक सेवाओं के लिए व्यवस्था होगी।

ख.15 अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन

चिकित्सा संस्थान को बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियमावली, 2018 और समय-समय पर यथाअधिसूचित विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। उनके पास बायोमेडिकल अपशिष्ट के पृथक्करण और डिसकार्डिंग के लिए एक सुपरिभाषित व्यवस्था सहित मानव मूल के बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक सुदृढ संस्थागत नीति होगी। अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधाएं केंद्रीय/राज्य कानूनों के अनुरूप होंगी।

अनुसूची -II - स्टाफ संबंधी आवश्यकताएं**क. सामान्य अभ्युक्तियां**

1. चिकित्सा शिक्षा में जोर, लघु समूहों में व्यावहारिक निर्देशों और प्रदर्शन पर होते हुए, अध्यापकों की संख्या, प्रभावी रूप से दिए जाने वाले इन निर्देशों में समर्थ बनने के लिए पर्याप्त, इस अनुसूची की व्यवस्था के अनुसार होनी चाहिए।
2. मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों का अध्यापन स्टाफ पूर्णकालिक होना चाहिए।
3. ये विनियम स्नातक-पूर्व चिकित्सा शिक्षा और रोगी भार की न्यूनतम शर्तें कवर करते हैं। तथापि, मेडिकल कॉलेज/संस्थान और अध्यापन अस्पताल/अस्पतालों के लिए नीचे दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था करना आवश्यक है:

क) कार्य भार के अनुपात में अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ प्रदान किया जाएगा।

ख) ओपीडी, इनडोर, ऑपरेशन थियेटरों और सघन देखभाल क्षेत्र, आपातकालिक देखभाल क्षेत्र, प्रसूति कक्ष, नैदानिक प्रयोगशालाओं में या आउटरीच कार्य के लिए, जहां कार्यभार अधिक है या विशेषज्ञता के स्वरूप वाला है, अतिरिक्त अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ भी आवश्यक होगा।

ग) ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अध्यापन स्टाफ आवश्यक होगा, जब "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" के अनुसार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ हो रहे हों।

4. अनुभवी अध्यापकों के साथ स्नातक-पूर्व छात्रों का अनुभव सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अध्यापन विभाग में उच्चतर पदों (प्रोफेसरों/एसोसिएट प्रोफेसरों) की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराई जाए।
5. मानव शरीररचना-विज्ञान, मानव शरीरक्रिया-विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान विभागों में, विभाग के कुल पदों की संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक गैर-मेडिकल अध्यापक नियुक्त किए जा सकते हैं। ऊपर उल्लिखित गैर-मेडिकल अध्यापकों और कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में सांख्यिकीविदों के पास अध्यापक पात्रता शैक्षिक योग्यता विनियमावली में दी गई शर्तों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उस विषय विशेष में शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।
6. सुपर-स्पेशियलिटी विभागों में फैकल्टी के रूप में नियुक्त शिक्षकों को व्यापक विशेष विभागों में स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षकों के पूरक के रूप में नहीं गिना जाएगा। हालांकि, एक व्यापक विशेषता विभाग में नियुक्त शिक्षक जिनकी सुपर-स्पेशियलिटी योग्यताएं हैं, उन्हें संबंधित व्यापक विशेषता विभाग में स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षकों को पूरक के रूप में गिना जाएगा।
7. विजिटिंग संकाय सदस्य : प्री-नैदानिक, पारा-पैदानिक और नैदानिक विभागों में स्नातक-पूर्व छात्रों के अध्यापन की गुणवत्ता और व्यापकता में वृद्धि करने की दृष्टि से मेडिकल कॉलेज/ चिकित्सा संस्थान अंशकालिक आधार पर अतिरिक्त संकाय सदस्य नियुक्त कर सकते हैं, जो प्रति वर्ष 100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए इस अनुसूची में विनिर्धारित न्यूनतम संकाय सदस्यों के अलावा "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विनियमावली" में यथाविनिर्धारित 'विजिटिंग संकाय सदस्य' के रूप में जाने जाएंगे। हालांकि, विजिटिंग फैकल्टी को इन विनियमों में निर्धारित फैकल्टी की आवश्यकता के लिए नहीं गिना जाएगा।

ख. स्टाफ संबंधी आवश्यकताएं

1. 100-250 एमबीबीएस छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए विभिन्न गैर-नैदानिक और नैदानिक विभागों में अध्यापन संकाय सदस्यों और ट्यूटर्स/प्रदर्शकों/वरिष्ठ रेजिडेंटों की आवश्यकताएं इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुबंध I-IV में यथाउपबंधित होंगी।

वांछनीय : न्यूनतम विनिर्धारित से 20% तक अतिरिक्त अध्यापन संकाय सदस्य उपलब्ध कराए जाएं।

प्रेरणात्मक : न्यूनतम विनिर्धारित से 30% या इससे अधिक अतिरिक्त संकाय सदस्य उपलब्ध कराए जाएं।

2. प्रत्येक विभाग में पूर्णकालिक प्रोफेसर के रैंक का एक विभाग प्रमुख होगा, जिसका विभाग पर समग्र नियंत्रण होगा, लेकिन त्वचा विज्ञान, मनोचिकित्सा और दंत चिकित्सा के विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर उस विभाग के प्रमुख हो सकते हैं जिनके पास विभाग का समग्र नियंत्रण होगा।
3. नैदानिक विभागों में विभागों के स्टाफिंग पैटर्न को एक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर, एक सहायक प्रोफेसर और एक वरिष्ठ रेजिडेंट वाली प्रत्येक इकाई के साथ इकाइयों के आधार पर मान्यता दी जाएगी। प्रति इकाई बिस्तरों की संख्या, एमबीबीएस छात्रों की विभिन्न वार्षिक प्रवेश क्षमताओं के लिए अनुबंध I-IV में दर्शाए गए अनुसार होगी।
4. नैदानिक विभागों के लिए दर्शाए गए स्टाफ के अलावा, अस्पताल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों जैसे वार्ड, सघन देखभाल क्षेत्र, प्रसूति कक्ष, आपातकालिक वार्ड और नैदानिक प्रयोगशाला तथा 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल के अन्वेषणात्मक विभाग में कार्यभार के अनुसार अतिरिक्त वरिष्ठ रेजिडेंट और कनिष्ठ रेजिडेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण विभागों की प्रत्येक इकाई में रोगी की देखभाल के लिए कम से कम 02 (दो) जूनियर रेजिडेंट्स होने चाहिए।

5. मानव शरीररचना-विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान, मानव शरीरक्रिया-विज्ञान, रोग-विज्ञान, भेषज-विज्ञान, सूक्ष्म जीव-विज्ञान और फोरेसिक मेडिसिन एवं विष-विज्ञान विभाग में, प्रयोगात्मक प्रयोगशाला को सहायता प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी स्टाफ होगा। जब कभी विभाग में भी अध्यापन अस्पताल की सहायता करने के लिए सेवा प्रयोगशालाएं हों तो पर्याप्त स्टाफ (तकनीकी और गैर-तकनीकी – दोनों) उपलब्ध कराया जाएगा।
6. प्रत्येक विभाग के पास यथापेक्षित पर्याप्त लिपिकीय स्टाफ होगा।
7. **अस्पताल स्टाफ** : अस्पताल के पास यथापेक्षित और वर्तमान मापदंडों के अनुरूप विभिन्न काडरों का पर्याप्त स्टाफ होगा। नर्सिंग स्टाफ, समय-समय पर भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा विनिर्धारित यथाविनिर्धारित मापदंडों के अनुरूप होगा।
8. **कम्युनिटी मेडिसिन** : इसमें ग्रामीण और शहरी प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए निम्नलिखित स्टाफ होगा:

क. ग्रामीण प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्टाफ (फील्ड कार्य सहित)

(i)	स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा अधिकारी (कम से कम एक लेडी मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए)	2
(ii)	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	2
(iii)	लोक स्वास्थ्य नर्स	1
(iv)	स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	1
(v)	स्वास्थ्य एज्यूकेटर	1
(vi)	तकनीशियन/तकनीकी सहायक	1
(vii)	स्टोर कीपर व रिकार्ड क्लर्क	1

ख. शहरी प्रशिक्षण स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्टाफ

(i)	स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सा अधिकारी (कम से कम एक लेडी मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए)	2
(ii)	चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	2
(iii)	लोक स्वास्थ्य नर्स	1
(iv)	स्वास्थ्य निरीक्षक	2
(v)	स्वास्थ्य एज्यूकेटर	1
(vi)	तकनीशियन/तकनीकी सहायक	2
(vii)	स्टोर कीपर व रिकार्ड क्लर्क	1

9. **फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास विभाग** : इसमें निम्नलिखित स्टाफ होगा:

(i)	प्रोफेसर	1
(ii)	एसोसिएट प्रोफेसर	1
(iii)	सहायक प्रोफेसर	1
(iv)	वरिष्ठ रेजिडेंट	2

- (v) अन्य स्टाफ में फिजियोथेरेपिस्ट, आक्युपेशनल थेरेपिस्ट, प्रॉस्थेटिक एवं आर्थोटिक तकनीशियन, मल्टी-रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता, स्पीच थेरेपिस्ट, काउंसलर, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और आवश्यकता के अनुसार अन्य स्टाफ शामिल होगा।

10. निम्नलिखित विभागों में निम्नलिखित सहायक स्टाफ उपलब्ध कराया जाएगा:

(i)	मनश्चिकित्सा	:	मनोचिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता	2
			क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक	1
(ii)	बाल रोग	:	बाल मनोवैज्ञानिक	1
(iii)	प्रसूति एवं स्त्री रोग	:	सामाजिक कार्यकर्ता	2
(iv)	नाक कान गला रोग-विज्ञान	:	आडियामीटरी तकनीशियन	1
			स्पीच थेरेपिस्ट	1
(v)	रेडियो थेरेपी	:	फिजिसिस्ट	1
(vi)	नत्ररोग-विज्ञान	:	ऑप्टोमीट्रिस्ट	1

11. सूक्ष्म जीव-विज्ञान विभाग में विषाणु विज्ञान प्रयोगशाला के लिए निम्नलिखित स्टाफ की आवश्यकता होगी:

(i)	संकाय सदस्य / विषाणु विज्ञान में प्रशिक्षित चिकित्सा सूक्ष्म जीव-विज्ञानी	1
(ii)	तकनीशियन (मोलेक्यूलर विषाणु विज्ञान में सुसंगत कार्य अनुभव वाले)	2
(iii)	मल्टी टास्किंग स्टाफ	1

12. केंद्रीय पुस्तकालय

(i)	पुस्तकालयाध्यक्ष (पुस्तकालय-विज्ञान में डिग्री सहित)	1
(ii)	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	2
(iii)	पुस्तकालय सहायक	4
(iv)	अन्य	यथापेक्षित

13. चिकित्सा शिक्षा इकाई

- (i) प्रभारी अधिकारी : डीन/प्रधानाचार्य
- (ii) एमईयू समन्वयकर्ता : प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर (डीन/प्रधानाचार्य द्वारा नामांकित किया जाएगा)।

चिकित्सा शिक्षा में एमसीआई बेसिक और एडवांस्ड पाठ्यक्रम या कोई अन्य एम.मेड., एमएचपीई, चिकित्सा शिक्षा में डिप्लोमा, एफएआईएमईआर फेलोशिप या आईएफएमई किया हुआ होना चाहिए।

- (iii) संकाय सदस्य : निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताओं के साथ संकाय के सभी काडरों सहित न्यूनतम आठ कोर संकाय सदस्य : मेडिकल चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में संशोधित बेसिक पाठ्यक्रम/एमसीआई बेसिक पाठ्यक्रम किया हुआ होना चाहिए। कम से कम 04 संकाय सदस्यों द्वारा अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता या प्रशिक्षण अर्थात् चिकित्सा शिक्षा में एमसीआई एडवांस्ड पाठ्यक्रम या कोई अन्य अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता जैसे एम-मेड., एमएचपीई और चिकित्सा शिक्षा में डिप्लोमा, एफएआईएमईआर फेलोशिप या आईएफएमई प्राप्त किए हुए होने चाहिए।
- (iv) सहायक स्टाफ यथापेक्षित

अनुसूची III

उपकरण (कॉलेज और अस्पतालों में विभिन्न विभागों के लिए)

टिप्पणी : ये सिफारिशें न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और अपेक्षित उपकरण के संबंध में संस्थानों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम आएंगी। यह कोई संपूर्ण सूची नहीं है और विभिन्न विभागों का स्टाफ विभागों को उपकरणयुक्त बनाने के लिए अपनी पहल और अनुभव का उपयोग करेगा।

1. मानव शरीररचना-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
(क)	सामान्य	
1	ड्रिल मशीन	यथापेक्षित
2	हैंडसा, वरीयतः मेटल की	यथापेक्षित
3	शरीर और अंग काटने के लिए बैंडसा	यथापेक्षित
4	ब्रेन नाइफ	यथापेक्षित
5	शवों के भंडारण के लिए मॉर्चुरी कूलर	यथापेक्षित
6	शव रखने के लिए भंडारण टैंक, चल/संचल, ड्यूरेबल टैंक, लिड वाला, इनपुट और आउटपुट सुविधा सहित	यथापेक्षित
7	नम्य और विच्छेदित भागों के भंडारण के लिए प्लास्टिक टैंक	यथापेक्षित
8	शव विच्छेदन के लिए विच्छेदन उपकरण	यथापेक्षित
9	ग्रास आटोनमी सेक्शनल अध्ययन के लिए पतले शरीर के विच्छेदन हेतु मीट कटिंग मशीन (ट्रांस और वर्टिकल)	यथापेक्षित
10	शवलेपन मशीन	1
(ख)	हिस्टोलॉजी प्रयोगशाला	
11	माइक्रोस्कोप, मोनोकूलर	60
12	विच्छेदन माइक्रोस्कोप	यथापेक्षित
13	माइक्रोटोम्स, रोटरी	यथापेक्षित
14	माइक्रोटोम्स, स्लेज, लार्ज कटिंग	यथापेक्षित

15	पैराफिन एम्बेडिंग बाथ	यथापेक्षित
16	फ्लैटनिंग सेक्शनों के लिए हॉट प्लेट	यथापेक्षित
(ग)	म्यूजियम	
17	आर्टिकुलेटेड स्केलटन सेट	यथापेक्षित
18	हड्डियां (डिश-आर्टिकुलेटेड) सेट	यथापेक्षित

2. मानव शरीरक्रिया-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
(क)	रुधिर-विज्ञान प्रयोगशाला	
1	माइक्रोस्कोप, ऑयल इमर्जन	60
2	डिमांस्ट्रेशन आई पीस	3
3	डबल डिमांस्ट्रेशन आई पीस	3
4	स्टेज इंक्यूबेटर	1
5	वेस्टर ग्रेन्स पाइप, स्टैंड पर ईएसआर के लिए (स्पेस पाइपेट के साथ)	20
6	स्टैंड वाला, ईएसआर और पीसीवी के लिए विंट्रोबे पाइपेट	20
7	हिमोग्लोबिन मीटर साहिल या हेलेज (स्पेसिज के साथ)	60
8	हिमोसाइटोमीटर	60
(ख)	नैदानिक शरीरक्रिया-विज्ञान	
9	ट्यूनिंग फोर्क टाइम मार्कर 100/सेकंड	2
10	इलेक्ट्रोड्स	2
11	स्पिरिट लैम्प	2
12	मारेज टंबोर	2
13	पेरिमीटर प्रिस्टले स्मिथ एस/एलपी 984 बीएंडटी	10
14	स्फिग्मोमैनोमीटर (डिजिटल) (पारा आधारित उपकरण को उपर्युक्त विकल्पों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा)	60
15	स्टेथोस्कोप्स	60
16.	स्टेथोस्कोप्स, मल्टीपल ईयर पीसेज सहित डिमांस्ट्रेशन	वांछनीय
17	पॉलिग्राफ	1
18	वेनस प्रेशर ऐपरेटस	1
19	स्पिरोमीटर, साधारण	15
20	गैस ऐनालिसिस ऐपरेटस, हैडन्स स्टूडेंट टाइप	1
21	वैन स्लाइक्स ऐपरेटस मैनोमेट्रिक	1

22	शेरिंगटन स्ट्रलिंग किमोग्राफ (विद्युत-चालित)	2
23	सीओ2, ओ2, एन2 के लिए गैस ऐनालाइजर आटोमेटिक	1
24	स्टिमुलेशन हेतु टैपिंग 2 और 4 वोल्ट्स के लिए कम वोल्टता का यूनिट	2
25	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम मार्कर	2
26	डोगलस बैग, संपूर्ण	1
27	बासल मेटोबोलिज्म ऐपरेटस	1
28	मोस्सोज एरगोग्राफ	10
29	नैदानिक थर्मोमीटर	60
30	कम्पास ऐस्थीसियोमीटर	30
31	थर्मो- ऐस्थीसियोमीटर	30
32	एल्गोमीटर	25
33	पैसिव संचालन हेतु ऐपरेटस	1
34	नी हार्मर	30
35	स्टेथोग्राफ	25
36	बाइसिकल एरगोमीटर	1
37	ओलफैक्टोमीटर	1
38	ऑपथैल्मोस्कोप	5
39	स्केमैटिक आई	1
40	फाकोस्कोप	1
41	चार्टों सहित पेरिमीटर (लिस्टर का)	2
42	कलर पर्सेप्शन लैन्टर्न एड्रिज ग्रीन	1
43	मैडॉक्स रॉड	1
44	न्यूटन्स कलर व्हील	1
45	श्रवण परीक्षण हेतु 32-10000 सीपीएस (सेट - 100, 256, 512 हर्ट्ज) ट्यूनिंग फोर्क	30
46	डाइनैमोमीटर	1
47	ओटोरहिनोलैरिंगोस्कोप	1
48	स्टॉप वाच	15
49	मल्टी चैनल फिजियोग्राफ, 3 चैनल, ऐक्सेसरीज सहित पूर्ण	2
50	ऐक्सेसरीज सहित स्टूडेंट फिजियोग्राफ (सिंगल चैनल)	6
51	सेंट्रीफ्यूज, टेक्नोमीटर सहित उच्च गति	1
52	कोलोरीमीटर, फोटोइलेक्ट्रिक	1

53	मायोग्राफ स्टैंड	1
54	pH मीटर इलेक्ट्रिक	1
55	इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर	1
56	थर्मोमीटर, बैलेंसिज, माइक्रोस्लाइड्स और ग्लासवेयर	यथापेक्षित
57	डिजिटल फिजियोग्राफ	1
58	ईसीजी मशीन	2

3. जीवरसायन विज्ञान विभाग

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
1	ऐनालिटिकल संतुलन : 200 ग्राम/1ग्राम तक वर्धित	2
2	कैलिब्रेटिड यूरिनोमीटर (पारा आधारित उपकरण को उपर्युक्त विकल्पों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा)	25
3	हॉट वायु ओवन (200 लिटर से अधिक)	2
4	डिजिटल कोलोरीमीटर्स	5
5	स्टूडेंट माइक्रोस्कोप	10
6	सुइयों सहित ग्लूकोमीटर (पीओसीटी के लिए)	10
7	थर्मोमीटर 0-250 डिग्री सेल्सियस	5
8	सेमि आटोऐनालाइजर	2
9	बॉयलिंग वाटर बाथ्स	2
10	सतत ताप जल स्नान टैंक क्षमता : (तापमान की रेंज 5 से 80 डिग्री सेल्सियस)	1
11	≥ 8 ट्यूबों हेतु सेंट्रीफ्यूज नैदानिक	2
12	व्यापक रेंज का पीएच मीटर	5
13	स्थिर वॉल्यूम पाइपेट्स – 1 एमएल, 0.5 एमएल, 0.2 एमएल, 0.1 एमएल और 0.02 एमएल	10 (प्रत्येक वॉल्यूम का)
14	बॉटल डिसपेंसर	यथापेक्षित
15	वैरिएबल और स्थिर वॉल्यूम माइक्रो आटो पाइपेट्स	यथापेक्षित
16.	ईएलआईएसए (डिमांस्ट्रेशन)	डिमांस्ट्रेशन
17	वैक्यूटेनर ट्यूब	डिमांस्ट्रेशन
18	पीसीआर मशीन	डिमांस्ट्रेशन
19	एबीजी मशीन	डिमांस्ट्रेशन
20	आटोऐनालाइजर (संस्थान में अथवा कहीं भी दौरे पर)	डिमांस्ट्रेशन
21	पेपर और टीएलसी हेतु संपूर्ण क्रोमैटोग्राफिक यूनिट	प्रत्येक 2
22	विद्युत आपूर्ति सहित संपूर्ण इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐपरेटस (पेपर, पेज,	प्रत्येक 1

	अगारोज)	
23	कंप्यूटर सहित डेन्सिटोमीटर	1
24	बोरटेक्स मिक्सर्स	2
25	इंक्युबेटर 37° सेल्सियम	2
26	फ्यूम कपबर्ड	1
27	डिजिटल ऐनालिटिकल बैलेंस	1
28	बैलेंस माइक्रो	1
29	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	1

4. रोग-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
(क)	सामान्य	
I	छात्रों हेतु हिस्टोपैथोलॉजी/ साइटोपैथोलॉजी	
1	छात्रों हेतु – स्कैनर सहित एलईडी बाइनोकुलर, 10एक्स, 40एक्स, एवं ऑयल इमर्सन लेन्सेज और अंतःनिर्मित बैटरी बैकअप पावर स्रोत	60
II	छात्रों हेतु हेमेटोलॉजी	
2	स्टॉप वाप रीडिंग ऐट 1/5 सेकंड	5
3	लाल और सफेद पाइपेटों वाला हेमासाइटोमीटर	90
4	स्लाइडों हेतु स्टैनिंग जार	यथापेक्षित
III	छात्रों हेतु नैदानिक पैथोलॉजी	
1	यूरिनोमीटर (पारा आधारित उपकरण को उपर्युक्त विकल्पों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा)	यथापेक्षित
2	सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स ग्रैजुएटेड	यथापेक्षित
3	100 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक विभिन्न क्षमताओं के लिए ग्रैजुएटेड सिलिंडर (छात्रों हेतु)	यथापेक्षित
4	डिस्पोजल टिपों सहित विभिन्न आकार के पाइपेट्स (छात्रों हेतु)	यथापेक्षित
5	रिजेंट बॉटल (छात्रों हेतु)	यथापेक्षित
6	ड्रॉपिंग बॉटल (छात्रों हेतु)	यथापेक्षित
7	रिपेंट्स (छात्रों हेतु)	यथापेक्षित
(ख)	मोर्बिड हिस्टोलॉजी और मोर्बिड ऐनाटॉमी	
1	मैनुअल रोटरी माइक्रोटोम	2
2	आटोमेटेड रोटरी माइक्रोटोम	1
3	क्राइसोटैट	1

4	हॉट प्लेट	2
5	पैराफिन एम्बेडिंग बाथ	2
6	हीटिड पैराफिन एम्बेडिंग मॉड्यूल	2
7	मॉड्यूलर टिशु एम्बेडिंग सिस्टम हेतु कोल्ड प्लेट	1
8	आटोमेटेड टिशु प्रोसेसर – हिस्टोकिनेट	2
9	आटोक्लेव	2
10	अल्ट्राप्योर वाटर सॉल्यूशंस – डिस्टिल्ड जल संयंत्र	1
11	वाटर बाथ	1
12	सेंट्रीफ्यूज मशीन	5
13	कम से कम 20 मेगापिक्सेल का डिजिटल एसएलआर, वाइड एंगल जूम लेन्सेज, फ्लैश और अन्य ऐक्सेसरीज माइक्रो सहित	1
14	डिजिटल आटोमैटिक कैमरा 5 मेगापिक्सल से कम	1
15	पूर्णतः स्वचालित उच्च थ्रोपुट मल्टी स्टैनर वर्कस्टेशन	1
16	पूर्णतः स्वचालित एम्बेडिंग प्रणाली (हीटिड एम्बेडिंग मॉड्यूल और कोल्ड प्लेट)	1
17	पूर्णतः स्वचालित नम्य कवरस्लिपिंग वर्कस्टेशन	1
18	स्टैंडअलोन पैराफिन डिस्पेंसिंग मॉड्यूल कोल्ड प्लेट होल्लिंग 100 कैसेटों से अधिक	1
19	स्टैंड-अलोन कोल्ड प्लेट	1
20	कोप्लिन जार	यथापेक्षित
21	वाटर बाथ (टिशु फ्लोटेशन)	यथापेक्षित
22	सिंगल पैन डिजिटल बैलेंस, केमिकल	2
23	बैलेंस, भार सहित रसायन	2
24	माइक्रोस्कोप	
25	नैदानिक और अनुसंधान कार्य हेतु – ट्राइनोकुलर हेड माइक्रोस्कोप विद ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लूरोसेंट एवं पोलाराइजिंग फैसिलिटी, हाई एंड अपोक्रोमैटिक लेन्सेज सहित कैमरा एचडीएमआई मल्टी आउटपुट कैमरा कम से कम 5 एमपी सहित, प्रोजेक्टर एवं अल्ट्रा एचडी टीवी 52 इंच से कम और स्क्रीन, सॉफ्टवेयर कैपेबल ऑफ ब्राइटफील्ड एवं इम्यूनोफ्लूरोसेंस फोटोग्राफी सहित, प्रोजेक्टर एवं एलईडी टीवी की संयोजनीयता सहित (कम से कम 55 इंच अल्ट्रा एचडी)	1
26	पेंटा हेड माइक्रोस्कोप विद हाई एंड ऑप्टिक्स विद एचडीएमआई मल्टी आउटपुट फोटोग्राफिक कैमरा (5 एमपी से कम) सॉफ्टवेयर सहित	1

27	डेका हेड माइक्रोस्कोप विद हाई एंड ऑप्टिक्स विद एचडीएमआई मल्टी आउटपुट फोटोग्राफिक कैमरा (5 एमपी से कम) सॉफ्टवेयर सहित	1
28	ग्रॉसिंग स्टेशन – स्टेनलैस स्टील, नियंत्रण पैनल सहित, वायु फिल्ट्रेशन प्रणाली, ट्रैक माउंटेड समायोज्य कंप्यूटर आर्म आर्टिकुलेशन सहित, कलर एंड इनटेंसिटी वाली एलईडी लाइट्स, समायोज्य कैमरा कंट्रोल, डेडिकेटेड यूएसबी पोर्ट्स और डाटा अंतरण समायोज्य, इंटेग्रेटेड पैथोलॉजी कैमरा प्रणाली, इंस्ट्रूमेंट सेट (उच्च गुणवत्ता) ऊंचाई समायोज्य स्टेनलैस स्टील चेरस, स्पलिट एसी उपयुक्त क्षमता का।	1
29	पूर्णतः स्वचालित इम्यूनो-हिस्टो-केमिस्ट्री सेटअप, महत्वपूर्ण ऐन्टिबाँडीज की सतत आपूर्ति सहित, लिम्फोमा पैनल आदि	1
(ग)	हेमाटोलॉजी प्रयोगशाला:	
30	पांच भाग पूर्णतः स्वचालित सेल काउंटर	1
31	तीन भाग पूर्णतः स्वचालित सेल काउंटर	1
32	कोएगुलोमीटर (पूर्णतः स्वचालित)	1

5. भेषज-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
(क)	नैदानिक फार्मैसी	
1	स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसेकि मीटरयुक्त डोज इनहेलर्स, स्पेसर्स, रोटहेलर्स, नसल स्प्रे, ट्रांसडरमल पैचिज, इंसुलिन इनफ्यूजन पम्प (वैकल्पिक), इंसुलिन पेन आदि।	10 सेट
2	विभिन्न प्रकार के आकारों की खुराकों के नमूने, रैशनल और इरैशनल एफडीसी सहित, आवश्यक दवाएं	10 सेट
3	इंट्रावेनस इंजेक्शन, एनिमिया, लोकल, इंट्रामसकुलर इंजेक्शंस, इंट्रकार्डियक इंजेक्शन और ड्रग प्रशासन के अन्य रूटों के प्रदर्शन हेतु मैनिकिन्स।	10 सेट
(ख)	कंप्यूटर सहायता-प्रदत्त ज्ञानार्जन प्रयोगशाला	
4	इसमें मानक कनफिगरेशन के साथ कम्प्यूटर होने चाहिए और ये दृश्य-श्रव्य उपकरण (मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर और स्क्रीन) के साथ इंटरनेट के साथ (वरीयतः ब्रॉडबैंड के साथ) अवश्य जुड़े होने चाहिए। प्रयोगात्मक भेषज-विज्ञान के अध्यापन के लिए सीएएल कार्यक्रमों वाले पीसी तथा अन्य सॉफ्टवेयर संस्थापित किए जाने चाहिए। छात्रों की पहुंच राष्ट्रीय अनिवार्य ड्रग सूचियों, मानक उपचार दिशानिर्देशों, सीडीएससीओ की निषिद्ध ड्रग सूची, पीवीपीआई, डब्ल्यूएचओ, मूल्य नियंत्रित ड्रग सूची, ऐन्टिबायोटिक	25 कंप्यूटर

	दिशानिर्देशों, अस्पताल फार्मलरी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन तथा अन्य संसाधन सामग्रियों तक होनी चाहिए, जिसका इस्तेमाल छात्र तर्कसंगत प्रेसक्राइबिंग के सिद्धांत जानने के लिए कर सकते हैं।	
--	---	--

6. सूक्ष्म जीव-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
(क)	छात्रों के लिए	
1	माइक्रोस्कोप (जैसाकि पैथोलॉजी में विनिर्दिष्ट है)	यथापेक्षित
2	कल्चर प्लेट्स/पेट्री डिशेज	यथापेक्षित
3	पाश्चर पाइपेट्स सहित ग्लास बेयर्स	यथापेक्षित
4	स्लाइडों को गर्म करने की सुविधा	यथापेक्षित
(ख)	सामान्य	
1	ऐनेरोबिक ऐपरेटस	2
2	आटोकलेव	2
3	बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल	1
4	बायोसेफ्टी केबिनेट टाइप – 2ए	3
5	बीओडी इनक्यूबेटर	1
6	सेंट्रीफ्यूज	3
7	सीओ2 इनक्यूबेटर/कैंडल जार	2
8	कंप्यूटर यूनिट	2
9	डीप फ्रीज – 20° सेल्सियम और डीप फ्रीजर	प्रत्येक 1
10	शोधन जल संयंत्र	1
11	एलिसा रीडर	1
12	एलिसा वाशर	1
13	हॉट एयर ओवन	2
14	इनक्यूबेटर	2
15	लैब रेफ्रीजरेटर (कम से कम 400 लिटर)	3
16.	लैमिनार फ्लो	1
17	माइक्रोमीटर आई पीसेज	1
18	माइक्रोमीटर स्टेज	1
19	माइक्रोस्कोप बाइनोकुलर	प्रत्येक संकाय
20	माइक्रोस्कोप विद यूनिवर्सल कंडेंसर कंटेनिंग ऑयल इमर्सन, ब्राइट फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट एवं डार्क ग्राउंड	1

21	पीएच डिटर्मिनेशन ऐपरेटस	2
22	सीरम इन्स्पेक्टर्स	1
23	वीडीआरएल शेकर	1
24	वोरटेक्स मिक्सर	2
25	वाटर बाथ विद वैरिएबल टेम्परेचर	2
26	छात्रों के माइक्रोस्कोप हेतु ऑयल इमर्सन लेन्स	25
27	आटोमेटेड रुधिर कल्चर प्रणाली	1
28	कालोनी काउंटर	1
(ग)	कल्चर और सेरोलॉजिकल निदान हेतु कंज्यूमेबल्स	
29	ऐन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी परीक्षण हेतु ऐन्टिबायोटिक डिस्कस	यथापेक्षित
30	ऐन्टिबायोटिक जोन स्केल	यथापेक्षित
31	ऐन्टिसेरा-सलमोनेल्ला	यथापेक्षित
32	ऐन्टिसेरा - शिगोलाडिसेंट्रिएज	यथापेक्षित
33	ऐन्टिसेरा - शिगोलाफ्लेक्शनरी	यथापेक्षित
34	ऐन्टिसेरा - शिगोलासोनी	यथापेक्षित
35	ऐन्टिसेरा - वाइब्रियो कोलेरा	यथापेक्षित
36	एटीसीसी स्ट्रेन - एंटेरोकोकस फेसेलिस 29213	यथापेक्षित
37	एटीसीसी स्ट्रेन - ई.कॉल 25922	यथापेक्षित
38	एटीसीसी स्ट्रेन - ई.कॉल 35218	यथापेक्षित
39	एटीसीसी स्ट्रेन - स्युडोमोनस एजुजिनोसा 27853	यथापेक्षित
40	एटीसीसी स्ट्रेन - स्टैफिलोकोकस औरस 25923	यथापेक्षित
41	एटीसीसी स्ट्रेन - स्टैफिलोकोकस औरस 29213	यथापेक्षित
42	रुधिर कल्चर हेतु बोतलें	यथापेक्षित
43	माइक्रोपिपेट्स - बहु चैनल एवं एकल चैनल	यथापेक्षित
44	विभिन्न तापमानों के डिजिटल थर्मोमीटर	यथापेक्षित
(घ)	बीएसएल 2 प्रयोगशाला	
45	यूपीएस सहित -80° सेल्सियस डीप फ्रीजर	1
46	फ्लूरोफोर डाइज हेतु कैलिब्रेटेड रियल-टाइम पीसीआर मशीन, यूपीएस सहित (2 संख्या, 2केवीए प्रत्येक, 2 घंटे के बैक-अप सहित)	1
47	माइक्रोसेंट्रिफ्यूज/रेफ्रिजरेटेड सेंट्रिफ्यूज	1
48	(क) निजी संरक्षण उपकरण (पीपीई) (ख) वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम)	यथापेक्षित

	(ग) अन्य सभी कंज्यूमेबल्स और किटें, जोकि विषाणु विज्ञान अध्ययन के लिए आवश्यक हैं	
--	--	--

7. फोरेंसिक मेडिसिन एवं विष-विज्ञान

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
1	निम्नलिखित सहित ऐन्थ्रोपोमेट्रिक सेट	1
	(क) 7 फुट तक फोल्डिंग मेटल रॉड	
	(ख) ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड	
	(ग) क्रैनियोमीटर	
	(घ) मांडिबुलोमीटर	
	(ङ) गोनियोमीटर	
	(च) वर्नियर कैलिपर्स	
	(छ) ऊंचाई रिपोर्ट करने हेतु उपकरण	
	(ज) मानव भार मापने वाली डायल टाइप मशीन	
2	डिजिटल पीएच मीटर	1
3	डिजिटल स्पेक्टोफोटोमीटर	1
4	केमिकल बैलेंस	1
5	डिस्टिलेशन संयंत्र	1
6	रेफ्रिजरेटर	1
7	सेंट्रिफ्यूज	1
8	स्लाइड वार्मिंग टेबल	1
9	हॉट प्लेट	1
10	समायोजित किए जा सकने वाले सिल्ट सहित स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेन्स	2
11	पूरा डिस्सेक्शन सेट	2
12	डिजिटल बीपी इंस्ट्रूमेंट	2
13	स्टेथोस्कोप	2
	मेडिको विधिक कार्य	
14	मुर्दों के लिए शीत भंडारण	यथापेक्षित
15	मुर्दों के लिए भारतोलन मशीन	1
16	आटोप्सी मेज	यथापेक्षित
17	स्ट्राइकर टाइप आटोप्सी साँ एक्सेसरीज सहित	2
18	अंगों के लिए भार तोलन मशीन	2

19	फिटस हेतु भार तोलन मशीन	2
20	पूरा डिस्सेक्शन सेट	4
21	ब्रेन नाइफ	2
22	हैक सा	2
23	बायां और दायां रिब शियर	प्रत्येक 1
24	नापने वाली टेप (स्टील टेप रोल)	2
25	मैग्निफाइंग लेन्स	2
26	एक्सरे व्यू बॉक्स (4 इन 1)	1
27	बायां और दायां दांत एक्सट्रैक्टर	1
28	हैंड सेट हीट सीलर	1
29	इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली	यथापेक्षित
30	रेक्टल थर्मोमीटर	1
31	पोर्टेबल एक्स-रे मशीन (रेडियोलॉजी विभाग के साथ इस्तेमाल की जा सकती है)	1
	मेडिको विधिक कार्य हेतु अतिरिक्त उपकरण, 500 पोस्टमार्टम वार्षिक से अधिक प्रत्येक 500 मेडिको विधिक पोस्टमार्टम हेतु	
32	मुर्दों के लिए शीत भंडारण	यथापेक्षित
33	आटोप्सी मेज	यथापेक्षित
34	एक्सेसरीज सहित स्ट्राइकर टाइप आटोप्सी सा	1
35	अंगों को तोलने हेतु भारतोलन मशीन	1
36	फिटस हेतु भारतोलन मशीन	1
37	पूरा डिस्सेक्शन सेट	1
38	ब्रेन नाइफ	2
39	हैक सा	2
40	बायां और दायां रिब शियर	प्रत्येक 1
41	नापने वाली टेप (स्टील रोल)	2
42	मैग्निफाइंग लेन्स	2

8. कम्युनिटी मेडिसिन

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
1	हाइड्रोमीटर, दुग्ध	2
2	विद्युतीय इनक्यूबेटर (माइक्रोबायोलॉजी से लिया जा सकता है)	1
3	फूड स्टाफ तोलने हेतु तराजू (2 किलोग्राम की क्षमता की)	1
4	सेंट्रीफ्यूज क्लिनिकल	1

5	प्रौढ़ भारतोलन मशीन	6
6	शिशु भारतोलन मशीन	2
7	साल्टर्स शिशु भारतोलन मशीन	2
8	हारपेंडर कैलिपर्स (स्किनफोल्ड मोटाई हेतु)	2
9	ऊंचाई नापने वाला स्टैंड	3
10	रेफ्रिजरेटर 9 क्यूबिक फुट	3 + आरएचटीसी और यूएचटीसी में प्रत्येक के लिए एक अतिरिक्त
11	आइस लाइंड रेफ्रिजरेटस (आईएलआर) (स्वास्थ्य केंद्र पर)	1
12	स्मार्ट टीवी	3 (कॉलेज में 1 और केंद्रों में 2)
13	छात्रों/संकाय/पैरामेडिकल स्टाफ को आरएचटीसी और यूएचटीसी लाने-ले जाने हेतु वाहन	1 बस (क्षमता 32) एवं एक एसयूवी
14	स्क्रीन सहित मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	2
15	जन संबोधन प्रणाली (फील्ड आधारित क्रियाकलापों के लिए 2 पोर्टेबल और आरएचटीसी तथा यूएचटीसी हेतु प्रत्येक के लिए एक)	4 सेट
16	क्लोरोस्कोप	10
17	होरोक्स ऐपरेटस	3
18	एमयूएसी टेप	10
19	हेमोग्लोबिनोमीटर	5
20	बीपी ऐपरेटस (डिजिटल)	10
21	स्टेथोस्कोप	10
22	साउंड लेवल मीटर	3
23	किसी भी गहराई से जल नमूना बोतल	1
24	नीडल श्रेडर	3
25	वैक्सिन कैरियर	5
26	क्राफ्ट वाटर टेस्टिंग किट	1
27	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुसार उपचार किटें	प्रत्येक 3
28	आयोडीन परीक्षण किट	10
29	ग्लूकोमीटर	10
30	मॉस्किटो कैचिंग किट	1
31	क्लिनिकल थर्मोमीटर	10
32	प्रथमोपचार किट	1
33	ओटोस्कोप	1
34	ऑपथैल्मोस्कोप	1

9. कौशल प्रयोगशालाएं

(i) निम्नलिखित के लिए ट्रेनर सिमुलेटर/मॉडल्स/मैनेक्विंस:

- प्रथमोपचार, मरहमपट्टी, स्पिलिंग
- मूल जीवन समर्थन (बीएलएस), सीपीआर (कार्डियो पुलमोनरी रिससाइटेशन) मैनेक्विन
- विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन – सबकुटेनियस, इंटरा-मस्क्युलर, इंटरा-वेनस
- यूरिन कैथेटर अंतर्वेशन
- स्किन एवं फेसिया सीवन
- वक्ष जांच मॉडल/मैनेक्विन
- ग्यानेकोलॉजिकल जांच मॉडल/आईयूसीडी सहित मैनेक्विन (इंटरा यूट्रीन कांटासेप्टि डिवाइस) प्रशिक्षण मॉडल
- प्रसूति जांच, वैजाइनल डिलीवरी संचालन और प्रबंधन सहित प्रसूति मैनेक्विंस
- नवजात एवं बालरोग रिससाइटेशन मैनेक्विंस
- पूर्ण शरीर मैनेक्विंस
- ट्रामा मैनेक्विंस

(ii) प्रत्येक मॉडल (निम्न या उच्च फिडेलिटी) में उद्देश्यों, पद्धतियों और मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण के लिए एक मॉड्यूल होना चाहिए। मॉड्यूलों में हाईब्रिड मॉडल भी हो सकते हैं, जहां वास्तविक मरीजों या मानकीकृत/सिमुलेटेड मरीजों/कंप्यूटर सिमुलेशनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

(iii) पर्याप्त कंप्यूटरों वाली सीएएल लैब के लिए स्थान भी हो सकता है।

10. नैदानिक विभाग

- (i) सभी नैदानिक विभागों में मानक नैदानिक देखभाल और उपचार की व्यवस्था के लिए यथाप्रत्याशित सभी उपकरण होने चाहिए।
- (ii) प्रत्येक नैदानिक विभाग में स्नातक-पूर्व छात्रों के लिए प्रदर्शन हेतु आवश्यक उपकरणों का एक अलग सेट उपलब्ध होना चाहिए।

10.1 विकिरण निदान विभाग

क्रम सं.	मदों का नाम	अपेक्षित संख्या
1	स्टैटिक एक्स-रे यूनिट (डिजिटल)	3 (कम से कम 2 ≥ 500 mA)
2	आईआईटीवी सुविधाएं	उपलब्ध
3	सीआर प्रणाली	उपलब्ध
4	संचल एक्स-रे इकाइयां ≥ 60 mA	2
5	कलर डोपलर सहित अल्ट्रासोनोग्राफी उपकरण	3
6	सीटी स्कैन मशीन (≥16 स्लाइस)	1
7	एमआरआई (150 या इससे कम की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए वांछनीय; 200 और इससे अधिक की वार्षिक प्रवेश क्षमता के लिए अनिवार्य)	1

10.2 आपातकालिक मेडिसिन विभाग

क्रम सं.	मर्दों का नाम	अपेक्षित संख्या
1	आईसीयू बिस्तरे (रेलिंग्स और पहियों के साथ, मरीज को ले जाने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए)	06
2	आपातकालिक बिस्तरे/ट्रालियां (रेलिंग्स और पहियों के साथ, मरीज को ले जाने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए)	24
3	केंद्रीय ऑक्सीजन और चूषण पॉइंट	सभी बिस्तरो/ट्रालियों पर
4	नवजात, शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों सहित सभी आयु समूहों के लिए समुचित सहायक उपकरणों वाले हृदयी मॉनिटर्स (ईटीसीओ2 सुविधा सहित)	सभी आईसीयू और 'रेड' बिस्तरो/ट्राली के लिए
5	हृदयी मॉनिटर्स (एनआईबीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन और हृदय गति के लिए) (कम से कम दो मॉनिटरों पर अतिरिक्त पल्स ऑक्सीमीटर प्रॉब और नवजातों, शिशुओं, बच्चों और किशोरों के लिए रक्तचाप कपस होने चाहिए)	सभी 'ग्रेलो' बिस्तरो/ट्रालियों के लिए
6	नवजातों, शिशुओं, बच्चों और किशोरों सहित सभी आयु समूहों के लिए प्रॉक्स वाले पल्स ऑक्सीमीटर	02
7	बाह्य स्पेसर वाले डीफाइब्रलेटर (बाल आयु समूह के लिए पेडल्स/अतिरिक्त उपकरणों के साथ)	आईसीयू के लिए एक और 'रेड' क्षेत्र के लिए 1
8	ईसीजी मशीन (12 लीड)	02
9	आईसीयू वेंटिलेटर्स (यह नवजातों और बच्चों को भी संवातित करने की सुविधा के साथ सार्वभौमिक वेंटिलेटर्स होने चाहिए)	प्रत्येक आईसीयू और 'रेड' क्षेत्र बिस्तरो/ट्रालियों के लिए
10	परिवहन वेंटिलेटर्स (50 एमएल तक निम्न टाइडल वॉल्यूम प्रदान करने की सुविधा के साथ और इसमें दबाव नियंत्रण मोड होना चाहिए)	02
11	एचएचएचएफएनसी (हीटेड ह्युमिडिफाइड हाई-फ्लो नेज़ल कैनुला) सभी आयु समूहों (नवजातों, शिशुओं, बच्चों, किशोरों और वयस्कों) के लिए सर्किटों और इंटरफेसों के साथ	02
12	ट्रालियां/फोव्लर बिस्तरे	बिस्तरो/ट्रालियों की कुल संख्या के अनुसार जमा मरीज प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ट्रालियां (आपातकालिक मेडिसिन विभाग में मरीजों की कुल उपस्थिति का 10 प्रतिशत)
13	इनफ्यूजन पम्प	2 प्रति आईसीयू बिस्तरे और 'रेड' बिस्तरे/ट्राली; एक प्रति 'ग्रेलो' बिस्तरे/ट्राली
14	ईसीएचओ जांच सहित मल्टीपल जांचों वाला वहनीय अल्ट्रासाउंड (बच्चों/शिशुओं के मूल्यांकन के लिए जांचों सहित)	02

15	वहनीय एक्स-रे इकाई	01
16	रीससाइटेशन कार्ट	आईसीयू के लिए एक और 'रेड' क्षेत्र के लिए एक
17	कृत्रिम सेल्फ इनफ्लेटिंग ब्रीदिंग बैग	4 सेट (वयस्क, बाल, शिशु और नवजात) फेस मास्कों सहित – सभी आकार के
18	नवजातों, शिशुओं और बच्चों के लिए आकारों सहित सभी आकार के ब्लेडों (सीधे और घुमावदार) वाले लैरिंगोस्कोप	4 सेट
19	कार्डियक एंजाइम्स, एबीजी और इलेक्ट्रोलाइट्स के गुणात्मक आकलन के लिए पॉइंट ऑफ केयर प्रयोगशाला	कम से कम 1
20	ऑक्सीजन सिलिंडर	04
21	वहनीय चूषण मशीनें	04
22	अल्ट्रासोनिक नैबुलाइजर्स	04
23	सभी आकारों के स्कोच और सलिंग्स वाले स्पाइन बोर्ड	02
24	फ्रैक्चरों के सभी प्रकारों के लिए खपचियां	यथापेक्षित
25	सीवन और घाव की देखभाल के लिए मूलभूत उपकरण	यथापेक्षित
26	ग्लूकोमीटर	02
27	एसीएलएस, बीएलएस और एयरवेज मैनेक्विस (बाल और वयस्क के लिए)	प्रत्येक के लिए 1
28	सीवन मैनेक्विस	01
29	बासिनेट वाले इनफैंट रेडिगेंट वार्मर	02
30	ब्लड और फ्लुइड वार्मर	01
31	इलेक्ट्रिक वार्मिंग कंबल	01
32	रैपिड आटोक्लेव मशीन	01
33	लेबर कोर्ट	01

11. चिकित्सा शिक्षा इकाई

इस इकाई के उपकरण समय-समय पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड द्वारा यथाविनिर्धारित होंगे।

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/आसा./322/2020-21]

अनुलग्नक I : नया मेडिकल कालेज की स्थापना तथा वार्षिक 100 एमबीबीएस प्रवेशों के वार्षिक नवीकरण हेतु आवेदक कालेजों द्वारा आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता	
1.	व्याख्यान थियेटर * (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	2	2	3	3	4	4
		ख) क्षमता	120	120	120	120	120	120
2.	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं	कालेज में	3	8	8	8	8	8
3.	शिक्षण कक्ष	क्षमता @ 25 छात्र	2	2	2	2	2	2
		@ 50 छात्र	1	1	1	1	1	1
4.	केंद्रीय पुस्तकालय	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		ख) बैठने की क्षमता	200	200	200	200	200	200
		ग) पुस्तकें	1500	1500	3000	3000	3000	3000
		घ) पत्रिकाएं	10	20	30	30	30	30
5.	छात्रावास	क) छात्र @75%	75	150	225	300	375	450
		ख) इंटर्न @75%	-	-	-	-	-	75
	बिस्तरों का वितरण							
6.	मेडिसिन एवं संबद्ध	क) जनरल मेडिसिन	78/3	आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।	100/4	100/4		
		ख) बाल रोग	24/1		50/2	50/2		
		ग) तपेदिक एवं वक्ष	10/1		10/1	10/1		
		घ) त्वचा	10/1		10/1	10/1		
		ड.) मनश्चिकित्सा	10/1		10/1	10/1		
		जोड़	132/7		180/9	180/9		
7.	शल्य चिकित्सा एवं संबद्ध	क) जनरल सर्जरी	78/3		100/4	100/4		
		ख) अस्थि रोग विज्ञान	25/1		50/2	50/2		
		ग) नेत्ररोग विज्ञान	10/1		10/1	10/1		
		घ) कान-नाक-गला	10/1		10/1	10/1		
		जोड़	123/6		170/8	170/8		
8.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	25/1		25/1	25/1		
		ख) स्त्रीरोग विज्ञान	20/1	25/1	25/1			
		जोड़	45/2	50/2	50/2			

* यदि अस्पताल और मेडिकल कालेज एकात्मक परिसर में नहीं है, तो अस्पताल में 120 छात्रों के बैठने की क्षमता का एक अतिरिक्त व्याख्यान थियेटर उपलब्ध होना चाहिए।

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं		अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता						
	पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों के लिए													
9.	मेडिसिन एवं संबद्ध	क) जनरल मेडिसिन	72/3	आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।		100/4		100/4						
		ख) बाल रोग	18/1			50/2		50/2						
		ग) श्वसनी रोग विज्ञान	6/1			10/1		10/1						
		घ) त्वचा रोग विज्ञान	6/1			10/1		10/1						
		ड.) मनश्चिकित्सा	6/1			10/1		10/1						
		जोड़	108/7			180/9		180/9						
10.	शल्यचिकित्सा एवं संबद्ध	क) जनरल सर्जरी	68/3			आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।			100/4		100/4			
		ख) अस्थि रोग विज्ञान	24/1						50/2		50/2			
		ग) नेत्ररोग विज्ञान	10/1						10/1		10/1			
		घ) कान-नाक-गला	10/1						10/1		10/1			
		जोड़	112/6	170/8	170/8									
11.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	20/1	आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।			25/1				25/1			
		ख) स्त्रीरोग विज्ञान	10/1				25/1				25/1			
		जोड़	30/2				50/2				50/2			
	सकल जोड़ (क)		300/15				आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।					400/19		400/19
12.	आपातकालीन मेडिसिन		30/1									30/1		30/1
	सकल जोड़ (ख)		330/16			430/20		430/20						
	पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों का सकल जोड़		280/16			430/20		430/20						
13.	बहिरंग रोगी विभाग (मरीज प्रति दिन)		400			500		600		800		800		800
14.	विस्तरों की आक्यूपैसी (%)		60%			60%		60%		75%		75%		75%
15.	ओ.टी	क) मेजर ओ.टी.	4			4		5		7		7		7
		ख) लघु ओ.टी.	प्रत्येक सर्जिकल विशेषता के पास कम से कम एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित लघु ओ.टी. होना चाहिये।											
16.	आईसीयू	आईसीसीयू	5	5	5	5		5	5					
		आईसीयू	5	5	5	5		5	5					
		शल्य चिकित्सा आईसीयू	5	5	5	5	5	5						
		पीआईसीयू	5	5	5	5	5	5						
		एनआईसीयू	5	5	5	5	5	5						
		स्त्री रोग एच.डी.यू./आई.सी.यू./ एन.आई. सी. यू.	5	5	5	5	5	5						

17.	विकिरण विज्ञान	क) स्टैटिक इकाई—कम से कम 2 > 500mA (डीआर/सीआर सिस्टम)	2	2	2	3	3	3
		ख) सचल इकाई >60 mA	2	2	2	3	3	3
		ग) यूएसजी (रंगीन डॉप्लर के साथ)	2	2	2	3	3	3
		घ) सीटी स्कैन (>16 स्लाइस - स्पाइरल)	-	-	1	1	1	1
18.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से, इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)						
19.	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से, इससे संबद्ध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)						

अनुलग्नक I(क) : वार्षिक 100 एमबीबीएस प्रवेशों के लिए संकाय एवं रेजीडेंटों हेतु शर्तें

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
शरीर रचना विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	3	3	3
शरीर रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	3	3	3
जीव रसायन विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	3	3	3
भेषज विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	3	3	3	3	3
रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3

	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	4	4	4	4	4
सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	4	4	4	4	4
फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	2	2	2	2	2

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
कम्यूनिटी मेडिसिन	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3
	सांख्यिकीविद् (ट्यूटर/सहायक प्रोफेसर)	0	1	1	1	1	1
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	3	3	3	3	3
जनरल मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	4	4	4
	वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	4	4	4
बालरोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	1	1	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	2	2	2
त्वचा रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
मनश्चिकित्सा	प्रोफेसर	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1

	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
श्वसनी रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
* प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर							

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	4	4	4
	वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	4	4	4
अस्थि रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	1	1	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	2	2	2
कान-नाक-गला रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
नेत्ररोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	2	2	2	2
संचेतनाहर विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1

	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	2	2	3	4	4	4
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	2	3	3	3
विकिरण निदान	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	0	1	1	1	1	1
आपातकालिक मेडिसिन	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	6	6	9	9	9	9

टिप्पणियां : कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए :

- अध्यापन संकाय और ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग-अलग गिना जाएगा।
- अध्यापन संकाय के लिए :**
 - संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को एकसाथ गिना जाएगा।
 - उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर कैडर की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकता है।
 - किसी विभाग में निम्नतर काडर/श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर कैडर/श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती।
 - किसी विभाग का अधिक/अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
- ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए :**
 - किसी विभाग के अधिक ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
 - कोई अधिकता/अतिरिक्त अध्यापन संकाय उसी या किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती।
- दंत्य चिकित्सा/दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, बिस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पद	अनुमति पत्र	पहला नवीकरण	दूसरा नवीकरण	तीसरा नवीकरण	चौथा नवीकरण	मान्यता
संकाय	50	74	80	90	90	90
ट्यूटर/प्रदर्शक/ वरिष्ठ रेजीडेंट	38	49	53	60	60	60
सांख्यिकीविद्	0	1	1	1	1	1

अनुलग्नक II : नया मेडिकल कालेज की स्थापना तथा वार्षिक 150 एमबीबीएस प्रवेशों के वार्षिक नवीकरण हेतु

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता	
1.	व्याख्यान थियेटर * (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	2	2	3	3	4	4
		ख) क्षमता	180	180	180	180	180	180
2.	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं	कालेज में	3	8	8	8	8	8
3.	शिक्षण कक्ष	क्षमता @ 25 छात्र	2	4	4	4	4	4
		@ 50 छात्र	1	4	4	4	4	4
4.	केंद्रीय पुस्तकालय	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		ख) बैठने की क्षमता	300	300	300	300	300	300
		ग) पुस्तकें	3000	3000	4500	4500	4500	4500
		घ) पत्रिकाएं	30	40	45	45	45	45
5.	छात्रावास	क) छात्र @75%	110	225	330	450	550	675
		ख) इंटर्न @75%	-	-	-	-	-	110
	बिस्तरों का वितरण							
6.	मेडिसिन एवं संबद्ध	इ) जनरल मेडिसिन	78/3	आशय पत्र और तीसरे नवीकरण के समानुपात में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाए।	255/11	130/5	130/5	
		च) बाल रोग	24/1					75/3
		छ) श्वसनी रोग विज्ञान	10/1					20/1
		ज) त्वचा रोग विज्ञान	10/1					10/1
		ड.) मनश्चिकित्सा	10/1					20/1
		जोड़	132/7					255/11
7.	शल्य चिकित्सा एवं संबद्ध	इ) जनरल सर्जरी	78/3	130/5	130/5			
		च) अस्थि रोग विज्ञान	25/1			75/3		
		छ) नेत्ररोग विज्ञान	10/1			20/2		
		ज) कान-नाक-गला	10/1			20/2		
		जोड़	123/6			245/12		
8.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	25/1	50/2	50/2			

	ख) स्त्रीरोग विज्ञान	20/1		50/2		50/2
	जोड़	45/2		100/2		100/2
* यदि अस्पताल और मेडिकल कालेज एकात्मक परिसर में नहीं है, तो अस्पताल में 150 छात्रों के बैठने की क्षमता का एक अतिरिक्त व्याख्यान थियेटर उपलब्ध होना चाहिए।						

आवेदक कालेजों द्वारा आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
9.	आपातकालिक मेडिसिन	30/1			30/1		30/1
	सकल जोड़	330/16			600/27		600/27
10.	बहिरंग रोगी विभाग (सरीज प्रति दिन)	600	600	750	900	1200	1200
11.	विस्तरों की आक्यूपैसी (%)	60%	60%	60%	75%	75%	75%
12.	ओ.टी.	4	5	7	9	9	9
	क) मेजर ओ.टी.	प्रत्येक सर्जिकल विशेषता के पास कम से कम एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित लघु ओ.टी. होना चाहिये।					
13.	आईसीसीयू	10	10	10	10	10	10
	आईसीयू	10	10	10	10	10	10
	शल्य चिकित्सा आईसीयू	10	10	10	10	10	10
	पीआईसीयू	10	10	10	10	10	10
	एनआईसीयू	10	10	10	10	10	10
	स्त्री रोग एच.डी.यू./आई.सी.यू.	10	10	10	10	10	10
14.	विकिरण विज्ञान	2	2	2	4	4	4
	क) स्टैटिक इकाई —कम से कम 2 \geq 500mA (डीआर/सीआर सिस्टम)	2	2	2	4	4	4
	ख) सचल इकाई \geq 60 mA	2	2	2	4	4	4
	ग) यूएसजी (रंगीन डॉप्लर के साथ)	2	2	2	3	3	3
घ) सीटी स्कैन (\geq 16 स्लाइस - स्पाइरल)	-	-	1	1	1	1	
15.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से, इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)					
16.	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में दूसरे बैच (पहले नवीकरण) से, इससे संबद्ध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)					

अनुलग्नक II(क) : वार्षिक 150 एमबीबीएस प्रवेशों के लिए संकाय एवं रेजीडेंटों हेतु शर्तें

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
शरीररचना विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1

	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	5	5	5	5	5	5
शरीर रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	3	3	3
जीवरसायन विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
भेषज विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	0	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	4	4	4	4	4
रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	1	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	5	5	5	5	5
सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	0	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	4	4	4	4	4
फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	3	3	3	3	3

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
कम्यूनिटी मेडिसिन	प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	2	2	2	2	2

	सहायक प्रोफेसर	1	4	4	4	4	4
	सांख्यिकीविद् (ट्यूटर/सहायक प्रोफेसर)	0	1	1	1	1	1
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	1	4	4	4	4	4
जनरल मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	5	5	5
	वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	5	5	5
बालरोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	3	3	3
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	3	3	3
त्वचा रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
मनश्चिकित्सा	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
श्वसनी रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	0	0	0
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	5	5	5
	वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	5	5	5
अस्थि रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1

	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	3	3	3
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	3	3	3
कान-नाक-गला रोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	2	2	2
नेत्ररोग विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	2	2	2
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	4	4	4
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	2	4	4	4
संचेतनाहर विज्ञान	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	5	5	5
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	2	3	3	3
विकिरण निदान	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	3	3	3	3

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	0	0	0	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
आपातकालिक मेडिसिन	प्रोफेसर	0	0	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1

वरिष्ठ रेजिडेंट	6	6	9	9	9	9
-----------------	---	---	---	---	---	---

टिप्पणियां : कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए :

- अध्यापन संकाय और ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग-अलग गिना जाएगा।
- अध्यापन संकाय के लिए :**
 - संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को एकसाथ गिना जाएगा।
 - उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर कैडर की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकता है।
 - किसी विभाग में निम्नतर काडर/श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर कैडर/श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती।
 - किसी विभाग का अधिक/अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
- ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए :**
 - किसी विभाग के अधिक ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
 - कोई अधिकता/अतिरिक्त अध्यापन संकाय उसी या किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती।
- दंत्य चिकित्सा/दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, विस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पद	अनुमति पत्र	पहला नवीकरण	दूसरा नवीकरण	तीसरा नवीकरण	चौथा नवीकरण	मान्यता
संकाय	54	78	83	116	116	116
ट्यूटर/प्रदर्शक/ वरिष्ठ रेजिडेंट	43	58	62	76	76	76
सांख्यिकीविद्	0	1	1	1	1	1

अनुलग्नक III : नया मेडिकल कालेज की स्थापना तथा वार्षिक 200 एमबीबीएस प्रवेशों के वार्षिक नवीकरण हेतु

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
1.	व्याख्यान थियेटर * (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	4	4	4	4	4
		ख) क्षमता	240	240	240	240	240
2.	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं	कालेज में	8	8	8	8	8
3.	शिक्षण कक्ष	क्षमता @ 25 छात्र	7	7	7	7	7
		@ 50 सीटें	7	7	7	7	7
4.	केंद्रीय पुस्तकालय	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	1500	1500	1500	1500	1500
		ख) बैठने की क्षमता	400	400	400	400	400
		ग) पुस्तकें	6000	6000	6000	6000	6000
		घ) पत्रिकाएं	60	60	60	60	60
5.	छात्रावास	क) छात्र @75%	900	900	900	900	900
		ख) इंटर्न @75%	-	-	-	-	-

बिस्तरों का वितरण							
6.	मेडिसिन एवं संबद्ध	झ) जनरल मेडिसिन	195/7			195/7	195/7
		ञ) बाल रोग	100/4			100/4	100/4
		ट) श्वसनी रोग विज्ञान	20/1			20/1	20/1
		ठ) त्वचा रोग विज्ञान	10/1			10/1	10/1
		ड.) मनश्चिकित्सा	20/1			20/1	20/1
		जोड़	345/14			345/14	345/14
7.	शल्य चिकित्सा एवं संबद्ध	झ) जनरल सर्जरी	195/7			195/7	195/7
		ञ) अस्थि रोग विज्ञान	100/4			100/4	100/4
		ट) नेत्ररोग विज्ञान	20/2			20/2	20/2
		ठ) कान-नाक-गला	20/2			20/2	20/2
		जोड़	335/15			335/15	335/15
8.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	60/2			60/2	60/2
		ख) स्त्रीरोग विज्ञान	60/2			60/2	60/2
		जोड़	120/4			120/4	120/4

* यदि अस्पताल और मेडिकल कालेज एकात्मक परिसर में नहीं है, तो अस्पताल में 200 छात्रों के बैठने की क्षमता का एक अतिरिक्त व्याख्यान थियेटर उपलब्ध होना चाहिए।

आवेदक कालेजों द्वारा आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
9.	आपातकालिक मेडिसिन	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
	सकल जोड़	830/34	830/34	830/34	830/34	830/34	830/34
10.	बहिरंग रोगी विभाग (मरीज प्रति दिन)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
11.	बिस्तरों की आक्यूपेंसी (%)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12.	ओ.टी	क) मेजर ओ.टी.	10	10	10	10	10
		ख) लघु ओ.टी.	प्रत्येक सर्जिकल विशेषता के पास कम से कम एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित लघु ओ.टी. होना चाहिये।				
13.	आईसीयू	आईसीसीयू	15	15	15	15	15
		आईसीयू	15	15	15	15	15
		शल्य चिकित्सा आईसीयू	15	15	15	15	15
		पीआईसीयू	15	15	15	15	15
		एनआईसीयू	15	15	15	15	15
		स्त्री रोग एच.डी.यू./आई.सी.यू.	15	15	15	15	15

14.	विकिरण विज्ञान	क) स्टैटिक इकाई—कम से कम 2 > 500mA (डीआर/सीआर सिस्टम)	5	5	5	5	5	5
		ख) सचल इकाई >60 mA	5	5	5	5	5	5
		ग) यूएसजी (रंगीन डॉप्लर के साथ)	5	5	5	5	5	5
		घ) सीटी स्कैन (>16 स्लाइस - स्पाइरल)	1	1	1	1	1	1
		ड.) एमआरआई (> 1.5 टेस्ला)	1	1	1	1	1	1
15.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कालेज में, अनुमति पत्र के समय से, इससे संबंध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)						
16.	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र	प्रत्येक मेडिकल कालेज में, अनुमति पत्र के समय से, इससे संबंध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)						

अनुलग्नक III(क) : वार्षिक 200 एमबीबीएस प्रवेशों के लिए संकाय एवं रेजीडेंटों हेतु शर्तें

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
शरीररचना विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	5	5	5	5	5	5
शरीर रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
जीवसायन विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
भेषज विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1

	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	ड्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	ड्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
कम्यूनिटी मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	सांख्यिकीविद् (ड्यूटर/सहायक प्रोफेसर)	1	1	1	1	1	1
	ड्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट	6	6	6	6	6	6
जनरल मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	6	6	6	6	6	6
	सहायक प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	वरिष्ठ रेजिडेंट	7	7	7	7	7	7
बालरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
त्वचा रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
मनश्चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
श्वसनी रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1

	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	6	6	6	6	6	6
	सहायक प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	वरिष्ठ रेजिडेंट	7	7	7	7	7	7
अस्थि रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
कान-नाक-गला रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
नेत्ररोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	2	2	2	2	2	2
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
संचेतनाहर विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	वरिष्ठ रेजिडेंट	4	4	4	4	4	4
विकिरण निदान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजिडेंट	3	3	3	3	3	3

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	1	1	1	1	1	1
आपातकालिक मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजिडेंट	9	9	9	9	9	9

टिप्पणियां : कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए :

- अध्यापन संकाय और ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग-अलग गिना जाएगा।
- अध्यापन संकाय के लिए :**
 - संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को एकसाथ गिना जाएगा।
 - उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर कैडर की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकता है।
 - किसी विभाग में निम्नतर काडर/श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर कैडर/श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती।
 - किसी विभाग का अधिक/अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
- ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए :**
 - किसी विभाग के अधिक ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
 - कोई अधिकता/अतिरिक्त अध्यापन संकाय उसी या किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती।
- दंत्य चिकित्सा/दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, बिस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पद	अनुमति पत्र	पहला नवीकरण	दूसरा नवीकरण	तीसरा नवीकरण	चौथा नवीकरण	मान्यता
संकाय	142	142	142	142	142	142
ट्यूटर/प्रदर्शक/ वरिष्ठ रेजिडेंट	90	90	90	90	90	90
सांख्यिकीविद्	1	1	1	1	1	1

अनुलग्नक IV : नया मेडिकल कालेज की स्थापना तथा वार्षिक 250 एमबीबीएस प्रवेशों के वार्षिक नवीकरण हेतु

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता	
1.	व्याख्यान थियेटर * (कॉलेज का भवन)	क) संख्या	4	4	4	4	4	
		ख) क्षमता	300	300	300	300	300	
2.	प्रयोगात्मक प्रयोगशालाएं	कालेज में	8	8	8	8	8	
3.	शिक्षण कक्ष	क्षमता @ 25 छात्र @ 50 सीटें	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	
4.	केंद्रीय पुस्तकालय	क) क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	1500	1500	1500	1500	1500	
		ख) बैठने की क्षमता	500	500	500	500	500	
		ग) पुस्तकें	7500	7500	7500	7500	7500	
		घ) पत्रिकाएं	75	75	75	75	75	
5.	छात्रावास	क) छात्र @75%	900	900	900	900	900	
		ख) इंटर्न @75%	-	-	-	-	-	
बिस्तरों का वितरण								
6.	मेडिसिन एवं संबद्ध	क) जनरल मेडिसिन	240/8			240/8		240/8
		ख) बाल रोग	120/4			120/4		120/4
		ग) श्वसनी रोग विज्ञान	30/1			30/1		30/1
		घ) त्वचा रोग विज्ञान	20/1			20/1		20/1
		ङ.) मनश्चिकित्सा	30/1			30/1		30/1
		जोड़	440/15			440/15		440/15
7.	शल्य चिकित्सा एवं संबद्ध	क) जनरल सर्जरी	240/8			240/8		240/8
		ख) अस्थि रोग विज्ञान	120/4			120/4		120/4
		ग) नेत्ररोग विज्ञान	30/2			30/2		30/2
		घ) कान-नाक-गला	20/2			20/2		20/2
		जोड़	410/14			410/14		410/14
8.	प्रसूति एवं स्त्रीरोग	क) प्रसूति एवं एएनसी	90/3			90/3		90/3
		ख) स्त्रीरोग विज्ञान	60/2			60/2		60/2
		जोड़	150/5			150/5		150/5
* यदि अस्पताल और मेडिकल कालेज एकात्मक परिसर में नहीं है, तो अस्पताल में 250 छात्रों के बैठने की क्षमता का एक अतिरिक्त व्याख्यान थियेटर उपलब्ध होना चाहिए।								

आवेदक कालेजों द्वारा आशय पत्र और अनुमति पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें

क्र.सं.	अवसंरचनात्मक सुविधाएं	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
9.	आपातकालिक मेडिसिन	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
	सकल जोड़	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35
10.	बहिरंग रोगी विभाग (मरीज प्रति दिन)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
11.	विस्तरों की आक्यूपैसी (%)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12.	ओ.टी	क) मेजर ओ.टी. ख) लघु ओ.टी.	11	11	11	11	11
			प्रत्येक सर्जिकल विशेषता के पास कम से कम एक पर्याप्त रूप से सुसज्जित लघु ओ.टी. होना चाहिये।				
13.	आईसीयू	आईसीसीयू आईसीयू शल्य चिकित्सा आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू द्वि रोग एच.डी.यू./आई.सी.यू.	20 20 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20	20 20 20 20 20 20
14.	विकिरण विज्ञान	क) स्टैटिक इकाई -कम से कम 2 > 500mA (डीआर/सीआर सिस्टम) ख) सचल इकाई >60 mA ग) यूएसजी (रंगीन डॉप्लर के साथ) घ) सीटी स्कैन (>16 स्लाइस - स्पाइरल) ड.) एमआरआई (> 1.5 टेस्ला)	6 6 6 1 1	6 6 6 1 1	6 6 6 1 1	6 6 6 1 1	6 6 6 1 1
15.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :	प्रत्येक मेडिकल कालेज में, अनुमति पत्र के समय से, इससे संबद्ध एक ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)					
16.	शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र :	प्रत्येक मेडिकल कालेज में, अनुमति पत्र के समय से, इससे संबद्ध एक शहरी स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र होगा। (जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट है)					

अनुलग्नक IV(क) : वार्षिक 250 एमबीबीएस प्रवेशों के लिए संकाय एवं रेजीडेंटों हेतु शर्तें

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
शरीररचना विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
शरीररोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4

जीवरसायन विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
भेषज विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
सूक्ष्मजीव विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	5	5	5	5	5	5
फॉरेंसिक मेडिसिन एवं विषविज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
कम्यूनिटी मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	6	6	6	6	6	6
	सांख्यिकीविद् (ट्यूटर/सहायक प्रोफेसर)	1	1	1	1	1	1
	ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजीडेंट	6	6	6	6	6	6
जनरल मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	सहायक प्रोफेसर	8	8	8	8	8	8
	वरिष्ठ रेजीडेंट	8	8	8	8	8	8

बालरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
त्वचा रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
मनश्चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
श्वसनी रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
जनरल सर्जरी	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	7	7	7	7	7	7
	सहायक प्रोफेसर	8	8	8	8	8	8
	वरिष्ठ रेजीडेंट	8	8	8	8	8	8
अस्थि रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	3	3	3	3	3	3
	सहायक प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
कान-नाक-गला रोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	2	2	2	2
नेत्ररोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1

	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	2	2	2	2	2	2
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	5	5	5	5	5	5
	वरिष्ठ रेजीडेंट	5	5	5	5	5	5
संचेतनाहर विज्ञान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	4	4	4	4	4	4
	सहायक प्रोफेसर	6	6	6	6	6	6
	वरिष्ठ रेजीडेंट	4	4	4	4	4	4
विकिरण निदान	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	सहायक प्रोफेसर	2	2	2	2	2	2
	वरिष्ठ रेजीडेंट	3	3	3	3	3	3

विभाग	पद	अनुमति पत्र (पहला बैच)	पहला नवीकरण (दूसरा बैच)	दूसरा नवीकरण (तीसरा बैच)	तीसरा नवीकरण (चौथा बैच)	चौथा नवीकरण (पांचवां बैच)	मान्यता
दंत्य चिकित्सा	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	1	1	1	1	1	1
आपातकालिक मेडिसिन	प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	एसोसिएट प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	सहायक प्रोफेसर	1	1	1	1	1	1
	वरिष्ठ रेजीडेंट	9	9	9	9	9	9

टिप्पणियां : कमी का हिसाब लगाने के उद्देश्य के लिए :

1. अध्यापन संकाय और ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी को अलग-अलग गिना जाएगा।
2. **अध्यापन संकाय के लिए :**
 - क) संकाय की कमी का परिकलन करने के लिए संबंधित विभागों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर को एकसाथ गिना जाएगा।
 - ख) उच्चतर काडर में कोई अधिक अध्यापन संकाय केवल उसी विभाग के निम्नतर कैडर की कमी की प्रतिपूर्ति कर सकता है।
 - ग) किसी विभाग में निम्नतर काडर/श्रेणी का कोई अधिक अध्यापन संकाय किसी विभाग या किसी अन्य विभाग के उच्चतर कैडर/श्रेणी में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकती।
 - घ) किसी विभाग का अधिक/अतिरिक्त अध्यापन संकाय किसी अन्य विभाग में किसी अध्यापन संकाय की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
3. **ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए :**
 - क) किसी विभाग के अधिक ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।
 - ख) कोई अधिकता/अतिरिक्त अध्यापन संकाय उसी या किसी अन्य विभाग में ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट अर्थात् सहायक प्रोफेसर की अधिकता ट्यूटर/प्रदर्शक/वरिष्ठ रेजिडेंट की कमी को पूरा नहीं कर सकती।
4. दंत्य चिकित्सा/दंत्य संकाय के किसी अलग विभाग की आवश्यकता नहीं है, जहां उसी परिसर/शहर में कोई दंत्य कॉलेज उपलब्ध है और इसे उसी प्रबंधन द्वारा चलाया जा रहा है।
5. स्नातकोत्तर कार्यक्रम चलाने वाले कॉलेजों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, बिस्तरे और अन्य शर्तें आवश्यक हैं।

पद	अनुमति पत्र	पहला नवीकरण	दूसरा नवीकरण	तीसरा नवीकरण	चौथा नवीकरण	मान्यता
संकाय	159	159	159	159	159	159
ट्यूटर/प्रदर्शक/ वरिष्ठ रेजिडेंट	95	95	95	95	95	95
सांख्यिकीविद्	1	1	1	1	1	1

NATIONAL MEDICAL COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2020

No. NMC/MCI 35(1)98-med.(ii)123627.—In exercise of the powers conferred by section 57 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the National Medical Commission hereby makes the following regulations namely:-

1. (i) Short title and commencement: These regulations may be called the “Minimum Requirements for Annual M.B.B.S. Admissions Regulations, 2020

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) Applicability: These Regulations shall be applicable for Medical Colleges being established from the academic session 2021-22 onwards.

(ii) The relevant Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50/100/150/200/250 Regulations and the Requirements to be fulfilled by the Applicant Colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of the new Medical Colleges and Yearly Renewals under Section 10-A of the Indian Medical Council Act, 1956 read with section 61(2) of the NMC Act, 2019 shall be the governing Regulations for Medical Colleges established prior to last date of grant of letter of permission for establishing new Medical College/renewal of permission/increase of intake capacity for the Academic Session 2020-21.

3. Preamble

There is a necessity to re-cast medical education and training to enable the Medical Graduate to be able to effectively discharge their role as a physician in this changing world. The new demands on medical education also necessitate redefining the standards. There is a need to define standards based on functional requirements, rather than in absolute terms. Quality should be the bench mark of the new standard. Optimization and flexibility in utilizing the available resources, and harnessing modern educational technology tools would facilitate in moving towards quality education even when resources are relatively scarce. The current regulations on minimum standards for undergraduate medical training institutions in India attempts to define the new standards in terms of the new paradigm.

4. Objective: The objective of these regulations is to prescribe for a medical college and Medical Institution approved for admissions of MBBS students annually, the minimum requirements of accommodation in the college and its associated teaching hospitals, staff (teaching and technical) and equipment in the college departments and hospitals.

5. Departments: Every medical college and Medical Institution approved for M.B.B.S admissions annually shall have the following departments, namely:-

- i. ANATOMY
- ii. PHYSIOLOGY
- iii. BIOCHEMISTRY
- iv. PATHOLOGY
- v. MICROBIOLOGY
- vi. PHARMACOLOGY
- vii. FORENSIC MEDICINE&TOXICOLOGY
- viii. COMMUNITYMEDICINE
- ix. GENERAL MEDICINE
- x. PAEDIATRICS
- xi. PSYCHIATRY
- xii. DERMATOLOGY
- xiii. RESPIRATORYMEDICINE
- xiv. GENERAL SURGERY
- xv. ORTHOPAEDICS
- xvi. RADIO-DIAGNOSIS

- xvii. OTO-RHINOLARYNGOLOGY
- xviii. OPHTHALMOLOGY
- xix. OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
- xx. ANESTHESIOLOGY
- xxi. DENTISTRY
- xxii. PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION
- xxiii. EMERGENCY MEDICINE
- xxiv. RADIATION ONCOLOGY (Optional)

Beside the above-said departments the Medical colleges and Medical institution running Postgraduate degree/diploma courses in various specialties may have other departments to meet teaching needs of the college or Medical Institution and healthcare needs of the public.

6. Accommodation, Staff and Equipment: Every Medical college and Medical institution and its associated teaching Hospital shall have the required areas, accommodation for the staff and equipment for each department as given in Schedule-I, II, III respectively annexed with these regulations.
7. Intake Capacity: Medical Colleges shall be established with an annual intake capacity of 100 /150 MBBS Admissions annually and thereafter can be increased to 150/200/250 MBBS Admissions Annually. The phase-wise Requirements to be fulfilled by the applicant colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of New Medical College or Increase in Annual intake & Yearly Renewals for 100/150/200/250 M.B.B.S. admissions annually shall be in accordance with Annexure I, II, III, and IV of these Regulations.

SCHEDULE - I

ACCOMMODATION IN THE MEDICAL COLLEGE AND ITS ASSOCIATED TEACHING HOSPITALS A-COLLEGE

A.1 GENERAL

A.1.1. Campus

1. Every medical college shall comprise of the Medical College, the attached Teaching hospital/(s), and the hostels for the students & interns, with or without the residential area for faculty and other staff of college/hospital. The medical college, hostels for students/interns and the teaching hospital/institution shall be in a unitary campus.
2. However, in X and Y category (or Tier 1 & Tier 2) cities (as recommended by 7th CPC), Hilly and North-East states and notified tribal areas the campus could also be on 2 plots of land – one housing the teaching hospital and the other the medical college with hostels for students and interns.
3. If the campus is housed in more than 1 plot of land, the distance between each one of these plots should be less than 10 kms or less than of 30 mins travelling time, whichever is lesser.
4. Provided that where the Government District hospital is being considered for use as the teaching hospital of a medical college, all constituents of the district hospital, even if they are on two plots of land, will be considered as the affiliated teaching hospital, provided that the main District hospital has atleast 300 beds or in Hilly and North-East states has 250 beds.
5. The medical college shall provide adequate built-up space to accommodate various teaching areas (both in the college and the teaching hospital), Library, administrative areas, rooms for teaching and non-teaching staff, student amenities, etc. as specified in various sections of this schedule.
6. The building and other built up infrastructure must conform to building codes and local building bye-laws. They must also comply with the requirements for providing access and facilities to those who are disabled.
7. The built up area of the teaching hospital must conform to national norms and local building bye-laws having considered the minimum beds, teaching facilities and other requirements prescribed for the various annual

intakes of MBBS students in these regulations. The hospitals should have fire-safety measures, including patient evacuation plans as per local bye-laws and regulations.

8. Further, the parcel of land being used for establishing the medical college is not to be used for any other college/institution (such as Nursing College, Dental College, Engineering College or any other College or Hostel or accommodation).

A.1.2. Administrative Area

There should be adequate accommodation for the Principal/Dean, College council, Academic and examination sections, Accounts, and other administrative offices (as per need), the Medical education unit and the server room for the computer network.

A.1.3. College Council

Every medical college or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of departments as members and Principal/Dean as Chairperson. The Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters. The Council shall also organize regular interdepartmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinic-pathological meetings including periodical review of research in the Institution.

A.1.4. Central Library

1. There shall be an air-conditioned central library with good lighting and adequate space for stocking the books and journals (1000 sq.M for annual intake upto 150 MBBS students and 1500 sq.M for annual intakes of 200 and 250 MBBS students). There shall be provision for:
 - a. Rooms for the Librarian and other staff.
 - b. Reading rooms with adequate seating for twice the number of annual intake of UG students distributed over 2 areas.
 - c. Reading room for faculty
 - d. Room for stocking old books, journals, etc.
 - e. A computer room with computer nodes with internet facilities for atleast 25% of the annual intake of students.
2. **Books:** There shall be atleast 30 (Thirty) books per annual intake of students comprising all subjects with atleast 5 copies of each of the text books for the various subjects in MBBS curriculum.
Desirable: Postgraduate level books in the subjects of MBBS curriculum
Aspirational: Reference and post-graduate level books in all specialties of medicine
3. **Journals:** The minimum number of journals for various annual intake of MBBS students shall be atleast 1 percent of the minimum books prescribed.

The journals shall be either in print or electronic form, provided that there shall be atleast 1(one) print journal of each major specialty departments for MBBS training – Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pathology, Pharmacology, Microbiology, Forensic Medicine & Toxicology, Community Medicine, Medicine, Pediatrics, Dermatology, Psychiatry, Respiratory Medicine, Surgery, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Ophthalmology, Obstetrics & Gynecology, Anesthesia, Radio-diagnosis, Dentistry, Emergency Medicine, Physical Medicine & Rehabilitation. Provided that only journals that are indexed in the following databases i.e. Medline, Pubmed Central, Science Citation index, Science Citation Index Expanded, Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered. There shall be evidence for a full annual subscription for all these journals.

Annual MBBS Intake	Minimum No. of Journals required	Minimum No. of Books required
100	30	3000
150	45	4500
200	60	6000
250	75	7500

Desirable: Journals pertaining to subjects other than those listed above

A.1.5. Lecture theatre

1. There shall be minimum of four lecture theatres preferably air conditioned, of gallery type in the Institution, each of them with seating capacity for 20% more than the annual student intake (shall provide atleast 1.40sq.m/student).
2. *In case the hospital is not in the same unitary campus there shall be one additional lecture theater in the teaching hospital with a similar seating capacity as prescribed for the medical college.*
3. The Lecture Theaters shall have provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning. The lecture theaters shall be linked digitally to all teaching areas designated for Small group Teaching.
4. The lecture theatres shall be shared by all the departments in a programmed manner.

Desirable: Smart Class rooms.

A.1.6. Small Group Teaching Facilities

The size of each batch for small group teaching shall be about 15 students. The common resource pool of teaching rooms, student practical laboratories, museums and lecture theaters and any other available area that can be utilized for teaching purposes as prescribed in these regulations shall all be utilized for small group teaching and shared by the teaching departments. All the above mentioned teaching areas shall have audio-visual and internet facilities and be linked digitally to one another.

- a. **Teaching Rooms:** The minimum number of teaching rooms in the medical college for Pre- and Para-Clinical Departments for various intake of MBBS students annually to be shared by all departments, shall be as indicated in the table below (each teaching room shall provide atleast 1.2 sq.M/student):

Annual MBBS student intake	No. of teaching rooms	
	25 seating capacity	50 seating capacity
100	2	1
150	4	4
200	7	7
250	9	9

- b. **Student Practical Laboratories.** There shall be atleast 8 student practical laboratories, one each for Histology, Clinical Physiology, Biochemistry, Histopathology & cytopathology, Clinical pathology & Hematology, Microbiology, Clinical Pharmacology, and Computer Assisted Learning (CAL) in Pharmacology. The Clinical pathology/Hematology laboratory may be shared between Physiology and Pathology, and Forensic Medicine may utilize the Histopathology & cytopathology laboratory for practical work.

Each laboratory shall have capacity to accommodate atleast 60 students. The laboratories of Histology, Biochemistry, Histopathology & cytopathology, Clinical pathology & hematology, and Microbiology shall have 60 work stations fitted with water taps, sinks, and electric points. The Biochemistry, Histopathology and Microbiology laboratories shall in addition have gas/electric burners at each student's work station.

Each laboratory shall have additional rooms as required for technical staff, stores, equipment storage, etc. Each lab shall provide for atleast 3.5 sq.m/per student, which shall be sufficient for workbenches, a delineated teaching area for 20 students, stores and room for technical staff. All the above mentioned laboratories shall have audio-visual and internet facilities and be linked digitally to all other teaching areas i.e. Lecture theaters, teaching rooms and museums.

- c. **Museum:** There shall be atleast 3 museums in the college i.e. 1 (one) for Anatomy, 1 (one) to be shared by Pathology and Forensic Medicine, and 1 (one) to be shared by Pharmacology, Microbiology and Community Medicine. In addition to the display area, each of these museums shall also have sufficient space to seat atleast 50 students (atleast 1.2 sq.M/student) and shall have audio-visual and internet facilities and be linked digitally to the Lecture theaters, teaching rooms and practical laboratories.

The museums shall have adequate racks and shelves for storing and proper display of wet and dry specimens (where applicable) and models. There shall also be adequate facilities for displaying and viewing radiological and digitalized images.

A.1.7. Skills Laboratory

Every medical institution shall have a Skills Laboratory where students can practice and improve skills pre-specified in the curriculum. The purpose of the skills laboratory is to provide a safe and non-threatening environment for students to learn, practice and be observed performing skills in a simulated environment thus mitigating the risks involved in direct patient exposure without adequate preparation and supervision. The skills laboratory attempts to recreate the clinical environment and tasks which future health care workers have to perform with various levels of complexity and fidelity.

The skills laboratory shall have a total area of at least 600 sq.M for intake upto 150 MBBS students annually and 800 sq.M for intakes of 200 and 250 MBBS students annually, and shall have -

- i) a minimum of 04 rooms (preferably 08) for examination of patients or standardized/ simulated patients
- ii) a room for demonstration of skills to small groups
- iii) area for review or debriefing area
- iv) rooms for faculty coordinator and support staff
- v) adequate space for storage of mannequins and/or other equipment
- vi) facility for video recording and review of the interaction for teaching communication skills
- vii) stations for practicing skills individually or in groups
- viii) trainers or mannequins required to achieve skills outlined in the competency based undergraduate curriculum document
- ix) a dedicated technical officer and adequate support staff .
- x) the teaching areas of the skills lab shall have provision for audio-visual and internet facilities and shall be enabled for e-learning

The Skills lab shall be available at the time of inception/LOP

A.1.8. Department Offices and Rooms for Staff

Every Teaching Department shall have:

- i) room for Head of Department with Space for Department Office, for office staff and storage of records
- ii) rooms with adequate space for teaching faculty, and Tutors/Demonstrators/Residents (both Junior & Senior)
- iii) rooms for faculty, provided with communication, computer and internet facilities.
- iv) rooms for non-teaching staff

A.1.9. Examination Hall

For the purposes of examination, the Lecture Theaters, Reading rooms in Library, etc. can be utilized with adequate distancing.

Desirable: A separate examination Hall

A.1.10. Medical Education Unit

There shall be a Medical Education Unit for faculty development and providing teaching or learning resource material. The Unit shall have provision for audio-visual and internet facilities. The requirements of this unit shall be as prescribed by the National Medical Commission from time to time (it shall have an area of atleast 150-160 sq.M).

A.1.11. Research Facility

Desirable: A well-equipped central Research facility that can be shared by different departments.

Aspirational: Separate departmental research laboratories.

A.1.12. Communication Facilities

Adequate communication network between various sections of the college and hospitals shall be provided for better services, coordination and patient care.

A.1.13. Student Amenities

Adequate student amenities shall be provided. These shall include facilities for common rooms for boys and girls (separate), cafeteria, cultural activities, indoor games and student counselling services. There shall be gymnasium, and playground for outdoor games and track events in the college.

Desirable: Swimming pool

Aspirational: Auditorium

A.1.14. Rural Health Training Centre

Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it. This Rural Health Training Center shall be owned by the college or it should be affiliated to Government owned Health Center. If it is the latter, the academic control shall be with the Dean/Principal of the college for training of students and interns in community oriented primary health care and rural based health education for the rural community attached to it. This Health Center shall be within a distance of 30 kms except in X category (Tier-1) cities as amended where it should be within 50 kms. Separate residential arrangements for boys and girls interns with mess facilities shall also be provided. Adequate transport (both for staff and students) shall be provided for carrying out field work and teaching and training activities by the department of Community Medicine.

A.1.15. Biometric attendance & Close Circuit TVa) Biometric attendance:

- i) All Medical Colleges/Institutions shall install biometric attendance machine for regularly capturing the attendance of human resources as specified in these regulations.
- ii) The biometric attendance shall be made available on the Medical College Website in the form of daily attendance dashboard. The Commission may seek from the Medical Colleges/Institutions, such record of attendances during or after assessment.
- iii) The installation and maintenance of the biometric attendance system shall be the responsibility of the Medical Colleges/ Institutions

b) Close circuit TV: Every medical college shall have Close-Circuit Television (CCTV) system in the medical college and shall provide live streaming of classroom teaching, patient care in the teaching hospital and any other area as specified from time to time, to enable the Commission to maintain a constant vigil on the standard of medical education/ training being imparted.

The live streaming of both classroom teaching and teaching hospital, shall be integrated as a part of the “Digital Mission Mode Project” (DMMP) of the Commission.

A.1.16. College Website

1. Each and every college /institute shall have its own website which shall contain the following details, to be updated in the first week of every month: -

- a. Details of Dean, Principal and Medical Superintendent including their name, qualification, complete address with telephone and STD code, fax and E-mail etc.
- b. Details of teaching as well as non-teaching staff.
- c. Details of the sanctioned intake capacity of various Undergraduate and Postgraduate courses.
- d. List of students admitted merit-wise category-wise in MBBS and Postgraduate courses for the current and previous academic sessions.
- e. Research work, research grants and research publications during the last one year.
- f. Details of any Continuing Medical Education programmes, conferences and/or any academic activities conducted by the institution.
- g. Details of any awards and achievement received by the students or faculty.
- h. Details of the affiliating University and its Vice-Chancellor and Registrar.
- i. Results of all the examinations of last one year.
- j. Detailed status of recognition of all the courses.
- k. Details of fees for various courses and other costs
- l. Any other requirement as notified from time to time

2. Details of clinical material in the hospital (OPD and IPD) should be updated on a digital dashboard every day.
3. Each and every college/institute shall maintain Daily Biometric Attendance Dashboard of human resources as specified in these regulations.

A.1.17. Biomedical Waste Management

The Medical Institution must ensure compliance with the Bio-medical Waste (Management & Handling) Rules, 2019 and as notified from time to time. They shall have a robust institutional policy on biomedical waste management of human origin, with a well-defined arrangement for segregation and discarding of biomedical waste. Facilities for biomedical waste management shall be commensurate with the Central/State legislations.

A.1.18. Child Care Centre

A Child Care Center shall be established in the medical college with adequate facilities for taking care of the infants and the children of staff of the medical college and/or teaching hospital.

A.2. DEPARTMENT SPECIFIC REQUIREMENTS

The additional specific requirements of each department, if any, shall be provided as described in the following sections:

A.2.1. Department of Anatomy

- i) **Dissection Hall** – There shall be a dissection hall to accommodate 50% of annual student intake (area of atleast 4.20 sq.M/student shall be provided which shall be sufficient for ante-room for students with lockers, wash basins, embalming room, space for storage tanks and cold storage room or cooling cabinets with space sufficient for atleast 1 body/10 student annual intake). It shall be well lit, well-ventilated with exhaust fans. There shall be adequate teaching aids in the hall.

Desirable: Downdraft Dissection tables, 3D Virtual Anatomy Dissection Table.

A.2.2. Department of Pathology

- i) There shall be a separate service laboratory each for histopathology, cytopathology, Hematology and other specialized work of the hospital which shall be suitably equipped
- ii) These service labs shall have adequate storage space for stores and equipment.
- iii) There shall also be a washing room with continuous water supply.
- iv) These service laboratories can be located in either the medical college, teaching hospital or both.

A.2.3. Department of Microbiology

- i) There shall be a separate service laboratory each for (a) Bacteriology including anaerobic bacteria; (b) Serology; (c) Virology; (d) Parasitology; (e) Mycology; (f) Tuberculosis; and (g) Immunology.
- ii) The service laboratories shall have adequate storage space for stores and equipment
- iii) There shall be separate accommodation for media preparation and storage, autoclaving, and washing with regular and continuous water supply.
- iv) These service laboratories can be located in either the medical college, teaching hospital or both.
- v) The Virology Service Laboratory shall be a BSL-2 level laboratory (as per e-gazette No. MCI-34(41)/2020-Med./103234 notified on 3.6.2020)

A.2.4. Department of Forensic Medicine & Toxicology

- i) **Postmortem/Autopsy Block** – There shall be a mortuary cum postmortem/ Autopsy Block (approx. 400 sq. M. area) with facilities for cold storage for cadavers, ante-rooms, washing facilities, with an accommodation capacity of 20-25 students, waiting hall, office etc. The location of mortuary/autopsy block should preferably be adjacent to the hospital building and may be shared with the department of Pathology. In case the college is not permitted to carry out medico-legal autopsies, the college shall have a MoU with a government/district hospital for post-mortems to teach and train students.

A.2.5. Department of Community Medicine

- i) **Primary Health Center/Rural Health Training Center.** Every medical college shall have atleast one primary health center/rural health training center affiliated to it for training of students as described at A.1.14.
- ii) **Urban Health Training Center.** The urban health center shall be owned by the college or should be affiliated to Government owned Health Center. If it is the latter, the academic control shall be with the Dean/Principal of

the medical college for training of students and interns in community oriented primary health care. Adequate transport shall be provided for commuting the staff and students.

A.2.6. Department of Pharmacology

- i) **Animal holding area.** For teaching Pharmacology in undergraduate curriculum, the required knowledge and skills should be imparted by using computer assisted module. However, if research and postgraduate training is envisaged, only an animal hold area, as per CPCSEA Guidelines is required.

A.3. HOSTELS FOR STUDENTS/INTERNS

The College/Institution shall make provision to provide accommodation for atleast 75% of all students enrolled and interns, and all girl students who request for it. Each student shall be provided with independent and separate furniture which shall include chair, table, bed and full size cupboard at the least (provide for atleast 9 sq.M area/student). It is desirable that hostel rooms are either single or double accommodation facilities. Adequate recreational, dining and 24x7 security facilities shall be provided at the hostels.

Desirable: Accommodation for all students who request for/ require such facility

Aspirational: Accommodation for 100% students and interns

B. TEACHING HOSPITAL

B.1 GENERALREMARKS

1. At the time of submission of application to the Medical Assessment and Rating Board of the National Medical Commission for intakes upto 150 MBBS students annually, there shall be available a fully functional hospital for atleast 2 years with 300 beds or in North-East or Hilly States 250 beds, with all necessary infrastructure like OPD, Indoor wards, OTs, ICUs, Casualty, Labour Room, Laboratories, Blood Bank, CSSD, etc having a minimum of 60% indoor bed occupancy. It should also have been providing services in the departments of Medicine, Pediatrics, Dermatology, Surgery, Orthopedics, Obstetrics & Gynecology, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Anesthesiology and Radiology.
2. The hospital building shall conform to the existing national building norms and various local statutory regulations for hospitals taking into consideration the requirements of the hospital as a service provider including administration, registration, records storage, out-patient and inpatient areas, operating theaters, CSSD, ICUs, Radiology and laboratory services, emergency areas, etc. The teaching hospital shall provide for the minimum requirements as prescribed in these regulations.
3. Space for Clinical Teaching Departments, Teaching faculty and Residents.
 - (i) When the teaching hospital and medical college are in a unitary campus, rooms for the clinical departments and its teaching faculty can be provided either in the medical college or in the teaching hospital.
 - (ii) When the teaching hospital and medical college are on separate plots, besides the statutory requirements for the hospital, the teaching hospital shall also have space for the offices of the clinical departments and rooms for the teaching faculty as prescribed at A.1.18

Teaching rooms. The teaching hospital shall have atleast 1 (one) teaching room for each of the Clinical teaching departments with a capacity to accommodate atleast 30 students (as prescribed for the medical college) for clinical cases discussions/demonstrations. Each such room shall have audio-visual facilities. Small group teaching in clinical departments essentially entails out-patient clinic and bed side teaching. However, additional teaching rooms shall be provided as required for any of the Clinical teaching departments.

Desirable: Internet facilities and connectivity to all teaching areas of the hospital

B.2. Outpatient Area.

1. There shall be a minimum daily OPD attendance of 8 patients (old & new) per student intake annually in the specialties/subjects of undergraduate curriculum. However, at the time of Letter of Permission the daily OPD attendance should be atleast 4 patients (old & new) per student intake annually.

Note: Relaxation up to an extent of 5% in OPD attendance may be allowed, subject to the condition that OPD attendance on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.

- The Out-patient areas should have adequate reception and patient waiting halls, consultation rooms, examination rooms and other ancillary facilities commensurate with the clinical specialty department.

B.3. Indoor Beds.

B.3.1. Bed Strength.

- The bed strength of the teaching hospitals at time of recognition for various annual intakes of MBBS students shall be atleast 4 beds/MBBS student intake annually. The distribution of beds and number of units across different clinical teaching departments for MBBS training shall be as indicated below:

Subject	Annual MBBS Student Intake			
	100	150	200	250
	Beds/Units	Beds/Units	Beds/Units	Beds/Units
1. General Medicine	100/4	130/5	195/7	240/8
2. General Surgery	100/4	130/5	195/7	240/8
3. Pediatrics	50/2	75/3	100/4	120/4
4. Orthopedics	50/2	75/3	100/4	120/4
5. Obstetrics & Gynecology	50/2	100/4	120/4	150/5
6. Otorhinolaryngology	10/1	20/2	20/2	30/2
7. Ophthalmology	10/1	20/2	20/2	30/2
8. Respiratory Medicine	10/1	20/1	20/1	30/1
9. Dermatology	10/1	10/1	10/1	10/1
10. Psychiatry	10/1	20/1	20/1	30/1
Total	400/19	600/27	800/33	1000/36
11. Emergency Medicine	30/1	30/1	30/1	30/1
Grand Total	430/20	630/28	830/34	1030/37

- The details of the bed requirements for the different clinical teaching departments from LOP till recognition for annual intakes from 100-250 students is provided in **Annexure I-IV** appended to this regulation.
- There shall be well equipped and updated intensive Care Unit (ICU), Intensive Coronary Care Unit (ICCU), Intensive Respiratory Care unit, Paediatric intensive care (PICU) and Neonatal Intensive care unit (NICU), Critical care Burns unit, Post-op surgical critical care unit, Obstetric HDU/ICU.
- All beds which are available for teaching and training of undergraduate medical students shall be counted towards teaching beds as indicated above.
- Wherever possible, the facilities available in larger tuberculosis and chest diseases hospitals, infectious diseases hospitals and mental hospitals may be utilized for training in these specialties. However, if these hospitals are not under the administrative control of the Medical College, the required beds in these specialties shall have to be provided in the attached teaching hospital itself.
- The medical college and its affiliating teaching hospital should provide for proportionate additional beds, infrastructure, faculty and other human resource in any specialty depending upon the needs and patient load.**

- B.3.2. Indoor bed occupancy.** Average occupancy of indoor beds shall be a minimum of 75% per annum. Provided that it shall be minimum of 60% at the time of inception (50% at the time of inception in North East States and Hill States and notified Tribal Areas).

Note: Relaxation up to an extent of 5% in bed occupancy (Indoor patients) may be allowed, subject to the

condition that the bed occupancy on three corresponding dates as per date of assessment of preceding three months is in accordance with the applicable norms.

B.4. Operating Theaters. The Operating theaters shall conform to existing norms. The minimum number of major and minor operating theaters from LOP till recognition for varying annual intake shall be as indicated in **Annexure I-IV** appended to this regulation..

B.5. Department of Emergency Medicine

1. The Department of Emergency Medicine shall be mandatory for all Medical Colleges with effect from the academic year 2022-2023 onwards:
 - (i) All Medical Colleges with recognized MBBS Qualification are required to have a department of Emergency Medicine at the level of recognition as per requirement stipulated above.
 - (ii) All Medical Colleges in any stage of renewal including against increase in intake are required to have department of Emergency Medicine as per the requirement stipulated above.
 - (iii) Any institution seeking to establish a new Medical College
2. The Department shall have the following facilities:
 - (i) Casualty area to receive patients and facilities to triage and stabilize them. There shall be a minimum of 03 trolleys for triage.
 - (ii) There shall be at least 24 trolley-cum-beds of which at least 05 will be for “green category” (can wait- walk in patients who will need medical care at some point), 15 for “yellow category” (Observation – cannot survive without immediate treatment) and 04 for “red category” (immediate – cannot survive without immediate treatment). There shall also be a minimum 06 bedded intensive care unit in the Emergency department adjacent to the casualty area.
 - (iii) There should be minimum 01 Operation theater and 01 plaster room.
 - (iv) Rooms for the staff on duty
 - (v) Decontamination and isolation area should also be available.

B.6. Department of Radio-diagnosis

1. There shall be facilities for conventional and static and portable X-rays, fluoroscopy, contrast studies, ultra sonography and computerized tomography. Magnetic resonance imaging shall be available in all teaching hospitals when annual MBBS intake is 200 or more.

Provided that the MRI facility shall be owned and managed by the medical college whenever the medical college/institution starts a postgraduate course in any speciality.

Desirable: Magnetic resonance imaging shall be desirable for annual intake of 150 or less.

2. The rooms housing the various diagnostic imaging systems shall be as per the regulatory provisions of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), Government of India.
3. The staff of Radio-Diagnosis department shall be covered by Personal Monitoring System as prescribed by AERB.

B.7. Department of Physical Medicine and Rehabilitation (PMR). There shall be a well-equipped department of PMR providing services such as physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, etc.

B.8. Department of Radiation-Oncology (Optional)

The department of radiation-oncology should be planned in accordance with the regulatory requirements and approval of AERB. It would be desirable that this department be closely connected with the rest of the hospital to facilitate free interaction of the facilities of various disciplines for multidisciplinary management of the patients. Prior BARC approval of the radiation therapy rooms/plan along with complete layout of the entire department is mandatory.

B.9. Department of Dentistry.

Where Dental College or Dental wings of medical Colleges exist, the services of teachers of these may be utilized in the instruction of medical students in Dentistry and no separate staff in the Medical College shall be necessary.

B.10. ART Centre

Every Teaching Hospital should have Anti-Retroviral Treatment (ART) Centre and facility for management of MDR-TB by the time of 3rd renewal (admission of 4th Batch of MBBS students).

B.11. Central Laboratories

There shall be well-equipped and updated central laboratory preferably along with common collection area for all investigations in histopathology, cytopathology, haematology, immune pathology, microbiology, biochemistry and other specialized work if any. The central laboratory should be co-ordinated by one of the related teaching departments of the medical college.

B.12. Blood Bank

There shall be a well-equipped air-conditioned Blood Bank capable of providing component therapy. The Blood bank and Blood transfusion services should conform to the guidelines of the National AIDS Control Organization and as prescribed in Schedule-F Part XII-B to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 amended from time to time.

The Blood Transfusion services should be under the administrative control of the teaching Department of Pathology of the medical college when there is no separate Department of Transfusion Medicine.

B.13. Pharmacy services. There shall be 24-hr pharmacy services to cater to the out-patient, emergency and other patients attending the teaching hospital.

B.14. Laundry and Dietetic services. The teaching hospital shall have provision for Laundry and Dietetic services.

B.15. Hospital Waste Management

The Medical Institution must ensure compliance with the Bio-medical Waste (Management & Handling) Rules, 2019 and as notified from time to time. They shall have a robust institutional policy on biomedical waste management of human origin, with a well-defined arrangement for segregation and discarding of biomedical waste. Facilities for hospital waste management shall be commensurate with the Central/State legislations

Schedule - II - STAFF REQUIREMENTS**A. GENERAL REMARKS:**

1. Emphasis in medical education being on practical instruction and demonstration in small groups, the number of teachers must be as per provisions of this Schedule adequate to enable such instruction to be imparted effectively.
2. **The teaching staff of all departments of medical college, shall be full-time.**
3. These regulations cover the minimum requirements of under graduate medical education as per the annual MBBS student intake and the minimum patient load indicated in these regulations. However, the medical colleges/institutions and teaching hospital(s) need to make provision for additional staff as indicated below.
 - a) Additional teaching staff shall be provided proportionate to the workload
 - b) Non-teaching staff shall also be required in OPD, Indoors, Operation theatres and Intensive Care areas, emergency care area, labour room, clinical laboratories, or for outreach work where work load is heavy or is of a specialized nature.
 - c) Additional teaching staff shall be required when starting postgraduate courses in accordance with "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000".
4. To ensure the exposure of undergraduate students to experienced teachers, it is essential to provide adequate number of higher posts (Professors/Associate Professors) in every teaching department.
5. In department of Anatomy, Physiology, Biochemistry, non-medical teachers may be appointed to the extent of 15% of the total number of posts in the department subject to non-availability of medical teachers. The above mentioned non-medical teachers and the Statistician in the department of Community Medicine should possess qualification in that particular subject from a recognized university as per requirements in Teacher Eligibility Qualification Regulations.
6. **Teachers appointed as faculty in super-specialty departments shall not be counted against the complement of teachers required for under graduate medical education in broad speciality departments. However, teachers appointed in a broad speciality department who also have super-specialty qualifications shall be counted against the complement of teachers required for under graduate medical education in the concerned broad speciality department.**
7. **Visiting faculty.** With a view to enhance the comprehensiveness and quality of teaching of undergraduate students in pre-clinical, para-clinical and clinical departments, Medical Colleges/Medical Institutions can

appoint “Visiting Faculty” on part-time basis as prescribed in “Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions” regulations over and above the Minimum faculty prescribed in this schedule for 100/150/200/250 MBBS Admissions Annually. The Visiting Faculty, however, shall not be counted for faculty requirement laid down in these regulations.

B. Staff Requirements

1. The Requirements of Teaching faculty and Tutors/Demonstrators/Senior Residents in various Non-Clinical and Clinical Departments for annual intakes of 100-250 MBBS students shall be as provided in **Annexures I-IV** appended with this regulation.

Desirable: To provide up to 20% additional teaching faculty than the minimum prescribed

Aspirational: To provide 30% or more additional faculty than the minimum prescribed

2. Each department shall have a Head of the Department of the rank of full time Professor who shall have overall control of the Department except in the departments of Dermatology, Psychiatry and Dentistry where Associate Professor may be the Head of the Department who shall have overall control of the Department.
3. In Clinical Departments, the Staffing pattern of the departments shall be organized on the basis of units with each unit having a Professor/Associate Professor, one Assistant Professor and one senior resident. The numbers of beds per unit shall be as indicated in Annexures I-IV for various annual intakes of MBBS students.
4. **In addition to the staff indicated for the clinical departments, additional Senior Residents and Junior Residents shall be provided according to the load in various areas of the hospital such as wards, Labour room, intensive care areas, emergency wards and clinical laboratories and investigative departments of the hospital for providing services round the clock. Also each unit of the teaching departments should have atleast 02 (two) Junior Residents for patient care.**
5. The departments of Anatomy, Biochemistry, Physiology, Pathology, Pharmacology, Microbiology and Forensic Medicine & Toxicology shall have adequate number of technical staff for providing support to the practical labs. Wherever the departments also have service laboratories to support the teaching hospital, adequate staff (both technical & non-technical) shall be provided.
6. Each department shall have adequate clerical staff as required.
7. **Hospital Staff:** The hospital shall have adequate staff of various cadres as required and conform to existing norms. The nursing staff shall conform to the norms as laid down by the Indian Nursing Council from time to time.
8. **Community Medicine:** Shall have the following staff for the Rural and Urban training Health Centers.
 - a. Staff for rural training health center (including field work)

(i) Medical Officers of Health Centre	2
(atleast one must be a Lady Medical Officer)	
(ii) Medical Social workers	2
(iii) Public Health nurse	1
(iv) Health Assistant (Male)	1
(v) Health Educator	1
(vi) Technician/Technical Assistant	1
(vii) Store keeper cum record clerk	1
 - b. Staff for Urban Training Health center

(i) Medical Officers of Health Centre	2
(atleast one must be a Lady Medical Officer)	
(ii) Medical Social workers	2
(iii) Public Health nurse	1
(iv) Health Inspectors	2
(v) Health Educator	1

(vi)	Technician/Technical Assistant	2
(vii)	Store keeper cum record clerk	1

9. **Department of Physical Medicine and Rehabilitation:** Shall have the following staff -

i	Professor	1
ii	Associate Professor	1
iii	Assistant Professor	1
iv	Senior Residents	2
v	Other staff shall include physiotherapists, occupational therapists, prosthetic & orthotic technicians, multi-rehabilitation therapist, medical Social workers, Speech therapist, counsellors, clinical psychologists and others as required.	

10. The following **ancillary staff** shall be provided in the following departments:

i	<i>Psychiatry:</i>	Psychiatric social worker	2
		Clinical psychologist	1
ii	<i>Pediatrics :</i>	Child Psychologist	1
iii	<i>Obstetrics & Gynecology:</i>	Social worker	2
iv	<i>Otorhinolaryngology:</i>	Audiometry technician	1
		Speech therapist	1
v	<i>Radiotherapy:</i>	Physicist	1
vi	<i>Ophthalmology</i>	Optometrist	1

11. The following staff shall be required for the **Virology Laboratory** in the Department of Microbiology:

(i)	Faculty/Medical Microbiologist trained in Virology	1
(ii)	Technicians (with relevant work experience in Molecular Virology)	2
(iii)	Multi-Tasking Staff	1

12. **Central Library**

i	Librarian (with degree in Library Science)	1
ii	Assistant Librarian	2
iii	Library Assistants	4
iv	Others:	as required

13. **Medical Education Unit**

- i Officer In Charge: Dean/Principal
- ii MEU Coordinator: Professor/Associate Professor (to be nominated by Dean/Principal).
Should have undergone NMC/MCI Basic and advanced course in Medical Education OR any other M. Med, MHPE, Diploma in Medical Education, FAIMER Fellowship, or IFME.
- iii Faculty: Minimum 8 core faculty including all cadres of Faculty with the following qualifications:
Have undergone MCI Basic/Revised Basic Course in Medical Education Technology. At least 04 faculty should have received additional educational qualification or training: e.g. NMC/MCI Advanced Course in Medical Education or any other additional qualification like M. Med, MHPE, and Diploma in Medical Education, FAIMER Fellowship or IFME.

iv Supportive staff: As required

SCHEDULE III

EQUIPMENT (for various departments in the College and Hospitals).

Note: These recommendations are minimum requirements and will serve as a guide to the institutions with regard to the equipment required for teaching of MBBS students. For providing service to the attached hospital, the requirements would have to be provided accordingly. They are not meant to be an exhaustive list and the staff of the various departments will use their experience for equipping the departments.

1. ANATOMY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
(A)	General	
1	Drill machine	As required
2	Hand saw, preferably metal	As required
3	Band saw for sectioning body and limbs	As required
4	Brain knife	As required
5	Mortuary cooler for storing cadavers	As required
6	Storage tank to hold cadavers, static/movable, durable tank with input and output facility with lid	As required
7	Plastic tanks for storing soft and dissected parts	As required
8	Dissecting instruments for cadaveric dissection	As required
9	Meat cutting machine for thin body sections (trans and vertical) for gross anatomy sectional study	As required
10	Embalming Machine	1
(B)	Histology Laboratory	
11	Microscopes, Monocular/Binocular	60
12	Dissection microscope	As required
13	Microtomes, rotary	As required
14	Microtomes, Sledge, large cutting	As required
15	Paraffin embedding bath	As required
16	Hot plates for flattening sections	As required
(C)	Museum	
17	Articulated Skeleton set	As required
18	Bones (Dis-articulated) sets	As required

2. PHYSIOLOGY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
A	Hematology Laboratory	
1.	Microscopes, oil immersion	60

2.	Demonstration eye piece	3
3.	Double demonstration eye piece	3
4.	Stage incubator	1
5.	Westergren's pipette for E.S.R. on stand(with space pipette)	20
6.	Wintrobe's pipette for ESR and PCV with stand	20
7.	Hemoglobin-meter Sahli's or Hellige (with spaces)	60
8.	Hemocytometer	60
B.	Clinical Physiology	
9.	Tuning fork time marker 100/sec	2
10.	Electrodes	2
11.	Spirit lamps	2
12.	Marey's tambour	2
13.	Perimeter Pristely Smith S/LP.984 B & T	10
14.	Sphygmomanometer (digital) (Mercury based instruments to be replaced with suitable alternatives)	60
15.	Stethoscopes	60
16.	Stethoscopes, demonstration with multiple ear pieces	Desirable
17.	Polygraphs	1
18.	Venous pressure apparatus	1
19.	Spirometer, ordinary	15
20.	Gas analysis apparatus, Halden's student type	1
21.	Van Slyke's apparatus manometric	1
22.	Sherrington Starling kymograph (electrically driven)	2
23.	Gas analyser automatic for CO ₂ , O ₂ , N ₂	1
24.	Low voltage unit for tapping 2 and 4 volts for stimulation	2
25.	Electromagnetic time marker	2
26.	Douglas bag, complete	1
27.	Basal metabolism apparatus	1
28.	Mosso's Ergograph	10
29.	Clinical thermometer	60
30.	Compass aesthesiometer	30
31.	Thermo-aesthesiometer	30
32.	Algometer	25
33.	Apparatus for passive movement	1
34.	Knee hammer	30
35.	Stethograph	25
36.	Bicycle Ergometer	1
37.	Olfactometer	1
38.	Ophthalmoscope	5

39.	Schematic eye	1
40.	Phakoscope	1
41.	Perimeter with charts (Lister's)	2
42.	Color perception lantern Edridge green	1
43.	Maddox rod	1
44.	Newtons color wheel	1
45.	Tuning fork to test hearing 32-10000 cps(sets-100, 256, 512 Hz)	30
46.	Dynamometer	1
47.	Otoscope	1
48.	Stop watch	15
49.	Multi-channel Physiograph, 3 channels, complete with accessories	2
50.	Student physiograph, (single channel) with accessories	6
51.	Centrifuge, high speed with technometer	1
52.	Colorimeter, photoelectric	1
53.	Myograph stand	2
54.	pH meter electric	1
55.	Electronic stimulator	1
56.	Thermometers, balances, microslides and glassware	As required
57.	Digital Physiograph	1
58.	ECG Machine	2

3. BIOCHEMISTRY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
1.	Analytical Balance :upto 200g/1gm increment	2
2.	Urinometers calibrated (Mercury based instruments to be replaced with other alternatives)	25
3.	Hot air oven (More than 200 litres)	2
4.	Digital Colorimeters	5
5.	Student Microscopes	10
6.	Glucometer with strips (For POCT)	10
7.	Thermometer 0 – 250 degree Celsius	5
8.	Semi autoanalyser	2
9.	Boiling Water baths	2
10.	Constant temperature water bath Tank Capacity: (Temperature range 5 to 80 degree Celsius)	1
11.	Centrifuge clinical for ≥ 8 tubes	2
12.	pH meters of wide range digital	5

13.	Fixed volume pipettes -- 1ml,0.5ml,0.2ml,0.1ml and 0.02ml	10 (of each volume)
14.	Bottle dispensers	As required
15.	Variable and fixed volume micro auto pipettes	As required
16.	ELISA (Demonstration)	Demonstration
17.	Vacutainer Tube	Demonstration
18.	PCR Machine	Demonstration
19.	ABG Machine	Demonstration
20.	Autoanalyzer (either in the institution or elsewhere on a visit)	Demonstration
21.	Complete Chromatographic Unit for paper & TLC	2 each
22.	Complete Electrophoresis apparatus with power supply (Paper, PAGE, agarose)	1 each
23.	Densitometer with computer	1
24.	Vortex mixers	2
25.	Incubator 37°C	2
26.	Fume cupboard	1
27.	Digital Analytical Balance	1
28.	Balance Micro	1
29.	Spectrophotometer	1

4. PATHOLOGY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
(A)	General	
I	Histopathology / Cytopathology for Students	
1.	For Students – LED Binocular with Scanner, 10X, 40X, & Oil immersion lenses and inbuilt Battery backup power source	60
II	Hematology for Students	
2.	Stop watch reading at 1/5 second.	5
3.	Haemo-cytometers with red and white pipettes	90
4.	Staining jars for slides.	As required
III	Clinical Pathology for Students	
1.	Urinometers(Mercury based instruments to be replaced with other alternatives)	As required
2.	Centrifuge tubes graduated.	As required
3.	Graduated cylinders for various capacities ranging from 100 cc to 1000 cc. (For Students)	As required
4.	Pipettes of various sizes with disposal tips. (For Students)	As required
5.	Reagent bottles (For Students)	As required
6.	Dropping bottles (For Students)	As required
7.	Reagents (For Students)	As required

(B)	Morbid Histology and Morbid Anatomy	
1.	Manual Rotary Microtome	2
2.	Automated Rotary Microtome	1
3.	Cryostat	1
4.	Hot plate	2
5.	Paraffin embedding bath	2
6.	Heated Paraffin Embedding Module	2
7.	Cold Plate for Modular Tissue Embedding System	1
8.	Automated Tissue Processor –Histokinette	2
9.	Autoclave	2
10.	Ultrapure water solutions - Distilled water plant	1
11.	Water bath	1
12.	Centrifuge machine	5
13.	Digital SLR at least 20 megapixel with micro, macro, wide angle zoom lenses, Flash and other accessories	1
14.	Digital Automatic camera > 5 megapixel	1
15.	Fully Automated high throughput Multi-Stainer Workstation	1
16.	Fully Automated Embedding System (Heated embedding module & cold plate)	1
17.	Fully Automated Flexible Coverslipping Workstation	1
18.	Standalone paraffin dispensing module cold plate holding more than 100 cassettes	1
19.	Stand-alone cold plate	1
20.	Coplin jars	As required
21.	Water bath (Tissue Floatation)	As required
22.	Single Pan Digital Balance, Chemical	2
23.	Balance, chemical with weights	2
24.	Microscopes	
25.	For Diagnostic & Research Work - Trinocular head Microscope with Bright field, Dark field, Fluorescent & Polarizing Facility, high end Apochromatic lenses with Camera with HDMI Multi output camera Minimum 5MP with Projector & Ultra HD TV > 52 inches & Screen including Software Capable of Brightfield& Immunofluorescence Photographywith connectivity to projector & LED TV (At least 55 inches Ultra HD)	1
26.	Penta Head Microscope with High end Optics with HDMI Multi output Photographic Camera (> 5 MP) including Software	1
27.	Deca Head Microscope with High end Optics with HDMI Multi output Photographic camera (> 5 MP) including Software	1
28.	Grossing Station - Stainless steel, with Control panel, air filtration system, Track mounted adjustable computer	

	arm with articulation, LED lights that are color and intensity, Dedicated USB ports for camera control and data transfer adjustable, Integrated pathology camera system, Instrument Set (High quality) Height Adjustable Stainless Steel Chairs With Split AC of appropriate capacity.	1
29.	Fully Automated Immuno-histo-chemistry Setup with Continuous supply of Important Antibodies, Lymphoma Panel etc.	1
(C)	Hematology Lab:	
30.	Five part Fully Automated Cell Counter	1
31.	Three Part Fully Automated Cell Counter	1
32.	Coagulometer (Fully automated)	1

5. PHARMACOLOGY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
(A)	Clinical Pharmacy	
1	Special Drug Delivery systems like Metered Dose Inhalers, Spacers, Rotahalers, Nasal sprays, Transdermal patches, Insulin infusion pumps (optional), Insulin pen etc.	10 sets
2	Samples of dosage formulations of various types including rational and irrational FDC, Essential medicines	10 sets
3	Manikins for demonstration of intravenous injection, enema, local, intramuscular injections, intracardiac injection and other routes of drug administration	10 sets
(B)	Computer Assisted Learning Laboratory	
4	Must have computers with standard configuration and connected to the internet, (Preferably broadband) along with an AV aids (Multimedia Projector and Screen). The PC should be installed with CAL programmes and other software for teaching experimental pharmacology. The students must have access to the National Essential Drug Lists, Standard Treatment Guidelines, Banned Drugs List of the CDSCO, PVPI, WHO, Price Controlled Drugs List, Antibiotic Guidelines, Hospital formulary, adverse drug reactions, and other resource material which the student can use for learning the principles of rational prescribing.	25 computers

6. MICROBIOLOGY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
(A)	For Students	
1.	Microscopes (Specified as in Pathology)	As required

2.	Culture Plates/ Petri Dishes	As required
3.	Glass wares including Pasteur Pipettes	As required
4.	Facility for heating slides	As required
(B)	General	
1	Anaerobic apparatus	2
2	Autoclave	2
3	Balance Electronic Digital	1
4	Biosafety Cabinet Type - 2A	3
5	BOD Incubator	1
6	Centrifuge	3
7	CO2 Incubator/Candle Jar	2
8	Computer Unit	2
9	Deep Freeze -20° C & Deep Freezer	1 each
10	Distilled water Plant	1
11	Elisa Reader	1
12	Elisa Washer	1
13	Hot Air Oven	2
14	Incubator	2
15	Lab Refrigerator (minimum 400 litres)	3
16	Laminar flow	1
17	Micrometer eye pieces	1
18	Micrometer stage	1
20	Microscope Binocular	Every Faculty
21	Microscope with universal condenser containing oil immersion, Bright field, Phase Contrast & Dark ground	1
23	pH determination apparatus	2
24	Serum inspissators	1
25	VDRL shaker	1
26	Vortex Mixer	2
27	Water bath with variable temperature	2
28	Oil-immersion lens for student microscope	25
29	Automated Blood Culture System	1
30	Colony Counter	1
(C)	Consumables for Culture and Serological Diagnosis	
31	Antibiotic Discs for Antibiotic susceptibility testing	As required
32	Antibiotic zone scale	As required
33	Antisera-Salmonella	As required
34	Antisera- <i>Shigelladysenteriae</i>	As required
35	Antisera- <i>Shigella flexnari</i>	As required

36	Antisera- <i>Shigellasonnie</i>	As required
37	Antisera- <i>Vibrio cholerae</i>	As required
38	ATCC strain - <i>Enterococcus faecalis</i> 29213	As required
39	ATCC strain - <i>E.coli</i> 25922	As required
40	ATCC strain - <i>E.coli</i> 35218	As required
41	ATCC strain - <i>Pseudomonas aeruginosa</i> 27853	As required
42	ATCC strain - <i>Staphylococcus aureus</i> 25923	As required
43	ATCC strain - <i>Staphylococcus aureus</i> 29213	As required
44	Bottles for blood culture	As required
45	Micropipettes – Multi channel & Single channel	As required
46	Digital Thermometers of different temperatures	As required
(D)	BSL 2 Lab	
47	-80°C deep freezer with UPS	1
48	Real-time PCR machine calibrated for the fluorophore dyes with UPS (2 nos., 2KVA each, with 2 hours back-up)	1
49	Microcentrifuge / Refrigerated Centrifuge	1
50	(a) Personal protective equipment (PPE) (b) Viral Transport Medium (VTM) (c) All other consumables and kits as required for Virology studies.	As required

7. FORENSIC MEDICINE & TOXICOLOGY

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
1	Anthropometric Set including	1
	A) Folding Metal Rod Upto 7 Ft	
	B) Osteometric Board	
	C) Craniometer	
	D) Mandibulometer	
	E) Goniometer	
	F) Vernier Calipers	
	G) Equipment for Reporting Height	
	H) Weighing Machine Dial Type Human	
2	Digital pH Meter	1
3	Digital Spectrophotometer	1
4	Chemical Balance	1
5	Distillation Plant	1
6	Refrigerator	1

7	Centrifuge	1
8	Slide Warming Table	1
9	Hot Plate	1
10	Spectroscopic Lens With Adjustable Slit	2
11	Dissection Set Complete	2
12	Digital BP Instrument	2
13	Stethoscope	2
	Medico legal work	
14	Cold Storage For Dead Bodies	As required
15	Weighing Machine For Dead Bodies	1
16	Autopsy Tables	As required
17	Stryker Type Autopsy Saw With Accessories	2
18	Weighing Machine For Organs	2
19	Weighing Machine For Fetus	2
20	Dissection Set Complete	4
21	Brain Knife	2
22	Hack Saw	2
23	Rib Shear Left & Right	1 Each
24	Measuring Tape(Steel Tape Roll)	2
25	Magnifying Lens	2
26	X- Ray View Box (4 In 1)	1
27	Tooth Extractor Left & Right	1
28	Hand Set Heat Sealer	1
29	Instrument Trolley	As required
30	Rectal Thermometer	1
31	Portable X-ray Machine (can be shared with Radiology Department)	1
	Additional Equipment For Medico Legal Work For Each 500 Medico legal Post Mortems Beyond 500 Post Mortems Annually	
32	Cold Storage For Dead Bodies	As required
33	Autopsy Tables	As required
34	Stryker Type Autopsy Saw With Accessories	1
35	Weighing Machine For Organs	1
36	Weighing Machine For Fetus	1
37	Dissection Set Complete	1
38	Brain Knife	2
39	Hack Saw	2
40	Rib Shear Left & Right	1 Each
41	Measuring Tape(Steel Roll)	2

42	Magnifying Lens	2
----	-----------------	---

8. COMMUNITY MEDICINE

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
1	Hydrometer, milk	2
2	Incubator, electric (can be procured from Microbiology)	1
3	Balance for weighing food stuff(Capacity 2 Kg).	1
4	Centrifuge clinical	1
5	Weighing machine adult	6
6	Baby weighing machine	2
7	Salters Baby weighing machine	2
8	Harpden Calipers (for skinfold thickness)	2
9	Height measuring stand	3
10	Refrigerator 9 cu.ft.	3 + Additional one each at RHTC and UHTC
11	Ice Lined Refrigerator (I.L.R.) (at Health Centre)	1
12	Smart TV	1
13	Vehicles for transport of students/interns/faculty/paramedical staff to the RHTC and UHTC	1 Bus(32 capacity)& 1SUV
14	Multimedia Projector with Screen	2
15	Public Address system (2 portable for field based activities and one each for RHTC & UHTC)	4 Sets
16	Chloroscope	10
17	Horrock's Apparatus	3
18	MUAC tapes	10
19	Haemoglobinometer	5
20	BP Apparatus (Digital)	10
21	Stethoscope	10
22	Sound level meter	3
23	Water sampling bottle from any depth	1
24	Needle Shredder	3
25	Vaccine carrier	5
26	Craft water testing kit	1
27	Treatment kits as per national health programs	3 each
28	Iodine testing kit	10
29	Glucometer	10
30	Mosquito catching kit	1
31	Clinical Thermometer	10
32	First Aid Kit	1
33	Otoscope	1

34	Ophthalmoscope	1
----	----------------	---

9. SKILLS LABS

(i) Trainer simulators / models / mannequins for:

- First aid, Bandaging, splinting
- Basic Life Support (BLS), CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) mannequin
- Various types of injections- Subcutaneous, Intra-muscular, Intra-venous
- Urine Catheter insertion
- Skin & Fascia suturing
- Breast examination model /mannequin
- Gynecological examination model/mannequin including IUCD (Intra Uterine Contraceptive Device) Training model
- Obstetrics mannequins including Obstetric examination, conduct and management of vaginal delivery.
- Neonatal & Pediatric resuscitation mannequins
- Whole body mannequins
- Trauma mannequin

(ii) Each model (Low or High Fidelity) should have a module for training including objectives, methods and assessment. Modules can also have hybrid models where real patients or standardized/simulated patients/ computer simulations can be used.

(iii) There shall also be space for CAL lab with adequate computers.

10. CLINICAL DEPARTMENTS

- i. All clinical departments must have all equipment as expected for provision of standard clinical care and treatment.
- ii. Each clinical Department must have available a separate set of instruments needed for demonstration for undergraduate students.

10.1 DEPARTMENT OF RADIO-DIAGNOSIS

S.No.	NAME OF THE ITEMS	No. Required
1	Static X-ray units (Direct digital/CR)	As per annexures I-IV
2	Fluroscopy facilities	Available
3	Mobile X-ray units \geq 60mA	As per annexures I-IV
4	Ultrasonography equipment with color doppler	As per annexures I-IV
5	CT scan machine (\geq 16 slice)	1
6	MRI (desirable for annual intake of 150 or less; mandatory for annual intakes of 200 and above)	1

10.2 DEPARTMENT OF EMERGENCY MEDICINE

S. No.	Name of Items	No. Required
1.	ICU beds (should have facilities for propping up the patient along with railings and wheels)	06

S. No.	Name of Items	No. Required
2.	Emergency trolley-cum-beds (Should have facilities for propping up the patient along with railings and wheels)	24
3.	Central oxygen and suction points	All beds/bed-cum-trolleys
4.	Cardiac monitors (with EtCO ₂ facility) with appropriate accessories for all age groups- including neonates, infants, children, adolescents and adults	For all ICU and "Red" beds
5.	Cardiac monitors (for NIBP, Oxygen saturation and heart rate): (atleast 2 should have additional pulse oximeter probes and Blood pressure cuffs for neonates, infants, children and adolescents)	For all "Yellow" beds
6.	Pulse oximeter with probes for all age groups including neonates, infants, children and adolescents	02
7.	Defibrillator with external pacer (with additional attachments/ paddles for pediatric age group)	One for ICU and one for "Red" area
8.	ECG machine (12 lead)	02
9.	ICU ventilators (should be universal ventilators with facility to ventilate neonates and children also)	For each ICU and "Red" area beds
10.	Transport ventilators (with facility of deliver tidal volume as low as 50 mL and have pressure control mode)	02
11.	HHHFNC (heated humidified high-flow nasal cannula) with circuits and interfaces for all age groups (neonates, infants, children, adolescents and adults)	02
12.	Trolleys/Fowler beds	As per total number of beds/trolleys plus additional trolleys for receiving patients (10% of total patient attendance in Emergency Medicine)
13.	Infusion pumps	2 per ICU bed and "Red" beds; one per "Yellow" bed
14.	Portable ultrasound with multiple probes including ECHO probe (including probes for pediatric/ infant evaluation)	02
15.	Portable X-ray unit	01
16.	Resuscitation cart	One for ICU and one for the "Red" area
17.	Artificial self-inflating breathing bag	Four sets(adult, pediatric, infant and neonatal) with Face masks – Of all sizes

S. No.	Name of Items	No. Required
18.	Laryngoscope with all sized blades(straight and curved) including sizes for neonates, infants and children	Four sets
19.	Point-of-care laboratory for quantitative estimation of cardiac enzymes, ABG and electrolytes	Atleast one
20.	Oxygen cylinders	04
21.	Portable suction machines	04
22.	Ultrasonic nebulizers	04
23.	Spine boards with slings and scotch tape of all sizes	02
24.	Splints for all types of fractures	As required
25.	Basic equipment for suturing and wound care	As required
26.	Glucometer	02
27.	ACLS, BLS and Airways mannequins (child and adult)	01 each
28.	Suturing mannequin	01
29.	Infant radiant warmer with bassinet	02
30.	Blood and Fluid warmer	01
31.	Electric Warming blanket	01
32.	Rapid autoclave machine	01
33.	Labor cot	01

11. MEDICAL EDUCATION UNIT

The equipment for this unit shall be as prescribed by the National Medical Commission from time to time.

Dr. R.K. VATS, Secy.
[ADVT.III/4/Exty./322/2020-21]

ANNEXURE I: Requirements to be fulfilled by the applicant colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of New Medical College & Yearly Renewals for 100 M.B.B.S. admissions annually

S.No.	Infrastructural facilities		LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
1.	Lecture Theatre* [College building]	a) Number	2	2	3	3	4	4
		b) Capacity	120	120	120	120	120	120
2.	Practical Laboratories	In College	3	8	8	8	8	8
3.	Teaching Rooms	Capacity @ 25 students	2	2	2	2	2	2
		@ 50 students	1	1	1	1	1	1
4.	Central Library	a) Area (sq. m)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		b) Seating Capacity	200	200	200	200	200	200
		c) Books	1500	1500	3000	3000	3000	3000
		d) Journals	10	20	30	30	30	30
5.	Hostels	a) Students @75%	75	150	225	300	375	450
		b) Interns @75%	-	-	-	-	-	75
	Bed Distribution							
6.	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	78/3	The beds should be increased proportionately between LOP and III Renewal		100/4		100/4
		b) Pediatrics	24/1			50/2		50/2
		c) TB & Chest	10/1			10/1		10/1
		d) Skin	10/1			10/1		10/1
		e) Psychiatry	10/1			10/1		10/1
		Total	132/7			180/9		180/9
7.	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	78/3			100/4		100/4
		b) Orthopedics	25/1			50/2		50/2
		c) Ophthalmology	10/1			10/1		10/1
		d) ENT	10/1			10/1		10/1
		Total	123/6			170/8		170/8
8.	Obstetrics & Gynecology	a) OBG & ANC	25/1			25/1		25/1
		b) Gynecology	20/1	25/1	25/1			
		Total	45/2	50/2	50/2			
	Grand Total (A1)	300						

*If the Hospital and Medical college are not in a unitary campus, 1 additional Lecture theater of 120 seating capacity must be available in the teaching hospital

S.No.	Infrastructural facilities		LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
	North East & Hilly States							
9.	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	72/3	The beds should be increased proportionately between LOP and III Renewal		100/4		100/4
		b) Pediatrics	18/1			50/2		50/2
		c) Respiratory Medicine	6/1			10/1		10/1
		d) Dermatology	6/1			10/1		10/1
		e) Psychiatry	6/1			10/1		10/1
		Total	108/7			180/9		180/9
10.	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	68/3			100/4		100/4
		b) Orthopedics	24/1			50/2		50/2
		c) Ophthalmology	10/1			10/1		10/1
		d) ENT	10/1			10/1		10/1
		Total	112/6	170/8	170/8			
11.	Obstetrics & Gynecology	a) OBG & ANC	20/1	25/1	25/1			
		b) Gynecology	10/1	25/1	25/1			
		Total	30/2	50/2	50/2			
	Grand Total (A2)		250/15			400/19		400/19
12.	Emergency Medicine		30/1			30/1		30/1
	Grand Total (B)		330/16			430/20		430/20
	Grand Total For North East & Hilly States		280/16			430/20		430/20
13.	OPD (patients/day)		400	500	600	800	800	800
14.	Bed Occupancy (%)		60%	60%	60%	75%	75%	75%
15.	OTs	a) Major OT	4	4	5	7	7	7
		b) Minor OT	Every surgical specialty shall have atleast one well equipped Minor OT attached to it					
16.	ICUs	ICCU	5	5	5	5	5	5
		ICU	5	5	5	5	5	5
		Surgical ICU	5	5	5	5	5	5
		PICU	5	5	5	5	5	5
		NICU	5	5	5	5	5	5
		Obstetric HDU/ICU	5	5	5	5	5	5
17.	Radio-diagnosis	a) Static unit – atleast 2 \geq 500mA (DR/CR system)	2	2	2	3	3	3
		b) Mobile unit \geq 60 mA	2	2	2	3	3	3

		c) USG (with Color doppler)	2	2	2	3	3	3
		d) CT Scan(\geq 16 slice- spiral)	-	-	1	1	1	1
18.	Rural Health Training Centre:	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it from 2 nd batch (1 st Renewal) onwards (as specified in the regulations)						
19.	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it from 2 nd batch (1 st Renewal) onwards (as specified in the regulations)						

ANNEXURE I(A): Requirements of Faculty & Residents for 100 M.B.B.S. admissions annually

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	3	3	3	3	3	3
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	3	3	3	3	3	3
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	3	3	3	3	3	3
Pharmacology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	3	3	3	3	3
Pathology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	1	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	4	4	4	4	4
Microbiology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	4	4	4	4	4
Forensic Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	2	2	2	2	2

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
Community Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	1	3	3	3	3	3
	Statistician (Tutor/Asst. Prof)	0	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	3	3	3	3	3
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	3	3	3
	Asst.Prof.	3	3	3	4	4	4
	Sr. Resident	3	3	3	4	4	4
Pediatrics	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	1	1	2	2	2
	Sr. Res	1	1	1	2	2	2
Dermatology	Professor	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Psychiatry	Professor	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Respiratory Medicine	Professor	0*	0*	0*	0*	0*	0*
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
*Professor/Associate Professor							

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	3	3	3
	Asst.Prof.	3	3	3	4	4	4
	Sr. Res	3	3	3	4	4	4
Orthopedics	Professor	0	1	1	1	1	1

	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	1	1	2	2	2
	Sr. Resident	1	1	1	2	2	2
Oto-rhino-laryngology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Res	1	1	1	1	1	1
Ophthalmology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Obstetrics & Gynecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	2	2	2	2	2	2
Anesthesiology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	2	2	3	4	4	4
	Sr. Resident	1	1	2	3	3	3
Radiodiagnosis	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	2	2	2	2	2	2

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Dentistry	Professor	0	0	0	0	0	0
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Res	0	1	1	1	1	1
Emergency Medicine	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	6	6	9	9	9	9

Notes: For purpose of working out the deficiency:

1. The deficiency of teaching faculty and Tutors/Demonstrators/Resident Doctors shall be counted separately.
2. **For Teaching Faculty:**
 - (b) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc. Prof., and Asst. Prof in respective departments shall be counted together.
 - (c) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only.
 - (d) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor.
 - (e) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.
3. **For Tutors/Demonstrators/Resident Doctors:**
 - (a) Excess Tutors/Demonstrators/SR of any department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/ SR in any other department.
 - (b) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR.
e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR.
4. A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
5. Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	LOP	Ist Renewal	IInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Faculty	50	74	80	90	90	90
Tutor/Demon./SR	38	49	53	60	60	60
Statistician	0	1	1	1	1	1

ANNEXURE II: Requirements to be fulfilled by the applicant colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of New Medical College & Yearly Renewals for 150 M.B.B.S. admissions annually

S.No.	Infrastructural facilities		LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition	
1.	Lecture Theatre* [College building]	a) Number	2	2	3	3	4	4	
		b) Capacity	180	180	180	180	180	180	
2.	Practical Laboratories	In College	3	8	8	8	8	8	
3.	Teaching Rooms	Capacity @ 25 students	2	1	4	4	4	4	4
		@ 50 students					4	4	4

4.	Central Library	e) Area (sq. m)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
		f) Seating Capacity	300	300	300	300	300	300
		g) Books	3000	3000	4500	4500	4500	4500
		h) Journals	30	40	45	45	45	45
5.	Hostels	a) students @75%	110	225	330	450	550	675
		b) Interns @75%	-	-	-	-	-	110
Bed Distribution								
6.	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	78/3	The beds should be increased proportionately between LOP and III Renewal		130/5		130/5
		b) Pediatrics	24/1			75/3		75/3
		c) Respiratory Medicine	10/1			20/1		20/1
		d) Dermatology	10/1			10/1		10/1
		e) Psychiatry	10/1			20/1		20/1
		Total	132/7			255/11		255/11
7.	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	78/3			130/5		130/5
		b) Orthopedics	25/1			75/3		75/3
		c) Ophthalmology	10/1			20/2		20/2
		d) ENT	10/1			20/2		20/2
		Total	123/6	245/12	245/12			
8.	Obstetrics & Gynecology	a) OBG & ANC	25/1	50/2	50/2			
		b) Gynecology	20/1	50/2	50/2			
		Total	45/2	100/2	100/2			

* If the Hospital and Medical college are not in a unitary campus, 1 additional Lecture theater of 150 seating capacity must be available in teaching hospital

S.No.	Infrastructural facilities	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
9.	Emergency Medicine	30/1			30/1		30/1
	Grand Total	330/16			600/27		600/27
10.	OPD (patients/day)	600	600	750	900	1200	1200
11.	Bed Occupancy (%)	60%	60%	60%	75%	75%	75%
12.	OTs	a) Major OT	4	5	7	9	9
		b) Minor OT	Every surgical specialty shall have atleast one well equipped Minor OT attached to it				
13.	ICUs	ICCU	10	10	10	10	10

		ICU	10	10	10	10	10	10
		Surgical ICU	10	10	10	10	10	10
		PICU	10	10	10	10	10	10
		NICU	10	10	10	10	10	10
		Obstetric HDU/ICU	10	10	10	10	10	10
14.	Radio-diagnosis	a) Static unit – atleast 2 \geq 500mA (DR/CR system)	2	2	2	4	4	4
		b) Mobile unit \geq 60 mA	2	2	2	4	4	4
		c) USG (with Color doppler)	2	2	2	3	3	3
		d) CT Scan(\geq 16 slice- spiral)	-	-	1	1	1	1
15.	Rural Health Training Centre:	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it from 2 nd batch (1 st Renewal) onwards (as specified in the regulations)						
16.	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it from 2 nd batch (1 st Renewal) onwards (as specified in the regulations)						

ANNEXURE II(A): Requirements of Faculty & Residents for 150 M.B.B.S. admissions annually

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	3	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	5	5	5	5	5	5
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	3	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	3	3	3	3	3	3
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Pharmacology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	0	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	4	4	4	4	4
Pathology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	1	3	3	3	3	3

	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	5	5	5	5	5
Microbiology	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	0	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	4	4	4	4	4
Forensic Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	3	3	3	3	3

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Community Medicine	Professor	0	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	1	4	4	4	4	4
	Statistician (Tutor/Asst. Prof)	0	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	1	4	4	4	4	4
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	4	4	4
	Asst.Prof.	3	3	3	5	5	5
	Sr. Resident	3	3	3	5	5	5
Pediatrics	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	2	2	2
	Asst.Prof.	1	1	1	3	3	3
	Sr. Res	1	1	1	3	3	3
Dermatology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Psychiatry	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Respiratory Medicine	Professor	0	0	0	0	0	0
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	4	4	4
	Asst.Prof.	3	3	3	5	5	5
	Sr. Res	3	3	3	5	5	5
Orthopedics	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	2	2	2
	Asst.Prof.	1	1	1	3	3	3
	Sr. Resident	1	1	1	3	3	3
Oto-rhino- laryngology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	2	2	2
	Sr. Res	1	1	1	2	2	2
Ophthalmology	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	0	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	2	2	2
	Sr. Resident	1	1	1	2	2	2
Obstetrics & Gynecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	3	3	3
	Asst.Prof.	2	2	2	4	4	4
	Sr. Resident	2	2	2	4	4	4
Anesthesiology	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	3	3	3
	Asst.Prof.	2	2	2	5	5	5
	Sr. Resident	2	2	2	3	3	3
Radiodiagnosis	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	2	2	3	3	3	3

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Dentistry	Professor	0	0	0	1	1	1
	Assoc. Prof.	0	0	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Res	1	1	1	1	1	1
Emergency Medicine	Professor	0	0	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	6	6	9	9	9	9

Notes: For purpose of working out the deficiency:

1. The deficiency of teaching faculty and Tutors/Demonstrators/Resident Doctors shall be counted separately.
2. **For Teaching Faculty:**
 - (a) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc. Prof., and Asst. Prof in respective departments shall be counted together.
 - (b) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only.
 - (c) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor.
 - (d) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.
3. **For Tutors/Demonstrators/Resident Doctors:**
 - (a) Excess Tutors/Demonstrators/SR of any department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/ SR in any other department.
 - (b) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR.
4. A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
5. Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	LOP	Ist Renewal	IIInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Faculty	54	78	83	116	116	116
Tutor/Demon./SR	43	58	62	76	76	76
Statistician	0	1	1	1	1	1

ANNEXURE III: Requirements to be fulfilled by the applicant colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of New Medical College & Yearly Renewals for 200M.B.B.S. admissions annually

S.No.	Infrastructural facilities		LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
1.	Lecture Theatre* [College building]	a) Number	4	4	4	4	4	4
		b) Capacity	240	240	240	240	240	240
2.	Practical Laboratories	In College	8	8	8	8	8	8
3.	Teaching Rooms	Capacity @ 25 students	7	7	7	7	7	7
		@ 50 seats	7	7	7	7	7	7
4.	Central Library	i) Area (sq. m)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
		j) Seating Capacity	400	400	400	400	400	400
		k) Books	6000	6000	6000	6000	6000	6000
		l) Journals	60	60	60	60	60	60
5.	Hostels	a) students @75%	900	900	900	900	900	900
		b) Interns @75%	-	-	-	-	-	150
	Bed Distribution							
6.	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	195/7			195/7		195/7
		b) Pediatrics	100/4			100/4		100/4
		c) Respiratory Medicine	20/1			20/1		20/1
		d) Dermatology	10/1			10/1		10/1
		e) Psychiatry	20/1			20/1		20/1
		Total	345/14			345/14		345/14
7.	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	195/7			195/7		195/7
		b) Orthopedics	100/4			100/4		100/4
		c) Ophthalmology	20/2			20/2		20/2
		d) ENT	20/2			20/2		20/2
		Total	335/15			335/15		335/15
8.	Obstetrics & Gynecology	a) OBG & ANC	60/2			60/2		60/2
		b) Gynecology	60/2			60/2		60/2
		Total	120/4			120/4		120/4

* If the Hospital and Medical college are not in a unitary campus, 1 additional Lecture theater of 200 seating capacity must be available in teaching hospital

S.No.	Infrastructural facilities	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
9.	Emergency Medicine	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
	Grand Total	830/34	830/34	830/34	830/34	830/34	830/34
10.	OPD (patients/day)	1600	1600	1600	1600	1600	1600
11.	Bed Occupancy (%)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12.	OTs						
	a) Major OT	10	10	10	10	10	10
	b) Minor OT	Every surgical specialty shall have atleast one well equipped Minor OT attached to it					
13.	ICUs						
	ICCU	15	15	15	15	15	15
	ICU	15	15	15	15	15	15
	Surgical ICU	15	15	15	15	15	15
	PICU	15	15	15	15	15	15
	NICU	15	15	15	15	15	15
	Obstetric HDU/ICU	15	15	15	15	15	15
14.	Radio-diagnosis						
	a) Static unit – atleast 2 \geq 500mA (DR/CR system)	5	5	5	5	5	5
	b) Mobile unit \geq 60 mA	5	5	5	5	5	5
	c) USG (with Color doppler)	5	5	5	5	5	5
	d) CT Scan(\geq 16 slice- spiral)	1	1	1	1	1	1
	m) MRI (\geq 1.5 tesla)	1	1	1	1	1	1
15.	Rural Health Training Centre:	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it at LOP onwards (as specified in the regulations)					
16.	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it at LOP onwards (as specified in the regulations)					

ANNEXURE III(A): Requirements of Faculty & Residents for 200 M.B.B.S. admissions annually

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	5	5	5	5	5	5
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	3	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Pharmacology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
Pathology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
Microbiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst.Prof.	3	3	3	3	3	3
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Forensic Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
Community Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	5	5	5	5	5	5
	Statistician (Tutor/Asst. Prof)	1	1	1	1	1	1

	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	6	6	6	6	6	6
	Asst.Prof.	7	7	7	7	7	7
	Sr. Resident	7	7	7	7	7	7
Pediatrics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Dermatology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Psychiatry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Respiratory Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	6	6	6	6	6	6
	Asst.Prof.	7	7	7	7	7	7
	Sr. Res	7	7	7	7	7	7
Orthopedics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
Oto-rhino- laryngology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Res	2	2	2	2	2	2

Ophthalmology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	2	2	2	2	2	2
Obstetrics & Gynecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst.Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
Anesthesiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asst.Prof.	5	5	5	5	5	5
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
Radiodiagnosis	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	3	3	3	3	3	3

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	II nd Renewal (3 rd Batch)	III rd Renewal (4 th Batch)	IV th Renewal (5 th Batch)	Recognition
Dentistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Res	1	1	1	1	1	1
Emergency Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst.Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	9	9	9	9	9	9

Notes: For purpose of working out the deficiency:

1. The deficiency of teaching faculty and Tutors/Demonstrators/Resident Doctors shall be counted separately.
2. **For Teaching Faculty:**
 - (a) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc. Prof., and Asst. Prof in respective departments shall be counted together.
 - (b) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only.
 - (c) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor.
 - (d) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.
3. **For Tutors/Demonstrators/Resident Doctors:**
 - (a) Excess Tutors/Demonstrators/SR of any department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/ SR in any other department.
 - (b) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR.
 4. A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
 5. Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	LOP	Ist Renewal	IInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Faculty	142	142	142	142	142	142
Tutor/Demon./SR	90	90	90	90	90	90
Statistician	1	1	1	1	1	1

ANNEXURE IV: Requirements to be fulfilled by the applicant colleges for obtaining Letter of Intent and Letter of Permission for Establishment of New Medical College & Yearly Renewals for 250M.B.B.S. admissions annually

S.No.	Infrastructural facilities	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
1.	Lecture Theatre* [College building]	a) Number	4	4	4	4	4
		b) Capacity	300	300	300	300	300
2.	Practical Laboratories	In College	8	8	8	8	8
3.	Teaching Rooms	Capacity @ 25 students	9	9	9	9	9
		@ 50 seats	9	9	9	9	9
4.	Central Library	n) Area (sq. m)	1500	1500	1500	1500	1500
		o) Seating Capacity	500	500	500	500	500
		p) Books	7500	7500	7500	7500	7500
		q) Journals	75	75	75	75	75

5.	Hostels	a) students @75%	900	900	900	900	900	900
		b) Interns @75%	-	-	-	-	-	185
	Bed Distribution							
6.	Medicine & Allied	a) Gen. Medicine	240/8					240/8
		b) Pediatrics	120/4					120/4
		c) Respiratory Medicine	30/1					30/1
		d) Dermatology	20/1					20/1
		e) Psychiatry	30/1					30/1
		Total	440/15					440/15
7.	Surgery & Allied	a) Gen. Surgery	240/8					240/8
		b) Orthopedics	120/4					120/4
		c) Ophthalmology	30/2					30/2
		d) ENT	20/2					20/2
		Total	410/14					410/14
8.	Obstetrics & Gynecology	a) OBG & ANC	90/3					90/3
		b) Gynecology	60/2					60/2
		Total	150/5					150/5

*If the Hospital and Medical college are not in a unitary campus, 1 additional Lecture theater of 250 seating capacity must be available in teaching hospital

S.No.	Infrastructural facilities	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IIInd Renewal (3 rd Batch)	IIIRD Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
9.	Emergency Medicine	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1	30/1
	Grand Total	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35	1040/35
10.	OPD (patients/day)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
11.	Bed Occupancy (%)	75%	75%	75%	75%	75%	75%
12.	OTs	a) Major OT	11	11	11	11	11
		b) Minor OT	Every surgical specialty shall have atleast one well equipped Minor OT attached to it				
13.	ICUs	ICCU	20	20	20	20	20
		ICU	20	20	20	20	20
		Surgical ICU	20	20	20	20	20
		PICU	20	20	20	20	20

		NICU	20	20	20	20	20	20
		Obstetric HDU/ICU	20	20	20	20	20	20
14.	Radio-diagnosis	a) Static unit – atleast 2 \geq 500mA (DR/CR system)	6	6	6	6	6	6
		b) Mobile unit \geq 60 mA	6	6	6	6	6	6
		c) USG (with Color doppler)	6	6	6	6	6	6
		d) CT Scan(\geq 16 slice- spiral)	1	1	1	1	1	1
		r) MRI(\geq 1.5 Tesla)	1	1	1	1	1	1
15.	Rural Health Training Centre:	Every medical college shall have one Rural Health Training Center affiliated to it at LOP onwards (as specified in the regulations)						
16.	Urban Health Training Centre	Every medical college shall have one Urban Health Training Center affiliated to it at LOP onwards (as specified in the regulations)						

ANNEXURE IV(A): Requirements of Faculty & Residents for 250 M.B.B.S. admissions annually

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Anatomy	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst. Prof.	5	5	5	5	5	5
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
Physiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst. Prof.	5	5	5	5	5	5
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Biochemistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Pharmacology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
Pathology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asst. Prof.	5	5	5	5	5	5
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6

Microbiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	5	5	5	5	5	5
Forensic Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	4	4	4	4	4	4

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIIrd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Community Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst. Prof.	6	6	6	6	6	6
	Statistician (Tutor/Asst. Prof)	1	1	1	1	1	1
	Tutor/Demonstrator/Sr. Res	6	6	6	6	6	6
General Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	7	7	7	7	7	7
	Asst. Prof.	8	8	8	8	8	8
	Sr. Resident	8	8	8	8	8	8
Pediatrics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Res	4	4	4	4	4	4
Dermatology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Psychiatry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1
Respiratory Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	1	1	1	1	1	1

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIInd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
General Surgery	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	7	7	7	7	7	7
	Asst. Prof.	8	8	8	8	8	8
	Sr. Res	8	8	8	8	8	8
Orthopedics	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	3	3	3	3	3	3
	Asst. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
Oto-rhino- laryngology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Res	2	2	2	2	2	2
Ophthalmology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	2	2	2	2	2	2
Obstetrics & Gynecology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asst. Prof.	5	5	5	5	5	5
	Sr. Resident	5	5	5	5	5	5
Anesthesiology	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	4	4	4	4	4	4
	Asst. Prof.	6	6	6	6	6	6
	Sr. Resident	4	4	4	4	4	4
Radiodiagnosis	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Asst. Prof.	2	2	2	2	2	2
	Sr. Resident	3	3	3	3	3	3

Department	Designation	LOP (1 st Batch)	Ist Renewal (2 nd Batch)	IInd Renewal (3 rd Batch)	IIInd Renewal (4 th Batch)	IVth Renewal (5 th Batch)	Recognition
Dentistry	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	1	1	1	1	1	1

	Sr. Res	1	1	1	1	1	1
Emergency Medicine	Professor	1	1	1	1	1	1
	Assoc. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Asst. Prof.	1	1	1	1	1	1
	Sr. Resident	9	9	9	9	9	9

Notes: For purpose of working out the deficiency:

1. The deficiency of teaching faculty and Tutors/Demonstrators/Resident Doctors shall be counted separately.
2. **For Teaching Faculty:**
 - (a) For calculating the deficiency of faculty, Prof., Assoc. Prof. and Asst. Prof in respective departments shall be counted together.
 - (b) Any excess teaching faculty in higher cadre can compensate the deficiency of lower cadre of the same department only.
 - (c) Any excess teaching faculty of lower cadre/ category in any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in the higher cadre/category of the same department or any other department e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Associate Professor or Professor.
 - (d) Excess/Extra teaching faculty of any department cannot compensate the deficiency of any teaching faculty in any other department.
3. **For Tutors/Demonstrators/Resident Doctors:**
 - (a) Excess Tutors/Demonstrators/SR of any department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/ SR in any other department.
 - (b) Any excess/ extra teaching faculty of same or any other department cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR e.g. excess of Assistant Professor cannot compensate the deficiency of Tutor/Demonstrator/SR.
4. A separate department of Dentistry/Dental faculty is not required where a dental college is available in same campus/city and run by the same management.
5. Colleges running PG program require additional staff, beds & other requirements as per the PG Regulations – 2000.

Designation	LOP	Ist Renewal	IInd Renewal	IIIrd Renewal	IVth Renewal	Recognition
Faculty	159	159	159	159	159	159
Tutor/Demon./SR	95	95	95	95	95	95
Statistician	1	1	1	1	1	1